खण्ड २ — अंक ३०
२ अप्रैल, १९५६, (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०४२ से १०४६, १०४९, १०५३, १०५७, १०५९, १०६१, १०६३, १०६५, १०६९, १०७८, १०८०, १०७०, १०७१, १०७५, १०७९ और १०८१ से १०८४ ... १०१२–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४८, १०५० से १०५२, १०५४ से १०५६, १०५८, १०६०, १०६२, १०६४, १०६७, १०७२ से १०७४ और १०७६ १०३५–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३० से ६३७ १०३९–४१

दैनिक संक्षेपिका १०४२–४३

लोक-सभा

सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सह-अस्तित्व सम्बन्धी साहित्य

*१०४२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों के विश्लेषण और प्रतिपादन, आदि पर प्रकाश डालने के लिये पुस्तकें तैयार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनलि के० चन्दा) : सरकार ने ऐसी कोई पुस्तक या प्रकाशन तैयार नहीं की है, जिसमें पंचशील के सिद्धांन्तों का खास तौर से विश्लेषण या प्रतिपादन किया गया हो । लेकिन, कुछ ऐसी पुस्तिकायें प्रकाशित की गई हैं जिनमें इन सिद्धान्तों का ज़िक्र किया गया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि बांडुंग में जो कान्फ्रेंस हुई थी उस सिलसिले में इंडोनेशिया की सरकार ने कुछ प्रकाशन निकाले हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस बात को उचित नहीं समझा कि इन सिद्धान्तों के प्रचार के लिये उसे कुछ प्रकाशन करने चाहियें ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे मालूम नहीं कि इंडोनेशिया की सरकार ने इस बारे में क्या निकाला है । जो बांडुंग कानफ्रेंस हुई थी उसमें पंचशील का नाम नहीं लिया गया था बल्कि दस बातें लिखी गयी थीं, जिनको कभी-कभी वह दसशील कहते हैं । उसमें पंचशील भी शामिल है, यह बात सही है । मुझे इल्म नहीं कि वहां क्या निकाला गया है, लेकिन सवाल का जवाब यह है कि इसके ऊपर विशेष रूप से कोई पुस्तक नहीं लिखी गयी है । हां, इसकी चर्चा हमारी बहुत सी किताबों में ज़रूर है ।

श्री एम० एल० द्विवदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंचशील का प्रचार हमारे देश के अलावा विदेशों में भी हो रहा है, यह महसूस किया जा रहा है कि इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कुछ प्रकाशन निकाले जायें ? क्या भारत सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने इसका साफ जवाब दे दिया है कि इसका हमारी किताबों में ज़िक्र है। यह अजीब ख्याल है प्रचार का। प्रचार लाठी लेकर नहीं होता है। इस तरह के प्रचार की तो कूढ़ मग्ज़ लोगों के लिये जरूरत होती है। प्रचार का एक तरीका होता है। वह डाइरेक्ट (प्रत्यक्ष) भी होता है, इंडाइरेक्ट (अप्रत्यक्ष) भी होता है, शरीफ़ाना तरीके से होता है। उसका यह तरीका नहीं होता कि एक ख्याल को हवा में छोड़ दिया और उसको पकड़ लिया गया। उसके और तरीके होते हैं। यह तरीका नहीं होता कि इसे स्वीकार करो नहीं तो लाठी सिर पर पड़ेगी।

सेठ गोविन्द दास : प्रचार का अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने विश्लेषण किया कि वह किस तरह होता है। क्या प्रधान मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि इस प्रकार के प्रचार के लिये यदि संगीत-नाटक अकादमी और सरकार का प्रचार विभाग का जो मंत्रालय है वह इस प्रकार का ललित साहित्य प्रकाशित करे, व्याख्यानों के रूप में नहीं, तो उससे इस देश में और विदेशों में इन सिद्धान्तों का बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है।

अणु शक्ति विकास सम्बन्धी प्रविधिक पुस्तकालय

†*१०४३. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को उपहार स्वरूप दिये गये, आण्विक अर्णा विकास के सम्बन्धी गवेषणा प्रतिवेदनों के प्रविधिक पुस्तकालय का मूल्य कितना है;

(ख) पुस्तकालय कहां स्थित है; और

(ग) क्या ये प्रतिवेदन भारत के राज्यों के सभी वैज्ञानिकों और विदेशी वैज्ञानिकों के लिये भी सुलभ हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) एक हज़ार डालर से कम।

(ख) बम्बई के आण्विक अर्णा संस्थापन के पुस्तकालय में।

(ग) यह पुस्तकालय इस में रुचि रखने वाले सभी वैज्ञानिकों के लिये सुलभ रहेगा।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या हमारे प्राच्य पुस्तकालयों के हमारे किसी प्राचीन-साहित्य में भी इसका कोई उल्लेख ढूंढने का प्रयास किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या वह यह पूछ रहे हैं कि क्या हमारे प्राचीन-साहित्य में भी आण्विक ज्ञान का कोई उल्लेख है ?

†**श्री केशव अय्यंगार** : जी, हां।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे उसकी जानकारी नहीं है।

†**श्री वोडयार** : क्या सरकार ऐसे अणु स्कूलों की स्थापना करने के बारे में भी विचार कर रही है जहां यह प्रविधिक साहित्य रखा जायेगा और विद्यार्थियों को पढ़ाया भी जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका सम्बन्ध सकूलों से है, और मूल प्रश्न पुस्तकालय के सम्बन्ध में है।

†**श्री टी० एस० ए० चट्टियार** : क्या हमारे विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार का साहित्य रखा जायेगा, जिससे कि प्रगतिशील वैज्ञानिक भी इसके सम्पर्क में आ सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: अवश्य ही। प्रत्येक विश्वविद्यालय में ये विषय पढ़ाये जाते हैं और पढ़ाये जानें चाहियें—अर्थात् भौतिक शास्त्र के सिद्धान्तों का आधारभूत ज्ञान दिया जाना चाहिये। इसके बाद आता है भौतिक शास्त्र का उच्च ज्ञान, और तब उसके बाद अन्य कोई विशेषज्ञता। प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रत्येक प्रतिष्ठान में भी एक पुस्तकालय—एक उपयुक्त पुस्तकालय—होना चाहिए। मूल प्रश्न तो पुस्तक के एक सैट के उस उपहार विशेष के सम्बन्ध में था जिसे एक स्थान पर रख दिया गया है।

खादी

†*१०४४. **श्री डाभी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की कपड़े सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये खादी को ठीक-ठीक कितना मूल्य अधिमान दिया गया है; और

(ख) किस्म के मामले में, खादी को क्या रियायत दी गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) और (ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९**]।

†**श्री डाभी** : कितने रुपयों के मूल्य की खादी खरीदी गई थी ? १९५४-५५ में खादी के अतिरिक्त अन्य कपड़ा कितने रुपयों के मूल्य का खरीदा गया था, और १९५५-५६ के लिये कितने का ऑर्डर दिया गया है ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : १९५४-५५ में, २८·७८ लाख रुपयों के मूल्य की खादी गईखरीदी थी और १९५५-५६ के पहले दस मासों–१-४-५५ से ३१-१-५६ तक–के लिये उस का मूल्य ८७.५७ लाख रुपये था।

†**श्री डाभी** : मैं ने खादी के अतिरिक्त अन्य कपड़े के सम्बन्ध में भी पूछा था।

†**श्री पी० एस० नास्कर** : प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री डाभी** : १९५६-५७ में कितनी खादी के खरीदे जाने की संभावना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : अभी इस समय उसका अनुमान करना बहुत कठिन है। हम खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की संभरण सामर्थ्य का पता लगाते हैं। हमने प्रायः उसकी पूरी सामर्थ्य को खपा लिया है।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में पहले कहा था कि सरकार के कुछ ऐसे विभाग और हैं जिनमें खादी के चलन की व्यवस्था की जाने की बात सोची जा रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि गर्वनमेंट के. और कितने ऐसे विभाग हैं जिनमें इस वर्ष खादी खरीदी जा सकेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : ऐसी कोई लिस्ट तैयार नहीं की गयी है।

विदेशों में भारतीयों की नागरिकता

†*१०४५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** उन देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहाँ भारतीयों ने नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त, अन्य अधिकाँश देशों में भारतीयों को, कुछ विहित शर्तों को पूरा करने पर, नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाती है। दक्षिण अफ्रीका भारतीयों को दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीयता प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : वे अपेक्षतायें क्या हैं ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : विभिन्न देशों में ये अपेक्षतायें विभिन्न हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : अभी तक कुल कितने भारतीयों ने नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या संसार के आरम्भ से आज तक ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मुझे भय है कि इसका उत्तर देना असम्भव है ।

समुद्री केकड़ों का निर्यात

*१०४६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष मलाबार तट से संयुक्त राज्य अमरीका को काफी तादाद में समुद्री केकड़े भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो १९५५ में समुद्री केकड़ों के निर्यात से कितनी आमदनी हुई; और

(ग) क्या सरकार ने इस व्यापार को बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). कुछ समुद्री केकड़ों का निर्यात हुआ है । हम संयुक्त राज्य अमरीका को कितने केकड़े भेजते हैं, इसका एक विवरण सदन की मेज पर उपस्थित किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०**]

(ग) कुछ उपकरण तथा मछलीमार नौकाऐं और वस्तुऐं ठंडी रखने के उपकरण देकर त्रावनकोर-कोचीन सरकार की सहायता की जा रही है । कोचीन में केन्द्रीय गवेषणा यूनिट स्थापित कर दिया गया है, और शीघ्र ही एक केन्द्रीय डीप सी फिशिंग स्टेशन (गहरे समुद्र मछली मारी केन्द्र) भी स्थापित करने का विचार है ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो भारत से अमरीका केकड़े भेजे जाते हैं, के वहाँ किस उपयोग में आते हैं ?

श्री करमरकर : ये खाने के उपयोग में लाये जाते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को मालूम है कि हमारे यहाँ खेतों में बहुत से केकड़े पाये जाते हैं, जो कि धान के खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं । क्या सरकार उनको भी ले कर अमरीका भेजेगी ?

श्री करमरकर : जिन केकड़ों का जिक्र माननीय सदस्य करते हैं वे अलग तरह के होते हैं । वे शायद खाने के लायक नहीं होते ।

श्री विभूति मिश्र : वह केकड़े भी खाये जाते हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : उस वर्ष में ब्रह्मा और अन्य देशों को कितने परिमाण में झींगे भेजे गये थे, और क्या त्रावनकोर-कोचीन से किसी देश को निर्यात करने के लिये इनके कुछ अधिक या अतिरिक्त परिमाण की आवश्यकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : केकड़े या झींगे ?

†**श्री करमरकर** : सूखे केकड़ों और झींगों के निर्यात के मुख्य स्रोत मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन हैं । मेरे माननीय मित्र यह जानते हैं । १९५४-५५ में सूखे झींगों का हमारा निर्यात ७६,५९७ हंडरवेट तक बढ़ गया था, और वह मुख्यत: ब्रह्मा, मलाया और हांगकांग को भेजे गये थे । हाल में ब्रह्मा ने अपना आयात कुछ सीमा तक कम कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अब त्रावनकोर-कोचीन में यह सूखे झींगे बहुत अधिक परिमाण में उपलब्ध हैं। और चूंकि अब यह सड़ जाने को हैं, इसलिये क्या वाणिज्य मंत्रालय इनको अन्य देशों को निर्यात करने के लिये कोई विशेष प्रयास कर रहा है ?

†**श्री करमरकर** : हमारे और ब्रह्मा की सरकार के मध्य किये गये विचार विनिमय में यह भी एक मुख्य विषय रहा है, क्योंकि ब्रह्मा भी इज चीज़ का एक मुख्य आयात करने वाला है और कुछ सीमा तक हमें सफलता भी मिली है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : चूंकि पाकिस्तान से ५०,००० शरणार्थी मछुये हमारे यहां आ गये हैं, इसलिये क्या इनमें से कुछ मछुओं को मछली पकड़ने के कार्य के लिये मलाबार तट पर बसाने की कोई योजना है ?

†**श्री करमरकर** : इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है। मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

सेठ गोविन्द दास : इस प्रकार की जो हिंसा की प्रवृत्तियां हैं, वे कहां तक हमारी संस्कृति के अनुकूल हैं, क्या इस पर भी सरकार कभी विचार करती है ?

श्री करमरकर : इस सवाल का यदि प्रधान मंत्री जी को नोटिस (पूर्व-सूचना) दी जाये, तो कुछ जवाब मिल सकता है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या माननीय मंत्रीजी को इस के स्वाद के बारे में भी कुछ ज्ञान है जिस के आधार पर वह यह बता सकते हैं कि इनकी खपत हिन्दुस्तान में भी हो सकती है ?

श्री करमरकर : त्रावनकोर-कोचीन में कई लोग खाते हैं, और दूसरी जगहों पर भी खाते होंगे। जो सरपलस (फालतू) होता है, वह एक्सपोर्ट (निर्यात) किया जाता है।

रबड़ गवेषणा प्रतिष्ठान

†*१०४९. **श्री वेलायुधन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) रबड़ बोर्ड द्वारा कोट्टायम में रबड़ गवेषणा प्रतिष्ठान का निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव अब किस अवस्था में है; और

(ख) उसके लिये कुल कितनी राशि का अनुमान किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) रवड़ गवेषणा प्रतिष्ठान की स्थापना के लिये एक उपयुक्त स्थान अर्जित कर लिया गया है। प्रतिष्ठान की योजना तैयार की जा रही है।

(ख) पूंजी व्यय के लिये ५,६७,००० रुपये।

†**श्री वेलायुधन** : क्या कोट्टायम के इस रबड़ गवेषणा प्रतिष्ठान के लिये कोई टेन्डर मांगा गया है; क्या कोई टेन्डर दिया गया है और क्या अभी कोई निर्माण-कार्य चल रहा है ?

†**श्री करमरकर** : टेन्डर सम्बन्धी प्रश्न के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये। इमारत के सम्बन्ध में उत्तर यह है, कि वहां पहाड़ी पर पहले से ही एक छोटी सी इमारत मौजूद है जो इसी काम के लिये रखी गई है। नयी इमारत के सम्बन्ध में ,जहां तक मैं समझता हूं, अभी तक रबड़ गवेषणा प्रतिष्ठान की नयी इमारत के निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

†**श्री वेलायुधन** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा खरीदे गये मैदान में कोई छोटी इमारत, या बड़ी इमारत, या अन्य किसी भी इमारत को बनाने के लिये टेन्डर मांगने के बाद कोई ठेका दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : मैंने निवेदन किया कि नयी इमारत के टेन्डर सम्बन्धी प्रश्न के लिये मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है। पुरानी इमारत के सम्बन्ध में किसी भी टेन्डर का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या गवेषणा कार्य के लिये अपेक्षित कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है? क्या यह सही है कि भर्ती किये गये कुछ व्यक्तियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं, और यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

†**श्री करमरकर** : जहां तक मैं जानता हूं वहां दो रबड़ बागान हैं—दो भूमि-खण्डों में २० एकड़ के। नये गवेषणा अधिकारियों की ठीक-ठीक संख्या के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना चाहिये। मेरे पास यहां इसकी सूचना नहीं है।

†**श्री बेलायुधन** : क्या यह सच है कि अभी तक इमारत का निर्माण न किये जाने पर भी कोट्टायम् के छोटे से कार्यालय के लिये तमान गवेषणा अध्येताओं या वैज्ञानिकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं?

†**श्री करमरकर** : मैंने माननीय लोक-सभा को बताया है कि इमारत की योजना बनाई जा रही है और उसका निर्माण भी यथाशीघ्र किया जायेगा।

प्लाइवुड उद्योग

†*१०५३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में भारत की वर्तमान प्लाइवुड उद्योग इकाइयों ने अपनी पूरी सामर्थ्य भर कार्य किया था;

(ख) वर्तमान उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग चाय उद्योग के लिये उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मांगों की पूर्ति के लिये नई इकाइयां स्थापित करने की प्रस्थापना है; और

(घ) ३१ दिसम्बर, १९५५ को इन इकाइयों की संख्या कितनी थी?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इस उद्योग ने अपनी सामर्थ्य के ७७ प्रतिशत से अधिक कार्य किया था।

(ख) लगभग ८३ प्रतिशत।

(ग) प्लाइवुड बनाने के लाइसेंसों के लिये आने वाले प्रार्थना-पत्रों पर, प्लाइवुड की आवश्यकताओं और उद्योग की गुणात्मक तथा परिमाणात्मक सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके गुण-दोषों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

(घ) ६२ इकाइयां।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या पहले उत्पादन सामर्थ्य की कमी को पूरा किया जायेगा, या नई इकाइयों को कार्य आरम्भ करने के लिये कहा जायेगा?

†**श्री कानूनगो** : वर्तमान इकाइयों से उन की पूरी सामर्थ्य भर कार्य कराया जायेगा। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं, जिन के लिये कोई सामर्थ्य ही नहीं है और ऐसे मामलों में प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

†**श्री एस० सी० सामन्त**: क्या यह उद्योग अपनी आवश्यकता के लिये अपेक्षित लकड़ी के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : जी, हां ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या बंगलौर की प्लाइवुड फैक्टरी को उसके कार्य के विस्तार के लिये कोई सहायता दी गई है ? यदि नहीं दी गई है, तो उसके लिये क्यों इन्कार किया गया है ?

†**श्री कानूनगो**: किसी ने भी कभी किसी सहायता की अपेक्षा नहीं की ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार प्लाइवुड की एक फैक्टरी ऋषिकेश के पास बनाने की योजना पर विचार कर रही है, यदि हां, तो प्रान्तीय सरकार को इस बारे में कुछ आदेश देने वाली है ?

श्री कानूनगो: ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है । जब कभी कोई योजना प्रान्तीय सरकार की ओर से आयेगी, तो विचार किया जायेगा ।

†**श्री ए० एम० थामस** : कुछ समय पूर्व यह कहा गया था कि प्लाइवुड के निर्माण के लिये नये लाइसेंसों को मंजूर करने और वर्तमान लाइसेंसों के नवीकरण के सम्बन्ध में एक नीति सम्बन्धी निर्णय विचाराधीन है । क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है ? क्या मैं पूछ सकता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन के, जहां कि इसके लिये अपेक्षित कच्चे माल की उपलब्धता के कारण उद्योग के विकास के लिये एक विशाल क्षेत्र है, इतने अधिक प्रार्थना-पत्र अभी तक क्यों विचाराधीन पड़े हैं और सरकार ने क्यों उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है ?

†**श्री कानूनगो** : मामला अभी विचाराधीन है । लेकिन, यदि मैं मोटे तौर पर कहूं तो, सामर्थ्य का कुछ आधिक्य है और किसी भी नये प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जा रहा है, जब तक वह किसी विशेष क़िस्म के निर्माण के लिये न हो ।

हैवी वाटर संयंत्र

†*१०५७. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में संस्थापित किये जाने वाले हैवी वाटर संयंत्र की क़िस्म के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये एक ब्रिटिश सार्थ को नियुक्त किया है;

(ख) क्या सरकार अपनी आणविक आर्णा सम्बन्धी योजना की भावी वाकबद्धताओं को पूरा करने के लिये १५,०००,००० पौंड की क्षमता का एक उर्वरक तथा हैवी वाटर संयंत्र स्थापित करने का विचार करती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक संयंत्र की संस्थापना हो जाने की संभावना है और उसकी अनुमित लागत क्या होगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां । नांगल परियोजना प्रतिवेदन के लिये तीन परामर्शदाताओं में से एक मेसर्स कोस्टेन जान ब्राडन भी हैं ।

(ख) नांगल का उर्वरक कारखाना एक उपोत्पाद के रूप में हैवी वाटर का भी उत्पादन करेगा । उपयुक्त उर्वरकों के रूप में, ७०,००० टन फिक्सड् नाइट्रोजन के उत्पादन के लिये ही इस कारखाने की योजना बनाई गई है ।

(ग) आशा है कि यह कारखाना १९६० तक संस्थापित हो जायेगा । इस कारखाने की लागत और उसके संस्थापन की एक निश्चित तिथि का ठीक-ठीक अनुमान प्रविधिक परामर्शदाताओं से मांगे गये परियोजना प्रतिवेदनों के सरकार के मिल जाने और उसके द्वारा उनकी परीक्षा कर लिये जाने पर ही लगाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†*श्री **सिद्धनंजप्पा** : इस सार्थ का इस विषय में पहले का कितना अनुभव है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सार्थ सबसे अधिक अनुभवी सार्थ समझा जाता है। मैं विस्तारपूर्वक इस सार्थ का अनुभव नहीं बता सकता हूं। संसार में से अनेक सार्थ नहीं हैं। वस्तुतः नंगल के इस उर्वरक व हैवी वाटर संयन्त्र के लिये हमने तीन प्रमुख सार्थों से प्रतिवेदन मांगने का निश्चय किया था। यह उन तीनों में से एक है। अन्य दो प्रतिवेदन उर्वरक-व-हैवी वाटर के बारे में होंगे। इस सार्थ के हैवी वाटर में विशेषज्ञ होने के कारण यह केवल उसी के सम्बन्ध में कार्य करेगी। विचार यह है कि तीनों प्रतिवेदनों के मिलने पर हम तीनों में से किसी एक सार्थ को चुन कर उसे इस परियोजना के लिये अपना परामर्शक नियुक्त कर देंगे ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या सरकार को पंजाब सरकार से इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है कि नंगल के हैवी वाटर संयन्त्र को किसी अन्य स्थान पर लेजाया जाये क्योंकि इसमें काफ़ी विद्युत शक्ति खर्च होगी जिसके परिणामस्वरूप पंजाब में उद्योगों की उन्नति रुक जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने यह बात पहली ही बार सुनी है। पंजाब इस परियोजना को वहां रखने के लिये बहुत ही उत्सुक है। यदि वह नहीं चाहता है तो हमें उसे किसी अन्य स्थान पर लेजाने में बड़ी प्रसन्नता होगी ।

सरकारी विज्ञापन

†*१०५९. **श्री रिशांग किशिंग:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५५ से दिसम्बर, १९५५ और जनवरी, १९५६ में मनीपुर के स्थानीय दैनिक पत्रों **नगासी अनोबा समाज** और **प्रजातन्त्र** में मनीपुर सरकार के जो विज्ञापन प्रकाशित हुए और उनके लिये जितनी धन राशि का भुगतान किया गया उनके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर सरकार दैनिक पत्र **प्रजातन्त्र** को अधिक संरक्षण देती है; और

(ग) मनीपुर सरकार द्वारा मनीपुर के अन्य दैनिक पत्रों की तुलना में **प्रजातन्त्र** को अधिक विज्ञापन दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) से (ग). १५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५४४ के उत्तर में सितम्बर और अक्तूबर १९५५ के आंकड़े दिये गये थे। उसके पश्चात के महीनों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या इस विषय में मनीपुर सरकार किसी निश्चित नीति का अनुसरण करती है ?

†**डा० केसकर** : मनीपुर सरकार की क्या विशेष नीति है यह मैं नहीं जानता, परन्तु सामान्यतः केन्द्रीय सरकार की विज्ञापन सम्बन्धी जो नीति है वह मनीपुर सरकार का भी पथ प्रदर्शन करती है।

†**श्री रिशांग किशिंग** : विवरण में इन सभी समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों के आंकड़ें दिये गये हैं। विज्ञापनों के लिये इन पत्रों को जो धन राशि दी गई है म वह जानना चाहता हूँ।

†**डा० केसकर** : इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये, क्योंकि गत सत्र में पूछे गये अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मैंने विशेष रूप से विज्ञापनों की संख्या बताई थी। इस प्रश्न में भी मूलतः संख्या ही पूछी गई है। यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न की पूर्वसूचना दें तो मैं अवश्य राशि बताऊंगा।

†**श्री रिशांग किशिंग** : मेरे प्रश्न में धन राशि के बारे में भी पूछा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न के भाग (क) की पंक्ति २ में धन राशि के बारे में पूछा गया है ।

†**डा० केसकर** : जैसा कि मैंने निवेदन किया, कि जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह सच नहीं कि विज्ञापन केन्द्रीय विज्ञापन परामर्शक द्वारा दिये जाते हैं, और मनीपुर के एक केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र होने के कारण, गृह-कार्य मंत्रालय से यह जानकारी प्राप्त करने में क्यों इतना विलम्ब हो रहा है ?

†**डा० केसकर** : मनीपुर सरकार ने मुझे जानकारी क्यों नहीं भेजी यह बताना बहुत कठिन है । पर हम स्मरणपत्र भेज कर उसे शीघ्र ही प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री ने केन्द्रीय सरकार की नीति की ओर निर्देश किया और यह भी आशा प्रकट की है कि वह नीति मनीपुर सरकार का पथप्रदर्शन भी करेगी । विज्ञापन देने के मामले में सरकार उन पत्रों में कितना भेद भाव करती है जो सरकार का समर्थन करते हैं और जो सरकार का विरोध करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । केवल पूछे गये मूल प्रश्न पर ही चर्चा की जाये ।

†**श्री कामत** : मैं माननीय मंत्री द्वारा निर्दिष्ट सरकार की नीति के बारे में जानना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न से संगत होना चाहिये ।

†**श्री कामत** : क्या नीति के बारे में पूछ सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय**: जहां तक उसका प्रश्न से सम्बन्ध हो ।

पटसन की वस्तुयें

†*१०६१. **श्री एल० एन० मिश्र**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत नौ मास में विदेशों में भारतीय पटसन की वस्तुओं की उतनी मांग नहीं रही है जितनी की आशा थी;

(ख) यदि हां, तो मांग में कमी होने के क्या कारण हैं;

(ग) उन देशों के नाम जिनमें भारतीय पटसन की वस्तुओं की मांग घटी है या बढ़ी है; और

(घ) क्या सरकार इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये कोई कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क),(ख) और (घ)."जितनी आशा थी" इस वाक्यांश को समझना मेरे लिये कठिन है । अप्रैल से दिसम्बर, १९५५ तक के नौ महीनों में, जिनके सम्बन्ध में पूर्ण आकड़े उपलब्ध हैं, ६९५·४ हजार टन का निर्यात किया गया जबकि १९५४ की तत्स्थानी अवधि में ६५२·७ हजार टन का निर्यात किया गया था । जनवरी और फरवरी, १९५६ में निर्यात में अवश्य कमी हुई है :

१९५६	('०००' टनों में)
जनवरी	४९·८
फरवरी	५४·३

पटसन की वस्तुओं के निर्यात के लिये यह दो मास सामान्यतः ठालू मास होते हैं । निर्यात में जो कमी हो रही थी वह रुक गई है और १९५६ में वास्तविक निर्यात के बढ़ जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११]**

†**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या पटसन के निर्यात के मामले में कुछ देशों, विशेषकर जापान और मिस्र से कुछ नवीन प्रतिस्पर्धा हुई है, और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**श्री करमरकर** : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : विशेषकर अमरीका, आर्जेंटाइन और आस्ट्रेलिया में भारतीय पटसन की वस्तुओं के मूल्यों की स्थिति महाद्वीप के अन्य देशों में बनाई गई पटसन की वस्तुओं के मूल्य की तुलना में क्या है ?

†**श्री करमरकर** : गत दो वर्ष में इन दो मास के अतिरिक्त हमारा पटसन का निर्यात बढ़ा है। इसमें अच्छी प्रगति हो रही है। मेरा विचार है माल की किस्म और मूल्य अन्य देशों के प्रायः समान ही हैं। परन्तु यदि माननीय सदस्य तुलनात्मक ठीक-ठीक मूल्य जानना चाहते हैं, तो मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या यह सच नहीं है कि महाद्वीप के उत्पादकों ने स्वयं को एक मूल्य संघ के रूप में संगठित कर लिया है और हमें उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है ?

†**श्री करमरकर** : मुझे इस समय यह ज्ञात नहीं है कि माननीय सदस्य महाद्वीप के किस भाग विशेष के बारे में कह रहे हैं। यदि वह हमें जानकारी दें तो मैं पता लगाऊंगा ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि यद्यपि हमारे प्रतियोगीय मूल्य काफ़ी अच्छे हैं, परन्तु मांग कम होने के कारण ही सब कठिनाई हो रही हैं, न कि अन्य कारणों से ?

†**श्री करमरकर** : मांग कम नहीं है। हममें गुण-प्रकार को बनाये रखने की पर्याप्त क्षमता है। ऐसे मामलों में उतार चढ़ाव होता ही रहता है। कई बार कोई कारण ऐसे हो जाते हैं जिससे कि हमारा निर्यात कुछ कम हो जाता है। फिर भी सारी हालत को देखते हुए, निराश होने की कोई बात नहीं है।

†**श्री ए० एम० थामस** : हाल ही में सरकार ने जो कार्यवाही की थी क्या उसके कारण निर्यात पर सन्तोषजनक प्रभाव पड़ा है, और यदि हां, तो क्या सरकार यह बता सकने की स्थिति में है कि यह प्रभाव किस सीमा तक पड़ा है ?

†**श्री करमरकर** : माननीय सदस्य किस कार्यवाही के बारे में सोच रहे हैं ?

†**श्री ए० एम० थामस** : निर्यात शुल्कों के बारे में ।

†**श्री करमरकर** : जब कभी भी आवश्यक होता है, हम मांग को बढ़ाने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करते हैं। वास्तव में मांग और भेजे गये माल की मात्रा को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिये ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या यह सच है कि १९५२ के संकटकाल का मूल कारण यह था कि पटसन निर्यातकों ने अत्याधिक लाभ प्राप्त करने के लिये पटसन को बड़े ऊंचे दामों बेचा था, और वे सम्भवतः इस वर्ष भी ऐसा ही कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विदेशों में पटसन के मूल्य को प्रभावित तथा विनियमित करने के लिये कोई कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री करमरकर** : पहली बात यह कि १९५२ में जो कुछ हुआ उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये। प्रश्न के पिछले भाग के बारे में, मेरे माननीय मित्र स्वयं ही निश्चित नहीं हैं। उन्होंने कहा "सम्भवतः"। जिस बारे में सदस्य निश्चित न हों हम उसके उत्तर में यह नहीं बताते हैं कि क्या कार्यवाही की जायेगी। हम सभी आवश्यक

†मूल अंग्रेजी में

कार्यवाही करते हैं, और इस समय पटसन की वस्तुएं के हमारे निर्यात के बारे में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में विशेषकर विदेशी मांग की प्रत्याशा के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कहा कि उनके लिये वाक्यांश "जितनी आशा थी" का अर्थ समझना कठिन था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश में पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष पटसन के निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित करती है ?

†**श्री करमरकर** : हम निर्यात का अनुमान अवश्य लगाते हैं, परन्तु किसी लक्ष्य को निर्धारित करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उत्पादन के मामले में केवल अपने प्रयत्नों पर ही सब कुछ निर्भर नहीं करता है । मान लीजिए कि हम एक बान्ध बनाते हैं उसके निर्माण के लिये हम एक लक्ष्य तिथि निश्चित कर सकते हैं, परन्तु इस मामले में हम सभी देशों को अपना लक्ष्य स्वीकार करने और उसके अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं । अत: यद्यपि हम अनुमान उचित ही लगाते हैं, कई बार अनुमान से अधिक निर्यात हो जाता है और कई बार कुछ कमी रह जाती है ।

वित्तीय-सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†*१०६३. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय-सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत अब तक आसाम को कितना ऋण और वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२**]

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : आसाम सरकार ने इस योजना को क्यों प्रस्तुत नहीं किया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को वह आसाम सरकार से पूछें, क्योंकि हमने आसाम सरकार को इस योजना से लाभ उठाने पर राज़ी करने के सभी सम्भव प्रयत्न किये हैं । सम्भव है कि वहां अधिक मांग न हो और वहां ऐसे उद्योग और औद्योगिक श्रमिक न हों जिन्हें आवास की आवश्यकता हो ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या यह सच नहीं है कि वहां चाय बागान में लगभग दस लाख श्रमिक काम करते हैं और क्या भारत सरकार की नीति इस योजना को कार्यान्वित करने की है, और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय एक डाकघर के तौर पर काम करते हैं या उस नीति निर्धारित करने वाले की तरह जो नोति को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इस तर्कवितर्क में नहीं जाना चाहता हूं । परन्तु तथ्य यह है कि हमने आसाम सरकार को इस योजना से लाभ उठाने के लिये राज़ी करने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये हैं और यदि आप इस पर ज़ोर डालना चाहते हैं तो यहां नहीं बल्कि आसाम सरकार पर डालें ।

पाकिस्तानी विमानों द्वारा उत्क्रमण

†*१०६५. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी विमानों ने ९ मार्च, १९५६ को खेमकरण सीमान्त पर भारतीय इलाके में प्रवेश किया था; और

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान सेना में कोई युद्ध-विराम समझौता हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)**: (क) हां, श्रीमान । ९ मार्च, १९५६ को प्रातः ज़िला अमृतसर के ग्राम मियांवाला उत्तर के ऊपर एक पाकिस्तानी विमान भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपर होकर उड़ा था ।

(ख) पंजाब सीमान्त पुलिस और पाकिस्तान सीमान्त पुलिस के कमाण्डैंटों ने मियांवाला क्षेत्र में ८ मार्च, १९५६ के ८ बजे म० पू० से युद्ध विराम समझौता किया । पाकिस्तानी सीमान्त पुलिस ने ९ मार्च की प्रातः पुनः गोलाबारी आरम्भ करके इस समझौते का उल्लंघन किया । दोनों कमाण्डैंटों ने ९ मार्च, १९५६ को ९-३० बजे म०पू० से युद्ध विराम का पुनः समझौता किया । मुठियांवाला-खेमकरण क्षेत्र में १४-१५ मार्च को नई घटनायें होने के कारण एक और युद्ध विराम समझौता किया गया जो १५ मार्च, १९५६ की आधी रात से लागू होता था ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : १९५६ में अब तक सीमा पर कुल कितने आक्रमण हुए हैं ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या हाल के 'सीटो' सम्मेलन अथवा अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिये गये हथियारों का इन सीमान्त आक्रमणों से कोई सम्बन्ध है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मैं यह कैसे जान सकता हूँ ? राज्य क्षेत्रों का इस प्रकार का अतिक्रमण उसी समय से किया जा रहा है जब से कि दोनों देश विभाजित हुए हैं ।

†**श्री कामत** : लोक-सभा में प्रधान मंत्री द्वारा किये गये इस वक्तव्य के, कि वह नहीं समझते कि पाकिस्तान सरकार की कोई समन्वित योजना थी, के बाद पिछले कुछ दिनों में प्राप्त समाचारों की दृष्टि से अब क्या वह यह समझते हैं कि पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले सीमांत आक्रमणों और वायु उत्क्रमणों में किसी प्रकार का समन्वय अथवा समकालीनता है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : इस विशेष वायु अतिक्रमण का सम्बन्ध सीमान्त अतिक्रमण से था । ८ मार्च को पाकिस्तानी सीमा पर से गोली चलायी गयी । हमारे लोगों ने उसका उत्तर दिया । ९ मार्च को पुनः गोली चलायी गयी । यह दो बार गोलियाँ चलाये जाने के बीच एक विमान हमारे राज्य क्षेत्र पर से होकर संभवतः देखरेख करने के लिये उड़ा था ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार का ध्यान कल के समाचार पत्रों में प्रकाशित बिल्कुल हाल के समाचारों की ओर जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान द्वारा युद्ध की तैयारियाँ की जा रही हैं, तथा हल्ला गुल्ला मचाया जा रहा है, आकृष्ट किया गया है ?

क्या प्रधान मंत्री अब यह समझते हैं कि इन युद्ध की सी तैयारियां और इन सीमान्त आक्रमणों में कोई सम्बन्ध है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह केवल अनुमान लगाने की बात है कि पाकिस्तान सरकार क्या करना चाहती है । पिछले अवसर पर मैंने जो बात कही थी यह थी कि हमें इसके सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है । स्थिति इस प्रकार है या नहीं, हम नहीं जानते । न हम इसका खण्डन कर सकते हैं, और न स्वीकार ही कर सकते हैं । हम केवल यही एक बात कह सकते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है । इस सबका क्या अर्थ हो सकता है इसका अनुमान कोई भी कर सकता है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी विमान यातायात विनियमों का उल्लंघन कर के २२ मार्च को भारतीय राज्य क्षेत्र में अमृतसर जिले की अजनाला तहसील पर होकर उड़े थे ? भारतीय राज्य क्षेत्र पर उड़ने में उनका क्या उद्देश्य था ? क्या पाकिस्तान सरकार के पास कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल के० चन्दा :** मैं पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता हूं कि हमारे पास इसकी सूचना है। मैं यह कह सकता हूँ कि उस क्षेत्र में १५ मार्च को कुछ गोलियाँ चलीं थीं।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या यह सच है कि क़रार की एक शर्त्त यह भी है कि भारत अथवा पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति सीमा से ३०० गज़ के भीतर खाइयाँ नहीं खोदेगा, और यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार इस शर्त्त का भी अतिक्रमण करने जा रही है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** दोनों कमांडेंटों के बीच हुए क़रार का अतिक्रमण किया गया है। हमने पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और इसका तीव्र विरोध किया है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पिछले कुछ दिनों के भीतर पंजाब की सीमा पर काफ़ी बड़ी संख्या में सेना केन्द्रित कर दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य कौन सी सीमा का उल्लेख कर रहे हैं। साधारणतया पाकिस्तानी सेना की स्थिति सीमा के निकट ही है। वह वहीं है। इन सीमा-संघर्षों को रोकने का एकमात्र संभव उपाय यह है कि सीमांकन कर दिया जाये, क्योंकि इनमें से कम से कम कुछ झगड़े तो अवश्य ही सीमा-सम्बन्धी विवादों के कारण हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने आक्रामक कार्य किया है। पाकिस्तान कहता है कि भारत ने अतिक्रमण किया है। पाकिस्तानी प्रेस बड़े-बड़े अखबारों में यह समाचार देते हैं कि भारतीय सेना ने अतिक्रमण किया है। क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र का, जो २०० गज़, या चौथाई मील या आध मील हो सकता है, स्पष्टरूप से सीमांकन नहीं किया है इसलिये उसके सम्बन्ध में निरंतर विरोधी दावे किये जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या १०६९।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी :** मेरी प्रार्थना है कि इसी के साथ प्रश्न संख्या १०८० का भी उत्तर दे दिया जाये।

†**श्री अनिल के० चन्दा :** १०७८ का भी। यह बुनियादी रूप से एक ही बात से सम्बन्धित हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इन तीनों का उत्तर एक ही साथ दे दिया जाये।

सीमा पर आक्रमण

†*१०६९. **श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी पुलिस ने १४ मार्च, १९५६ को भारतीय पुलिस द्वारा अमृतसर के निकट खेमकरण, झुग्गियाँ नूर मुहम्मद और मुठियाँ गाँवों के निकट भारतीय सीमा पर भारतीय पुलिस द्वारा गश्त किये जाने पर आपत्ति की थी;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय पुलिस भारतीय राज्य-क्षेत्र पर जिस पर भारत का स्वामित्व है गश्त कर रही थी;

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी पुलिस ने भारतीय पुलिस पर गोली चलायी और भारतीय पुलिस ने उसका उत्तर दिया;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय पुलिस प्राधिकारियों ने संकट को दूर करने का प्रयास किया परन्तु वह असफल रहे ;

(ङ) क्या यह सच है कि दोनों ओर से काफी लम्ब समय तक गोलियाँ चलती रहीं;

(च) इनमें हताहत व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(छ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के चन्दा)**: (क) से (घ). जी, हाँ।

(ङ) गोलियाँ बीच में रुक रुक-कर लगभग छत्तीस घंटे तक चलती रहीं।

(च) भारतीय पक्ष में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

(छ) पाकिस्तानी सीमा पुलिस की आक्रामक कार्यवाही के विरुद्ध, जिसके फलस्वरूप यह घटनायें हुईं, पाकिस्तान सरकार को एक जोरदार विरोध-पत्र भेजा गया था।

मियाँवाला अवतार गाँव के निकट गोली चलाना

†*१०७८. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ मार्च, १९५६ को अमृतसर से लगभग ३० मील दूर मेहदीपुरा-खमकरण सैक्टर में स्थित मियांवाला अवतार गाँव में भारतीय और पाकिस्तानी पुलिस के बीच पाँच घंटे तक गोलियाँ चलती रही थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के चन्दा)** : (क) ८ मार्च, १९५६ को पाकिस्तानी सीमा-पुलिस के एक दल ने पंजाब सशस्त्र पुलिस के एक दल द्वारा अमृतसर जिले के मियांवाला उत्तर में पंजाब सशस्त्र पुलिस के गश्त-क्षेत्र की सीमा में आनेवाले भारतीय राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से किये जाने वाले गश्त पर आपत्ति की और उनसे उस क्षेत्र से वापस लौट जाने को कहा। भारतीय दल द्वारा इस अनुचित मांग को मानने से इंकार किये जाने पर, पाकिस्तानी पुलिस ने अचानक और बिना किसी उत्तेजना के उन पर गोली चला दी। भारतीय दल ने आत्म-रक्षार्थ उसका उत्तर दिया। गोलियां चलना १२·४५ बजे म०पू० आरम्भ हुआ। दोनों सीमान्त पुलिस सेनाओं के कमांडेंटों द्वारा ८ बजे म०पू० से युद्ध विराम लागू करने का निश्चय किया गया। जब कि भारतीय पुलिस द्वारा ८ बजे म०पू० से ही युद्ध-विराम लागू कर दिया गया, पाकिस्तानी सीमा पुलिस ९·३० बजे म०पू० तक गोलियाँ चलाती रही। पाकिस्तानी पुलिस ने ९ मार्च, १९५६ को ६·३० बजे म०पू० से पुनः गोलियाँ चलाना आरम्भ कर दिया और भारतीय पुलिस के पास उसका उत्तर देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं रह गया था। दोनों कमांडैंटों की सहमति से पुनः ९ मार्च, १९५६ को ९·३० बजे से युद्ध विराम लागू करने का निश्चय किया गया।

(ख) पाकिस्तान सरकार को एक जोरदार विरोध-पत्र भेजा गया है।

सीमा पर आक्रमण

†*१०८०. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ मार्च, १९५६ को खेमकरण से मुठियाँवाला या डस के आस-पास के १२ मील के घेरे में पाकिस्तान और भारत की सेनाओं के बीच गोलियां चलीं थीं जिसके फलस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या पंजाब के भारतीय कमांडर ने शीघ्र घटना स्थल पर पहुँचकर कार्यवाही की बागडोर अपने हाथों में लेली थी ;

(ग) क्या यह कार्यवाही पूरी हो चुकी है;

(घ) क्या इसके बढ़ने का कोई भय है; और

(ङ) इस संघर्ष के कारण क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के चन्दा)** : (क) १४ मार्च, १९५६ को अमृतसर जिले में मुठियाँवांला से खेमकरण तक की सीमा के सहारे पाकिस्तान सीमा पुलिस और पंजाब सशस्त्र पुलिस के बीच गोलियाँ चलीं थीं। भारत की ओर का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

(ख) जी, हां।

(ग) दोनों कमांडेंटों के बीच हुए समझौते के अनुसार १५ मार्च, १९५६ की आधीरात को गोलियों का चलना बन्द हो गया था।

(घ) दोनों कमांडैंटों के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप स्थिति अब नियंत्रण में है।

(ङ) यह घटनायें पाकिस्तानी सीमा पुलिस द्वारा भारतीय नागरिकों और अमृतसर जिले के पंजाब सशस्त्र पुलिस के गश्ती क्षेत्र मुठियाँवाला, रट्टोके और खेमकरण में भारतीय राज्य-क्षेत्र पर भारतीय प्राधिकारियों के अधिकार प्रयोग में हस्तक्षेप करने के अवांछित प्रयासों के फलस्वरूप हुई थीं।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार का ध्यान पंजाब सशस्त्र पुलिस के कमांडैंट श्री रामसिंह द्वारा १७ मार्च, १९५६ को दिये गये इस वक्तव्य की ओर, कि इन सीमान्त आक्रमणों में पाकिस्तान अमरीका द्वारा दिये गये आधुनिकतम प्रकार के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग कर रहा है, आकृष्ट किया गया है ? यदि हाँ, तो प्रधान मंत्री अमरीका के राष्ट्रपति के पास यह सूचना पहुँचाने की, कि पाकिस्तान के उच्च प्राधिकारियों द्वारा श्री डलेस को दिये गये अत्यंत विश्वासोत्पादक और निश्चित आश्वासनों को लागू नहीं किया जा रहा है वरन् बार-बार भंग किया जा रहा है, कृपा करेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे श्री रामसिंह द्वारा इस विशेष प्रकार का वक्तव्य दिये जाने का पता नहीं है अर्थात मुझे यह ज्ञात है कि उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि आधुनिक प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। यह नहीं कि यह वहीं शस्त्रास्त्र थे जो संभवत: अमरीका द्वारा सहायता कार्यक्रम के सिलसिले में दिये गये थे वास्तव में मुझे तो ऐसा स्मरण है कि उन्होंने कहा था कि वह यह नहीं बता सकते थे कि यह हथियार कहाँ से आये थे। दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि सीमा पर सहायक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त किये गये किसी शस्त्रास्त्र का प्रयोग किया है। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में किसी देश से अपील करना हमारे लिये लाभकारी अथवा शोभनीय होगा।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री हमीदुल हक़ चौधरी द्वारा २६ मार्च को पाकिस्तान नेशनल असेम्बली में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में दिये गये इस वक्तव्य की ओर, कि पाकिस्तान सरकार उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जिन पर भारत द्वारा पिछले आठ वर्षों में आधिपत्य जमा लिया गया है, अमरीका-पाकिस्तान (सैनिक-सहायता) करार के अनुच्छेद १ की कण्डिका २ के बावजूद, कि अपने राज्य क्षेत्र की प्रतिरक्षा करने के अधिकार के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की पाकिस्तान की स्वतंत्रता पर कोई भी परिसीमा नहीं है और वह कोई भी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है, आकृष्ट किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हाँ। हमने वह वक्तव्य देखा है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि इन सीमान्त आक्रमणों में आधुनिक प्रकार की मशीनगनों और ब्रेनगनों का प्रयोग किया गया है और क्या भारत सरकार भी भारतीय सशस्त्र पुलिस को आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सज्जित करने की प्रस्थापना करती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न कल पूछा जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार की गयी कार्यवाही और सीमा पुलिस को दिये गये शस्त्रास्त्रों की क़िस्म के सम्बन्ध में बताना नहीं चाहती है ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इन घटनाओं के बार-बार होने का कारण सीमाओं का निश्चय सीमांकन है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या दोनों देशों के बीच की सीमा को वार्त्ता द्वारा शांति पूर्ण ढंग से सीमांकित करने के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है, यदि हाँ, तो कितनी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : दोनों सरकारें, अर्थात् भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार इस बात पर सहमत हैं कि प्रत्येक पक्ष के वरिष्ठ सर्वेक्षण पदाधिकारियों की अध्यक्षता में, और सहायकों तथा पदाधिकारियों की अध्यक्षता में, और सहायकों तथा पदाधिकारियों की सहायता से, दो सर्वेक्षण दल मिलें और यह सर्वेक्षण करने का कार्य अपने हाथ में ले लें और स्पष्ट रूप से यह चिह्नित करदें कि यह सीमा कहाँ होनी चाहिए और उसको सीमांकित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें। जहाँ भी कहीं दोनों के बीच कोई विवाद हो, अथवा सहमति न हो सके, उनको तत्काल दोनों सरकारों को निर्दिष्ट कर दिया जाये जिससे कि हम उसका उच्चतर स्तर पर निबटारा कर सकें ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या सीमा सम्बन्धी विवादों को सुलझाने के लिये की जानें वाली इन प्रस्थापित वार्त्ताओं में रैडक्लिफ पंचाट को आधार माना जायेगा अथवा इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : स्पष्ट ही है कि रैडक्लिफ़ पंचाट् को ही आधार माना जायेगा । अन्य बातों पर भी विचार करना पड़ सकता है, परन्तु मैं समझता हूं कि यह बात नये सिरे से शुरू नहीं की जा सकती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कुछ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि भारतीय सीमा से पाकिस्तान के सिपाहियों को दूर हटाते समय भारतीय सेना के जवानों को कुछ नई किस्म के हथियार मिले हैं और यह शक भी हुआ है कि वह अमरीकी हैं। क्या भारत सरकार ने इस शक को दूर करने के लिये कुछ किया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसे सवालों का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता कि किस के पास कैसे हथियार हैं और हम कैसे दे रहें हैं या दूसरे कैसे दे रहें हैं। यह उचित नहीं है कि हम इस बारे में इश्तहार दें कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं ।

दस्तकारी की उन्नति

†***१०७०. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस्तकारी की उन्नति के लिये १९५५ में भारत में और विदेशों में कुल कितनी प्रदर्शनियाँ आयोजित की गयीं; और

(ख) उन पर कुल कितना धन व्यय किया गया था ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)** : (क) दस्तकारी की उन्नति के लिये वर्ष १९५५-५६ में भारत में पाँच और विदेशों में चार प्रदर्शनियाँ आयोजित की गयीं थीं। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि में विदेशों में दस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भी दस्तकारी की वस्तुयें प्रदर्शित की गयीं थीं ।

(ख) १३,११,७१८ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रदर्शन के लिये रखी गई दस्तकारी की वस्तुओं में से कुछ विदेशों में बेची भी गई हैं, और यदि हां, तो उनके विक्रय से कितना धन प्राप्त हुआ है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कुछ देशों में कुछ वस्तुओं की आंशिक बिक्री हुई । केवल मास्को में ही सभी वस्तुएं बिक गई थीं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भविष्य में ऐसे प्रदर्शनों के आयोजित किये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी, हां । अगले वर्ष भी ऐसी ही प्रदर्शनियां आयोजित करने का कार्यक्रम है।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : विदेशों में दस्तकारी की किन वस्तुओं की अधिक मांग है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी विदेशों में ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : विभिन्न देशों की जनता की रुचि पर ही यह सब निर्भर करता है ।

†**श्री बंसी लाल** : इस बात को देखते हुए कि भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं की मांग है, क्या सरकार दिल्ली में या किसी अन्य स्थान पर एक केन्द्रीय प्रदर्शनालय खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : दिल्ली में एक केन्द्रीय प्रदर्शनालय है ।

†**श्री बंसी लाल** : उक्त प्रदर्शनालय दस्तकारी की सभी वस्तुओं के लिये है अथवा किसी विशिष्ट वस्तु के लिये ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी, हां । दस्तकारी की सभी वस्तुओं के लिये क्वीन्सवे पर एक भारतीय केन्द्रीय कुटीरोद्योग प्रदर्शनालय है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को जा कर देखना चाहिये कि वहां क्या हो रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकती हूं कि विदेशों में आयोजित इन मेलों में कुल कितने मूल्य की वस्तुओं के लिये आर्डर प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं उन प्रदर्शनियों के बारे में बता रहा हूं जोकि इस वर्ष के मार्च महीने में आयोजित की गई थीं । हमें इन प्रदर्शनियों के प्रतिवेदन अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि केवल मास्को में प्रदर्शित की गई सभी वस्तुएं बिक गई थीं और अन्य स्थानों में उनका कुछ अंश ही बिका था ।

नारियल के खोपटा और जटा के मूल्य

†* १०७१. **श्री वेलायुधन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल के खोपटे के मूल्य में वृद्धि होने के कारण क्या हैं जबकि नारियल की जटा के मूल्य अथवा मजदूरों की मजूरी में उसी समय कोई वृद्धि नहीं हुई थी; और

(ख) खोपटे के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नारियल की जटा के मूल्य बढ़े नहीं हैं, यह कथन सही नहीं है। नारियल की जटा के मूल्य बढ़ जाने के परिणामस्वरूप खोपटे की मांग बढ़ गई है और इसलिये उसके मूल्य में वृद्धि हुई है ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य में जो कारीगर नारियल से जटा बनाते हैं उनके लिये खोपटे का तीव्र अभाव है और क्या यह खोपटे बड़े व्यापारियों द्वारा लिये जा कर ग्रामों में गरीब

†मूल अंग्रेजी में

कारीगरों को बहुत ऊँचे दामों पर बेचे जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें अत्यधिक दाम देने पड़ते हैं, किन्तु साथ ही नारियल की जटा के मूल्य में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। यह एक भिन्न प्रश्न है, किन्तु मैं अपने प्रश्न के पहले भाग का उत्तर चाहता हूं।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : माननीय सदस्य का प्रश्न अत्यधिक जटिल है।

†**श्री वेलायुधन** : मेरा प्रश्न जटिल अवश्य है।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जब हम इस सदन में नारियल-जटा बोर्ड अधिनियम पर चर्चा कर रहे थे, तब खोपटे पर नियंत्रण के प्रश्न पर भी विचार किया गया था। खोपटों के, जिनको पानी में सड़ा कर जटा बनाई जाती है, बारे में वास्तविक कठिनाई यह है कि उन्हें पानी में काफी समय तक भिगोना पड़ता है, और इस प्रयोजन के लिये जितने धन की आवश्यकता होती है वह सरलता से उपलब्ध नहीं होता है और यही कारण है कि यह कार्य उन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में चला जाता है जिनके पास पर्याप्त धन होता है। त्रावनकोर-कोचीन सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत चिन्ता थी, और धनी लोगों के उस नियंत्रण को दूर करने के विभिन्न उपाय खोजने का प्रयत्न कर रही थी, किन्तु अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। भारत सरकार भी विचार कर रही है कि मौजूदा परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है, किन्तु मेरा ख्याल है कि मेरे मित्र ने स्थिति का वर्णन करने में कुछ अतिशयोक्ति से काम लिया है।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जहां नारियल के मूल्य में, विशेषकर सुगंधित तेलों पर उत्पाद-शुल्क लगाये जाने के बाद, कमी हुई है क्या यह खोपटों के बढ़े हुए मूल्य हैं जो एकदम गिरने से नहीं बच रहे हैं, और क्या सरकार ने सीलोन के खोपरा और सीलोन नारियल के तेल पर निर्यात-शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : सच बात यह है कि, इस सम्बन्ध में कोई भी कल्पना कर लेना बहुत सरल है, क्योंकि आप उसे चाहे किसी भी दृष्टिकोण से क्यों न देखें, उससे एक व्यक्ति समूह विशेष को लाभ होता है, वह उसे पसंद कर सकते हैं या उसकी भर्त्सना कर सकते हैं। और इस विशिष्ट मामले में यह स्पष्ट है कि खोपटों के बढ़ने वाले मूल्य किन्हीं वर्गों के लिये, जिन्हें कि माननीय सदस्य जानते हैं लाभकारी हैं।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में नारियल जटा के लिये कोई विशेष विभाग है और क्या उसने खोपटों के मूल्य में हुई इस वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया है ? इस विभाग ने खोपटों पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया है जिसकी मांग राज्य में पिछले तीन या चार वर्षों से की जा रही थी।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि इस बात को देखते हुये कि हमने राजप्रमुख के लिये एक परामर्शदाता नियुक्त किया है, जिसकी नियुक्ति राजप्रमुख को पसंद नहीं है, तथा हम आशा करते हैं कि स्थिति बहुत जल्दी सुधरेगी।

†**श्री अच्युतन** : क्या मैं जान सकता हूं कि तटीय क्षेत्र में सर्वत्र सहकारी समितियां स्थापित किये जाने में, जिससे कि खोपटों को भिगोने के प्रयोजन के लिये केवल उक्त समितियां ही खोपटों को खरीदें, सहायता देने की योजना को अपनाने के लिये केन्द्रीय सरकार तैयार है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : खोपटों की खरीद के लिये सहकारी समितियां स्थापित करने का प्रयोग अब तक नहीं किया गया है, किन्तु सरकार के समक्ष बातें हैं उनमें से वह एक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वेलायुधन** : चूंकि अब वह एक केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र है, इसलिये मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ। माननीय मंत्री ने कहा है कि खोपटों के मूल्य में कोई अधिक उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। क्या वह मुझे यह बता सकते हैं कि १९५२ और १९५५ में अर्थात् नवम्बर में, खोपटों के मूल्य क्या थे और अब क्या हैं, और उनके मूल्य कितने बढ़ गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मैंने यह नहीं कहा है कि खोपटों के मूल्य बढ़े नहीं थे। मैंने यही कहा है था कि नारियल-जटा के मूल्य में वृद्धि हुई थी।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े हैं ?

†**श्री कानूनगो** : १९५२ के आंकड़ों के बारे में मैं सूचना चाहता हूं।

†**श्री वेलायुधन** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को जो कुछ बताया गया है उससे ही सन्तोष करना चाहिए।

अणु शक्ति का विकास

†*१०७५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक पुस्तकालय के अतिरिक्त इस देश में आणविक शक्ति के विकास क लिये भारत को अमरीका से कोई सहायता प्राप्त होगी; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) इस देश में आणविक शक्ति के कार्यक्रम के लिये अपेक्षित हेवी वाटर और अन्य उपकरणों की २१ टन मात्रा बेचने के लिये अमेरिका सहमत हो गया है। साथ ही उसने आणविक शक्ति विभाग के तत्वावधान में भेजे गये आणविक शक्ति के विकास और उसके प्रयोगों के कतिपय क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भारतीय वैज्ञानिकों को लेना स्वीकार किया है और स्वीकार करने का वचन दिया है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि अमेरिका में कितने भारतीय छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह संख्या इसी समय बताने में मैं असमर्थ हूं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि हाल ही में प्रेसीडेन्ट आइजनहोवर द्वारा जिस सहायता की घोषणा की गई थी उसका भारत सरकार को कोई भाग प्राप्त हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं; जहां तक मुझे ज्ञात है किसी को अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री कामत** : क्या मैं जान सकता हूं कि विगत वर्ष जिनीवा में आणविक शक्ति पर समझौता होने के बाद जिन विभिन्न देशों ने हमें आणविक शक्ति के विकास में सहकार्य और सहायता देने का आश्वासन दिया था उन देशों के सम्बन्ध में इस सहकारी उपक्रम के सम्बन्ध में, अमेरिका को छोड़ कर, क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उक्त उपक्रम की प्रगति कई देशों में, विशेषरूप से ब्रिटेन और फ्रांस में, और अन्य देशों में भी किसी हद तक हुई है। प्रगति कितनी हुई है यह ठीक-ठीक मैं नहीं कह सकता हूँ।

†**श्री कामत** : रूस के बारे में आप क्या कहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा ख्याल है कि रूस से हमारा निकट सम्पर्क है किन्तु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि इस सम्बन्ध में हमने उससे कुछ खरीदा अथवा बेचा है ।

लिस्बन में पाकिस्तान का दूतावास

†***१०७९. श्री डाभी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान प्रेस ट्रस्ट आफ़ इन्डिया को सावंतवाडी से ९ मार्च, १९५५ को प्राप्त एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि गोआ रेडियो ने यह घोषणा की थी कि पाकिस्तान शीघ्र ही लिस्बन में एक दूतावास स्थापित करेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : हां । किन्तु दूतावास खोला गया है ऐसी कोई जानकारी सरकार को प्राप्त नहीं है ।

†**श्री डाभी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार गोआ के पुर्तगाली अधिकारियों को किसी अन्य प्रकार की सहायता भी दे रही है , और यदि हां, तो किस प्रकार से ?

†**श्री सादत अली खां** : यह भली भांति विदित है कि पाकिस्तान सरकार गोआ स्थित पुर्तगाली अधिकारियों को अनेक सुविधायें दे रही है । पहले तो उसने कराची में पुर्तगाली युद्धपोतों को इंधन दिये जाने की सुविधायें दी हैं; दूसरे, उसने कराची, गोआ, डमन और ड्यू के बीच यात्रियों और माल के नौवहन के लिये एक नया मार्ग और वायुसेवायें प्रारम्भ करने के लिये सभी प्रकार से सहायता दी है; तीसरे, उसने पुर्तगाली अधिकृत बस्तियों को चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्यात किया है ।

†**श्री डाभी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के विचारानुसार पाकिस्तान सरकार के यह कार्य भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण कार्य हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : विगत वर्ष भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को राजनयिक तरीकों से बांडुंग सम्मेलन का निर्देश करते हुए और उसे यह बताते हुए कि पुर्तगाल को पाकिस्तान द्वारा प्रदत्त सहायता बांडुंग सम्मेलन के प्रति पाकिस्तान की निष्ठा से असंगत थी, उपयुक्त अभ्यावेदन किये थे । किन्तु पाकिस्तान सरकार का प्रतिकार संतोषजनक नहीं था ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या मैं जान सकता हूं कि हमने पाकिस्तान को जो खाद्यान्न सम्बन्धी सहायता दी थी क्या वह हाल ही में सीधे गोआ भेज दी गई है ? समाचारपत्रों में इस आशय का एक समाचार प्रकाशित हुआ था ।

†**श्री सादत अली खां** : हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री कामत** : मेरा ख्याल है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने--कदाचित प्रधान मंत्री ने--इस सदन को आश्वासन दिया था कि कुछ भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध जिन्होंने अदन, हांगकांग और सिंगापुर के रास्ते से गोआ को वस्तुओं का निर्यात किया था, आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी, किये जाने की की प्रस्थापना थी । क्या ऐसे भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उक्त व्यापारी अदन में थे, न कि भारत में ।

†**श्री कामत** : भारतीय व्यापारी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हां, भारतीय व्यापारी । मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में उनसे सम्पर्क स्थापित किया गया था, और वह इस बात पर सहमत हो गये थे कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेंगे । हम

---

†मूल अंग्रेजी में

उनके विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही नहीं कर सके थे । मैं यह नहीं कह सकता हूं कि इस प्रकार का तस्कर व्यापार समाप्त हो गया है, किन्तु मेरा ख्याल है कि पहले की अपेक्षा वह कम हो गया है ।

†**श्री कामत** : व्यापारियों ने जो कुछ पहले किया था उसके लिये क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो व्यक्ति अदन में रहता हो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती थी ?

†**श्री कामत** : उनमें कुछ व्यापारी बम्बई के भी थे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम भारत में स्थित उनके परिवारों के विरुद्ध तो कार्यवाही कर नहीं सकते हैं ।

†**श्री कामत** : ऐसा बताया जाता है कि बम्बई के कुछ भारतीय व्यापारियों ने अदन के रास्ते गोआ को माल भेजा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि हमारी विधियों के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा कुछ किये जाने का प्रमाण हमारे पास हो, तो निस्संदेह हम कार्यवाही करते हैं । किन्तु जहां तक मुझे जानकारी है, हम विधि का उल्लंघन किये जाने के ऐसे कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं कर सके हैं ।

बागान जांच आयोग

†*१०८१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं । अभी तक उसने अपना पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदन के किस समय तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है

†**श्री करमरकर** : मई के अंत तक ।

काली मिर्च

†*१०८२. **श्री वेलायुधन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च के विदेशी व्यापार को अपने हाथों में ले लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य द्वारा इस सम्बन्ध में कोई परामर्श दिया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). राज्य द्वारा काली मिर्च का विदेशी व्यापार सम्हाला जाये इस आशय का एक प्रस्ताव त्रावनकोर-कोचीन के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री गोविन्द मेनन द्वारा कुछ समय पूर्व प्रस्तुत किया गया था । इस मामले की जांच प्रस्तावित तथा शीघ्र ही स्थापित किये जाने वाले राज्य व्यापार निगम द्वारा की जायेगी ।

†**श्री वेलायुधन** : राज्य व्यापार निगम में जो सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जाने वाला है, क्या काली मिर्च भी राज्य व्यापार की एक वस्तु के रूप में सम्मिलित की गई है अथवा नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : राज्य व्यापार निगम अभी प्रारम्भ होना है और तब इस बात पर विचार किया जाएगा ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार को त्रावनकोर-कोचीन सरकार से इस सम्बन्ध में पहले कोई स्कीम प्राप्त हुई थी कि राज्य व्यापार में क्या वस्तुएँ सम्मिलित की जायें ?

†**श्री करमरकर** : कोई निश्चित योजना नहीं है; मेरे साथी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री और वहां के मुख्य मंत्री के मध्य पत्र-व्यवहार हुआ है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का प्रस्ताव केवल काली मिर्च का था अथवा अन्य मसाले भी उसमें सम्मिलित हैं ?

†**श्री करमरकर** : जहाँ तक मुझे मालूम है, उन्होंने काली मिर्च के निर्यात व्यापार का कोई जिक्र नहीं किया है । अन्य मदों के जिक्र के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

आकाशवाणी केन्द्र, बंगलौर

†***१०८३. श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में यह सामान्य शिकायत है कि आकाश वाणी केन्द्र, बंगलौर का कार्यक्रम सुनाई नहीं देता है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस केन्द्र की प्रसारण क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या सरकार को मालूम है कि हाल में बंगलौर में प्रसारण स्टेशन तथा कार्यक्रम केन्द्र के मध्य का लगभग तीन सौ गज़ रेडिओ तार (केबिल) चुरा लिया गया था ?

†**डा० केसकर** : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कार्यक्रम सुनाई न पड़ने का सम्बन्ध तार (केबिल) की चोरी से है ?

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या इसी कारण से कार्यक्रम सुनाई नहीं देता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट है कि कुछ सामग्री खो गई है । आवाज़ न सुनी जाने का कारण यही है ?

†**डा० केसकर** : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया हूँ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह सच है कि ३०० गज़ केबिल चुरा लिया गया है और यही कारण है कि कार्यक्रम सुनाई नहीं देता ।

†**डा० केसकर** : मुझे तीन सौ गज़ चुराये गये केबिल के बारे में कुछ मालूम नहीं । किन्तु जहाँ तक मैं समझता हूं, मैसूर का वर्त्तमान प्रसारण न केवल मैसूर राज्य में वरन् बाहर भी अच्छी तरह सुना जा सकता है । वास्तव में दक्षिण भारत में यह सब से शक्तिशाली पारेषक है और अन्य राज्यों से मुझे शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि यह पारेषक मैसूर को क्यों दिया, उन्हें क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण (नेफा) के उपद्रव-क्षेत्र की स्थिति

†***१०८४. श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण के उपद्रव-क्षेत्र की परिस्थिति अब नियंत्रण में है; और

(ख) क्या यह सच है कि अतिमार्गी नागा नेता, फिज़ो, ने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका)** : (क) उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण त्वेनसांग फ्रंटियर डिवीज़न में जहाँ गत वर्ष कुछ अशान्ति हुई थी, परिस्थिति नियंत्रण में है। उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण का कोई भी भाग 'उपद्रव-क्षेत्र' घोषित नहीं किया गया था। किन्तु त्वेनसांग फ्रंटियर डिवीज़न की सीमावर्ती नागा पहाड़ी जिले में काफी अशान्ति हुई है। इन उपद्रवों का सामना करने के लिये विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) फीजो फरार हो गया है और उसने नागा पहाड़ियों के जिले में हिंसात्मक कार्यवाहियों में मुख्य भाग लिया है। सरकार इस हिंसात्मक आन्दोलन को दबाने के लिये, जिसमें काफी लूट और हत्या हो चुकी है, कृतसंकल्प है।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या यह परिस्थिति का नियंत्रण सेना ने अपने हाथ में ले लिया है और, यदि हाँ, तो इसकी क्या आवश्यकता थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जो कार्यवाही की जा रही है उसका संचालन सैनिक कमांडर को दे दिया गया है। किन्तु उस क्षेत्र के नागरिक मामले असैनिक-सरकार के ही हाथ में हैं।

†**श्री एम० एल० अग्रवाल** : नागाओं द्वारा इस क्षेत्र में क्या-क्या लूट-खसोट की गयी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बिना पूर्व सूचना के तो यह बतलाना कठिन है। किन्तु काफी लोग मारे जा चुके हैं, नागा तथा अन्य; और हमारी छोटी गश्ती टुकड़ियों पर बन्दूकों आदि शस्त्रों से आक्रमण किया जाता है क्योंकि उनके पास काफी अच्छे बन्दूक आदि शस्त्र हैं। काफी बड़े पैमाने पर आग-लगाने, लूटने तथा हत्या करने के मामले हुए हैं।

†**श्री रिशांग किशिंग** : इस बात की दृष्टि में कि नागा राष्ट्रीय परिषद ने इस समस्या को अन्तिम रूप से तथा शांतिपूर्वक सुलझाने के लिये बार-बार भारत सरकार से बातचीत करने की इच्छा प्रकट की है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उसकी इस प्रार्थना का कोई उत्तर दिया है, और क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि इस समय नागा पहाड़ियों में जो सैनिक कार्यवाही की जा रही है वह कहाँ तक न्यायोचित है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : गत कुछ वर्षों में, मुख्य नागाओं तक नागा राष्ट्रीय परिषद, जिसमें श्री फीज़ो भी सम्मिलित थे, के मध्य बार-बार बैठकें हुई हैं। मैं भी शायद तीन बार श्री फीज़ो से मिला हूं। आसाम के मुख्य मंत्री उनसे मिले हैं। अन्य लोग उनसे मिले हैं। हमन अन्य लोगों से मुलाकात की है। हर अवसर पर उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह ऐसा है कि किसी प्रकार की उचित वार्ता भी समुचित समय तक जारी रखना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि अहिंसात्मक कार्यवाइयाँ बराबर जारी रहीं। जब भी वे हमसे मिलने आये तभी उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाना चाहा—लोगों में यह धारणा फैलायी कि उनके पक्ष में कोई बड़ी चीज़ होने वाली है क्योंकि आसाम सरकार की उन्होंने अवहेलना कर दी है और भारत सरकार से अपनी माँगें मंजूर करा लेंगे। इसलिये हमने स्पष्ट कर दिया है कि दो चीज़ें परमावश्यक हैं जिनके बिना कोई बातें नहीं हो सकतीं। एक तो हिंसात्मक कार्यवाइयाँ त्याग दी जाएँ। दूसरे हम उस क्षेत्र की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर वार्ता नहीं कर सकते। संविधान के अंतर्गत उस क्षेत्र को काफी स्वतंत्रता प्राप्त है। हम संविधान में न्यूनाधिक परिवर्तन करने पर उनसे बात कर सकते थे। यह एक भिन्न चीज़ है। किन्तु उस क्षेत्र को भारत से पृथक करने की बातचीत करने को हम तैयार नहीं हैं और जब कि वहाँ एक प्रकार का विद्रोह सा चल रहा हो तो हम किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूसरा नवांगण

†*१०४७. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री पी० सी० बोस :
श्री आर० के० गुप्त :
श्री मात्तन :

क्या **उत्पादन** मंत्री २४ नवम्बर, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब निर्णय कर लिया है कि भारत में दूसरी पोत निर्माण शाला कहाँ निर्मित की जाएगी; और

(ख) यदि हाँ, तो उस स्थान का नाम ।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निजी क्षेत्र को आवंटित उद्योग

†*१०४८. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र को आवंटित उद्योगों का क्या समय-समय पर सरकार पुनरीक्षण करती है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, हाँ अनुसूचित उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन की प्रगति की जांच का दायित्व उद्योग अभिनियम के अनुसार सरकार पर है । निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों के उत्पादन के आँकड़े प्रति मास प्राप्त होते हैं । विकास विभाग के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा उत्पादन की प्रवृत्ति देखी जाती है और जब भी आवश्यक हो समुचित कार्यवाही की जाती है ।

रंग पदार्थ

†*१०५०. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रंग बनाने के पदार्थों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) किन-किन चीज़ों का निर्माण करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी हाँ । सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है । इसमें कुछ समय लगेगा और तत्पश्चात् सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

कोयला

†*१०५१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो एक करोड़ पचास लाख टन कोयला निकाला जाएगा उसके लिए आवश्यक संयंत्रों व मशीनों का आर्डर दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन आयातित संयंत्रों व मशीनों का क्या मूल्य होगा; और

(ग) किन-किन देशों से यह सामान मंगाया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). कोयला उत्पादन परियोजना के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक संयंत्र तथा मशीनों के आर्डर दे दिए गए हैं। इनका ब्योरा प्रदर्शित करते हुए एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३**]

हथकरघा उत्पादन समितियाँ

†*१०५२. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राज्य सरकारों को हथकरघा उत्पादन समितियों की स्थापना का व्यय श्रेणीबद्ध प्रणाली पर देने को सहमत हो गयी है जिससे कि पर्याप्त प्रबन्धक तथा पर्यवेक्षक स्टाफ रखा जा सके ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : जी, हाँ ।

भारी पानी (हैवी वाटर) संयंत्र

†*१०५४. { **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणु शक्ति संयंत्र के लिये पूर्वावश्यक भारी पानी संयंत्र बनाने के लिये अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य देशों में भारी पानी बनाने की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कोई सामग्री संकलित की है; और

(ग) यदि हाँ, तो भारतीयों के लिये सर्वोपयुक्त प्रणाली के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) नांगल के प्रस्तावित उर्वरक-व-भारी पानी संयंत्र के लिये चुने गये टेक्निकल परामर्शदाताओं से परियोजना प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा की जा रही है

(ख) जी, हाँ।

(ग) परियोजना प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर, जो छः मास में आने हैं, उसका अध्ययन करके निर्णय लिया जाएगा ।

बाढ़ सर्वेक्षण समिति

†*१०५५. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक समिति निर्मित की है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वस्त्र उद्योग

†*१०५६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तकुओं की कुल अनुमानित आवश्यकता कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं समझता हूँ कि प्रश्न का निर्देश सूती वस्त्र उद्योग से है। यह विषय परीक्षाधीन है।

फोटो लिथो छपाई

†* **१०५८. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के फोटो लिथो प्रेस पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है; और

(ख) इस प्रेस में नयी मशीनें लगाने का काम कब तक पूरा हो जायगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) नयी मशीनें लगाने का काम १९५६ के वर्षान्त तक हो जाने की आशा है।

विस्थापित व्यक्तियों को सहायता

†***१०६०. श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के हिन्दू शरणार्थियों को दान के तौर पर कोई कपड़ा दिया गया है;

(ख) किस अभिकरण के जरिये वह दिया गया है; और

(ग) क्या वह दान स्वेच्छा से अथवा अन्यथा था ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). लाहौर में हमारे उप उच्च-आयुक्त को कलकत्ता मारवाडी सहायता सोसायटी से १,००० रुपये का कपड़ा लाहौर के डी० ए० वी० कालेज शिविर के गैरमुस्लिम लोगों को, जो भारत भेजे जाने के लिये कुछ समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, सहायता के तौर पर बाँटने के लिये ऐच्छिक दान के रूप में प्राप्त हुआ है। वितरण उप उच्च आयुक्त की पत्नी ने सोसाइटी के प्रतिनिधियों के समक्ष किया था।

दिल्ली में पदाधिकारियों के लिये रहने का स्थान

†***१०६२. श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली या नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कितने राजपत्रित (गजेटेड) पदाधिकारी रहते हैं; और

(ख) कितने ऐसे पदाधिकारियों को रहने का स्थान दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) लगभग ३,२०० ।

(ख) लगभग २,००० ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि

†***१०६४. मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने कुल कितनी भूमि अर्जन की है; और

(ख) आदिम जातियों की कुल कितनी भूमि थी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठा की जा रही है और वह उपलब्ध होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर-पूर्वीसीमान्त अभिकरण में फिजो की गतिविधियाँ

†*१०६७. **श्री वल्लाथरास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि विद्रोही नागा नेता फिजो बाहर से स्वतंत्र नागा पहाड़ियों में हथियार और गोलाबारूद उस भारतीय सेना से मुकाबला करने के लिये इकट्ठा कर रहा है जो उस क्षेत्र में विद्रोही जत्थे और फिजो को गिरफ्तार करने के लिये तब से प्रयत्न कर रही है; और

(ख) विद्रोही जत्थों के प्रति और नागा क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार की वर्त्तमान नीति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सरकार जानती है कि फिजो ने हथियार और गोलाबारूद इकट्ठा करने का प्रयत्न किया है और उसने नागा पहाड़ियों में हिंसात्मक आन्दोलन संगठित किया है। कोई विदेशी हथियार और गोलाबारूद उसके द्वारा प्राप्त किये जाने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है ।

(ख) शांति और व्यवस्था बनाये रखने और यह हिंसात्मक आन्दोलन दबाने के लिये सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

कोयला खानें

†*१०७२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में गिरिडीह कोयला खानों की आर्थिक कार्यप्रणाली के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण किया है;

(ख) क्या कोई विनिश्चय किये गये हैं; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). प्रतिवेदन परीक्षाधीन है और अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किये गये हैं ।

(ग) उस प्रतिवेदन का परीक्षण पूरा हो जाने के बाद सरकार उस सुझाव पर विचार करेगी ।

कोरियाई युद्धबंदी

†*१०७३. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र कमान ने चीन और उत्तर कोरिया को यह सूचना दी है कि जिन भारतीय बलों ने कोरियाई युद्धबंदियों के प्रत्यावर्तन तक उनका संरक्षण किया था, उनके यात्रा खर्च का आधा भुगतान वह स्विस फ्रैन्क मुद्रा में स्वीकार करेगी;

(ख) यदि हाँ, तो पहले भारत सरकार ने कितना खर्च उठाया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र का क्या खर्च हुआ है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) से (ग). भारत के संरक्षक बल का कुल यात्रा खर्च २६,१७,०५७·३९ डालर हुआ था जो संयुक्त राष्ट्र कमान, उत्तरी कोरियाई और चीन कमान बराबर-बराबर हिस्सों में उठाता था। उपरोक्त कुल धन राशि में से भारत सरकार ने प्रारम्भ में १८,९४,२०० डालर खर्च किया था और शेष ७,२२,८५७·३९ डालर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र कमान की ओर से खर्च किया था। भारत सरकार द्वारा उठाया गया खर्च सम्बन्धित कमानों ने पहले ही लौटा दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शेष ७,२२,८५७·३९ डालर के सम्बन्ध में, उत्तर कोरिया और चीनी कमान ५० प्रतिशत अपना भाग अर्थात् ३,६१,४२८·६९ डालर संयुक्त राष्ट्र कमान को देने वाले थे। एक कमान द्वारा दूसरे कमान को भुगतान किया जाना भारत सरकार का विषय नहीं है। इस व्यय में संयुक्त राष्ट्र का अंश २६,१७,०५७·३९ डालर का ५० प्रतिशत अर्थात् १३,०८,५२८·६९ डालर है ।

चलते-फिरते सिनेमा की मोटर गाड़ियाँ

†*१०७४. **चौ० रघुवीर सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य को सामूहिक परियोजना क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिये चलते-फिरते सिनेमा की मोटर गाड़ियाँ दी जाती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश को ऐसी कितनी गाड़ियाँ दी गयी हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) जी, हाँ ।

(ख) ४४ ।

औद्योगिक क्षत्र (एस्टेट)

†*१०७६. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र चालू करने के लिये ऋण तथा अन्य सुविधाएँ दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). १९५६-५७ में विशाखपटनम् में एक औद्योगिक क्षेत्र चालू करने के लिये आन्ध्र सरकार से वित्तीय सहायता लिये एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी । चूंकि राज्य सरकार ने योजना के पूरे विस्तार नहीं भेजे थे इसलिये वे मंगाये गये हैं ।

नार्थ एवेन्यू फ्लैट्स

६३०. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ एबन्यू के पुराने 'ए' प्रकार के फ्लैटों में कितने कमरे है और ऐसे प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल क्या है;

(ख) नये 'बी', 'सी', 'डी' और 'ई' प्रकार के फ्लैटों में क्रमशः कितने कमरे हैं और इन कमरों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक फ्लैटों में जो फरनीचर दिया गया है उसका ब्यौरा और मूल्य क्या है और उनके लिये प्रति मास क्या किराया लिया जाता है ?

निर्माण, आवास और संभरण के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर) : (क) तथा (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्यान्त्सी दुर्घटना

६३१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रधान मंत्री** १६ अगस्त, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७६ के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत में ग्यान्त्सी-दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के परिवारों को पैंशनें और सहायता देने के प्रश्न पर तब से अब तक कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या दुर्घटना में मृत प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को दी गई धनराशि दिखाने वाला एक विवरण सभा के टेबल पर रखा जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) २२ मामलों पर आखिरी फैसले कर लिए गए हैं। इनमें से १४ पैंशनों और सहायता की में मंजूरी दे दी गई है लेकिन अन्य ८ मामलों में कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। दूसरे १८ मामलों में आखिरी फैसला होने तक, अस्थायी पैंशनों और/या सहायता की मंजूरी दी जा चुकी है। बाकी मामलों पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) एक सूची सदन की मेज़ पर रख दी है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६]**

जूता उद्योग

†६३२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गावों के जूता-उद्योगों की सहायता के लिये कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों को इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ग) धन और वस्तुओं के रूप में जूतों का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) गाँवों के जूता उद्योग को सहायता देने के लिये भारत सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनायी है। जूता कारखानों को चाहे वे गाँवों में हों या नगरों में हों राज्य सरकारें जिन्हें केन्द्रीय सरकार की ओर से मदद भी मिलती है, सहायता देती है।

(ख) चमड़ा और जूता उद्योग के विकास की विशिष्ट योजनाओं के लिये निम्न राज्य सरकारों ने वित्तीय सहायता दी है :

(१) आन्ध्र, (२) मध्य प्रदेश, (३) मद्रास, (४) उड़ीसा, (५) पंजाब, (६) उत्तर प्रदेश, (७) हैदराबाद, (८) जम्मू और काश्मीर, (९) मध्य भारत, (१०) मैसूर, (११) राजस्थान, (१२) त्रावनकोर-कोचीन, (१३) भोपाल।

(ग) देश में चमड़े के जूतों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन साढ़े नौ करोड़ जोड़े हैं जिनका मूल्य ७ से ८ करोड़ रुपये है। १९५५ में बड़े पैमाने के उद्योगों का रबड़ के जूतों का उत्पादन ३·४९८ करोड़ जोड़े था जिसका मूल्य लगभग १ करोड़ रुपये था। छोटे-पैमाने के क्षेत्र में रबड़ के जूतों का उत्पादन बहुत कम है।

औद्योगिक आवास योजना

†६३३. **श्री इब्राहीम :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ वर्ष में बिहार को सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन कितना ऋण और सहायता मंजूर की गयी है; और

(ख) क्या मंजूर किया गया धन पूरा-पूरा काम में लाया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७]**

भूटान से मिलने वाली सड़कें

†६३४. **श्री के० के० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान को भारत से जोड़ने के लिये वहां तक सड़कें बनाने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह किस दशा में है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). ऐसी एक प्रस्थापना है किन्तु अभी वह बिलकुल प्रारंभिक दशा में है।

रुई

†६२५. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के विक्रय तथा क्रय के लिये व्यक्तियों अथवा सहकारी संस्थाओं को कोई लाइसेंस लेना पड़ता है; और

(ख) यदि हाँ, तो लाइसेंस कितने प्रकार के हैं और ये किन शर्तों पर दिये जाते हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). एक विवरण साथ में संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८]**

तुंगभद्रा बांध बिजलीघर

†६३६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा बांध बिजलीघर का छोटा ढांचा पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो जेनरेटर (बिजली पैदा करने के यंत्र) कब लगायें जायेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) बिजली की मशीनें लगाई जा रही हैं और दिसम्बर, १९५६ तक ज़ेनरेटर लगाने का काम भी पूरा हो जायगा।

अमृतसर सीमा पर भारतीय और पाकिस्तानी सीमा पुलिस के बीच गोली काण्ड

†६३७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ मार्च, १९५६ को अमृतसर सीमा पर भारतीय और पाकिस्तानी सीमा पुलिस के बीच दोनों ओर से गोलियाँ चलायी गयीं; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तानी सीमा पुलिस की आक्रमणकारी कार्यवाहियों के बारे में, जिनके फलस्वरूप ये घटनायें हुई, पाकिस्तान सरकार को एक सख्त विरोध-पत्र भेजा गया है।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	९०९२-३४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०४२	सह-अस्तित्व सम्बन्धी साहित्य	१०१२–१३
१०४३	अणु शक्ति विकास सम्बन्धी प्रविधिक पुस्तकालय	१०१३–१४
१०४४	खादी	१०१४
१०४५	विदेशों में भारतीयों की नागरिकता	१०१४–१५
१०४६	समुद्री केकड़ों का निर्यात	१०१५–१६
१०४९	रबड़ गवेषणा प्रतिष्ठान	१०१६–१७
१०५३	प्लाइवुड उद्योग ...	१०१७–१८
१०५७	भारी पानी (हैवी वाटर) संयंत्र	१०१८–१९
१०५९	सरकारी विज्ञापन ...	१०१९–२०
१०६१	पटसन की वस्तुयें	१०२०–२२
१०६३	वित्तीय सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	१०२२
१०६५	पाकिस्तानी विमानों द्वारा उत्क्रमण	१०२२–२४
१०६९	सीमा पर आक्रमण	१०२४–२५
१०७८	मियांवाला अवतार गांव के निकट गोली चलाना	१०२५
१०८०	सीमा पर आक्रमण	१०२५–२७
१०७०	दस्तकारी की उन्नति	१०२७–२८
१०७१	नारियल के खोपरा और जटा के मूल्य	१०२८–३०
१०७५	अणु शक्ति का विकास ...	१०३०–३१
१०७९	लिस्बन में पाकिस्तान का दूतावास	१०३१–३२
१०८१	बागान जांच आयोग ...	१०३२
१०८२	काली मिर्च ...	१०३२–३३
१०८३	आकाशवाणी केन्द्र, बंगलौर	१०३३
१०८४	उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण (नेफा) के उपद्रव-क्षेत्र की परिस्थिति ...	१०३४
	प्रश्नों के लिखित उत्तर ...	१०३५–४१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०४७	दूसरा गवांगण ...	१०३५
१०४८	निजी क्षेत्र को आवंटित-उद्योग	१०३५
१०५०	रंग-पदार्थ ...	१०३५
१०५१	कोयला ...	१०३५–३६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०५२	हथकरघा उत्पादन समितियां	१०३६
१०५४	भारी पानी (हैवी वाटर) संयन्त्र	१०३६
१०५५	बाढ़ सर्वेक्षण समिति ...	१०३६
१०५६	वस्त्र उद्योग	१०३६–३७
१०५८	फोटो लिथो छपाई ...	१०३७
१०६०	विस्थापित व्यक्तियों को सहायता	१०३७
१०६२	दिल्ली में पदाधिकारियों के लिये रहने का स्थान	१०३७
१०६४	विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि ...	१०३७
१०६७	उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में फिजो की गतिविधियां	१०३८
१०७२	कोयला खानें ...	१०३८
१०७३	कोरयाई युद्धबंदी	१०३८–३९
१०७४	चलते-फिरते सिनेमा की मोटर गाड़ियां	१०३९
१०७६	औद्योगिक क्षेत्र (एस्टेट)	१०३९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६३०	नार्थ ऐवेन्यू फ्लैट्स	१०३९
६३१	ग्यान्तसी दुर्घटना ...	१०४०
६३२	जूता उद्योग ...	१०४१
६३३	औद्योगिक आवास योजना	१०४०
६३४	भूटान से मिलाने वाली सड़कें	१०४१
६३५	रुई	१०४१
६३६	तुंगभद्रा बांध बिजलीघर	१०४१
६३७	अमृतसर सीमा पर भारतीय और पाकिस्तानी सीमा पुलिस के बीच गोली काण्ड	१०४१

M 30 LSD—6-6-57—190—GIPF.

सोमवार
2 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

1st Lok Sabha
(XII Session

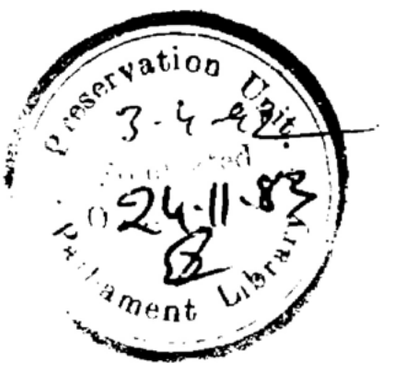

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग--२ वाद-विवाद, खण्ड ३--२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१--बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४--पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२--गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४--पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें--त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के

बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७

अनुदानों की मांगें १८१७–७९

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

पृष्ठ

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १८९२–१९४६
मांग संख्या ८८—नमक १८९२–१९४६
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १८९२–१९४६
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १८९२–१९४६
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८९२–१९४६
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १८९२–१९४६
दैनिक संक्षेपिका १९४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९
प्राक्कलन समिति—
चौबीसवां प्रतिवेदन १९५०
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५०
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... १९५०–५१
अनुदानों की मांगें १९५१–८३
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १९५१–५७
मांग संख्या ८८—नमक ... १९५१–५७
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १९५१–५७
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १९५१–५७
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... १९५१–५७
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५१–५७
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... १९५८–८३
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप १९५८–८३
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८३—खानें १९५८–८३
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... १९५८–८३
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... १९५८–८३
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १९५८–८३
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५८–८३

पृष्ठ

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक १९८३

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक १९८३–२०००

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १९८३–२०००

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) २०००–०६

विचार करने का प्रस्ताव २०००

दैनिक संक्षेपिका २००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २००९

कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब २००९–१०

अनुदानों की मांगें २०१०–७९

मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय २०१०–२४

मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप २०१०–२४

मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८३—खानें २०१०–२४

मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा २०१०–२४

मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज २०१०–२४

मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २०१०–२४

मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २०१०–२४

मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय २०२५–७९

मांग संख्या ४३—वन २०२५–७९

मांग संख्या ४४—कृषि ... २०२५–७९

मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... २०२५–७९

मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय २०२५–७९

मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २०२५–७९

दैनिक संक्षेपिका २०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ... २०८१–२१३९

मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक २०८१–२१३३

मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन २०८१–२१३३

मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा २०८१–२१३३

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९
मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९
मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९
मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध २१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९

अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज २३०९—११

सभा का कार्य ... २३११—१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें ... ... २३१३—८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय २३१३—२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३—२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३—२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३—२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय २३१३—२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय २३२४—७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या २३२४—७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग २३२४—७७

मांग संख्या २०—शिक्षा २३२४—७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४—७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय २३२४—७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय २३७७—८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७—८२

मांग संख्या ३०—अफीम २३७७—८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३७७—८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण २३७७—८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३७७—८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७—८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें २३७७—८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २३७७—८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान २३७७—८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन २३७७–८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७–८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान २३७७–८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन २३७७–८२

दैनिक संक्षेपिका २३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २३८५

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि २३८५–८७

अनुदानों की मांगें २३८७–२४२७

मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय २३८७–२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३८७–२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम २३८७–२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३८७–२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३८७–२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा २३८७–२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३८७–२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान २३८७–२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७—२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५—२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५—२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५—२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५—२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५—२७
वित्त विधेयक	२४२७—३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये भाग १**)

११-२३ म० पू०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे लोक सभा को यह सूचना देनी है कि निम्न विधेयकों पर, जिन्हें चालू सत्र में संसद् के सदनों द्वारा पारित किया गया था, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है :

१. स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक, १९५५;

२. विक्रय-कर विधि मान्यीकरण विधेयक, १९५६;

३. पूंजी निर्गम (नियन्त्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक, १९५६;

४. जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक, १९५६; और

५. नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक, १९५६ ।

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका

†**श्री टी० एन० सिंह** : (जिला बनारस पूर्व) : मैं विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, १९५६ के सम्बन्ध में ३८ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

*अनुदानों के लिये मांगें

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा पुनर्वास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर वाद-विवाद पुनः आरम्भ करेगी । इस मंत्रालय की मांगों के लिये बंटित ७ घंटों के समय में से ३ घण्टे १९ मिनट पहले ही समाप्त हो चुके हैं और अब ३ घण्टे ४१ मिनट शेष हैं ।

श्री अजित सिंह अब अपना भाषण जारी रखेंगे ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री अजित सिंह (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : परसों मैं अपनी स्पीच में यह कह रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी गवर्नमेंट की जो पालिसी (नीति) रिफ्यूजीज़ (शरणार्थियों) को फिर से बसाने की है वह बहुत अच्छी है मगर जब उसको इम्प्लीमेंट (लागू) करने वाले अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हमें इस बात को देख कर दुःख होता है। मैं आपको उनकी कुछ तस्वीर बतला रहा था कि वे किस तरह से इस काम को करते हैं। पहले हम यह पास कर चुके हैं कि जो प्रापर्टी (सम्पत्ति) दस हजार तक की होगी उसको नीलाम नहीं किया जायेगा बल्कि उसको उन्हीं लोगों को दे दिया जायेगा जो उसमें बैठे हुए हैं। उसको लेने का यह ढंग अख्तियार किया गया कि उस प्रापर्टी की कीमत का एक चौथाई से लेकर एक तिहाई तक पहले ले लिया जाये। यह रकम दो हजार से ढाई तीन हजार तक बनती है। अगर कोई गरीब आदमी इस रकम को नहीं दे सकता तो उसे उस मकान से निकालने की तजवीजें हैं। सन् १६५०—५१ में गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि जो उन मकानों की जमीन है उसकी कीमत साढ़े सात रुपया गज के हिसाब से लगायी जायेगी। कुछ आदमियों के साथ इस किस्म का एग्रीमेंट (करार) भी किया गया था कि वह जमीन उनको ६६ साल के लीज पर दी जायेगी और उसका किराया साढ़े ४७ रुपये सालाना के हिसाब के वसूल किया जायेगा।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

अब इस पर इस तरह अमल किया जा रहा है कि उस जमीन की कीमत जोकि ढाई या तीन हजार के करीब बनती है उसको पहली कीमत से जो कि ५,००० थी मिलाकर साढ़े सात से १०,००० तक बना दिया गया है। मेरी अर्ज यह है कि यह इनजस्टिस (अन्याय) काबिले बरदाश्त नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि ऐसी इनजस्टिस नहीं होनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, यानी जो गरीब आदमी इतना रुपया नहीं दे सकता वह मकान में नहीं रह सकेगा। हमारे मिनिस्टर साहब ने परसों मेरी स्पीच में इन्टरवीन (अन्तर्वाधा) करते हुए कहा था कि राजस्थान के रिफ्यूजीज के लिये उन्होंने १५ साल की मियाद मुकर्रर कर दी है कि इस मियाद के अन्दर वह जमीन का रुपया अदा कर दें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या १५ साल के बाद वे उस जमीन के मालिक बन जायेंगे। अगर आप की पालिसी के मुताबिक वे मालिक बनते हैं तो क्या वजह है कि उन लोगों के साथ यह सलूक न किया जाये जो कि लाजपतनगर में, या मालवीय नगर में या कालकाजी कालोनी में रहते हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि आप उनके साथ भी वही सलूक करें जो कि आप राजस्थान वालों के साथ कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव तो यह है कि जो जमीन की कास्ट (मूल्य) लगायी गयी है उसके बजाय उन लोगों को वह जमीन ६६ साल की लीज पर साढ़े ४७ रुपये सालाना किराये पर दी जाये। तभी गवर्नमेंट की पालिसी काबिले तारीफ हो सकती है। मेरी दूसरी तजवीज यह है कि जो मकान बने हुए हैं उनकी कीमत बीस साल में वसूल की जाये क्योंकि थोड़ा कमाने वाले डेढ़ सौ या २०० रुपयों की किश्त नहीं दे सकते। तीसरी चीज मैं यह चाहता हूं कि उनसे लम्पसम (इकट्ठी धनराशि) के तौर पर चौथाई या तिहाई कीमत न ली जाये बल्कि ज्यादा से ज्यादा दस पर-सेंट (प्रतिशत) लिया जाये। चौथी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि पहले यह तै किया गया था कि जिस फैमिली में ५ आदमी हैं उसको एक मकान मिलेगा और जिसमें इससे ज्यादा आदमी हैं उसको दो। अब कुछ ऐसे मकान हैं जिनमें दो-दो फैमिलीज बसी हुई हैं। अब प्रोपोजल (प्रस्ताव) यह है कि जो छोटा क्लेमेंट (दावेदार) है वह बड़े क्लेमेंट का किरायेदार बन कर रहे। मैं अर्ज करूंगा कि बजाय छोटे क्लेमेंट को इस इनफीरियर पोजीशन (हीन स्थिति) में डालने के आप उससे कीमत ले लें। उन लोगों ने अपने क्वार्टरों को अच्छा बनाने के लिये हजार से लेकर डेढ़ हजार रुपया तक खर्च किया है। अगर आप उनको जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने कितना रुपया खर्च किया है।

मेरा दूसरा प्वाइंण्ट यह है कि डिस्प्लेस्ड परसन्स क्लेम्स ऐक्ट (विस्थापित व्यक्ति दावे अधिनियम में) के मातहत डिस्प्लेस्ड कम्पनीज के क्लेम लिये गये थे, वे वैरीफाई (जांच) हुये। वे सन् १९५१-५२ से आज तक इस इन्तिजार में हैं कि गवर्नमेंट उनको कुछ दे। मगर हुआ क्या है ? नये कम्पेन्सेशन ऐक्ट १९५४ की डेफीनीशन २ और क्लाज ई० २ में यह दिया गया है कि जांच किये गये दावे का अर्थ यह है कि विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम १९५० के अधीन पंजीबद्ध कोई भी दावे। किन्तु इसमें किसी कम्पनी के दावे शामिल नहीं किये जा सकते। लोगों के क्लेम भी वैरीफाई हो चुके हैं मगर उनको कुछ नहीं मिलने का है। परसों मेहर चन्द खन्ना जी ने बताया था कि एडवाइजरी (मंत्रणा) बोर्ड के जो भी सजेशन्स (सुझाव) हैं उन पर वह गौर करते हैं और उनको मानते हैं। मेरी इतला यह है कि एडवाइजरी बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि इस कानून को अमेंड (संशोधन) किया जाये और दूसरे उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आप क्लेम की शक्ल में कुछ नहीं देते हैं तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट (पुनर्वास अनुदान) दी जाये। तो मेरी यह बड़ी आजिजाना इल्तजा है कि आप उनके वैरीफाइड क्लेम्स को एनटरटेन (स्वागत) करें और उनको जो भी मुनासिब हो वह दें।

मेरा तीसरा प्वाइंट यह है कि पंजाब में कुछ इवैक्वी (निष्क्रान्त) फैक्टरीज थीं जो कि डिसप्लेस्ड परसन्स को किराये पर दे दी गई थीं। कई केसिस (मामलों) में तो लीज पर भी यह दी गई थीं। मैं अर्ज करता हूं कि इन लोगों न जितना लीज मनी दिया है वह इन फैक्टरीज का जो एक्चुअल कैपिटलाइज्ड मनी (वास्तविक पुंजीगत धन) है उससे भी ज्यादा दे दिया है। फरवरी १९५६ में श्री भोंसले के साथ चंडीगढ़ में कुछ रिप्रिजेंटेटिव (प्रतिनिधि) मिले थे और इन फैक्टरीज के बारे में उन्होंने उनसे कहा था। भोंसले साहब ने उनको बताया था कि १ अप्रैल १९५५ के बाद इन लोगों से कोई किराया नहीं लिया जायेगा और यह जो फ्रैक्टरीज हैं वह इन्हीं लोगों को दे दी जायेंगी अगेंस्ट देयर वेरिफाइड क्लेम्स (उनके जांच किये गये दावों के अनुसार)। जनाबेवाला, इस एश्योरेंस पर कोई अमल नहीं किया गया है। मेरे विचार में रिहैब्लिटेशन मिनिस्टरी को एक कमर्शल कंसर्न (व्यापारिक संस्था) नहीं बनाया जाना चाहिये। यह मिनिस्टरी लोगों को बसाने के लिये है न कि कमाई करने के लिये। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि यह जो एश्योरेंस दी गई थी इस पर अमल किया जाये।

चौथा प्वाइंट मेरा लाहौर से जो रिफ्यूजीज आये हैं उनके बारे में है। लाहौर में एक कारपोरेशन (निगम) बनी थी जिसके अन्दर तकरीबन ८० गांव आते थे। जब लोग यहां आये तो कुछ लोगों को तो 'ए' ग्रेड जमीन दे दी गई और दूसरों के साथ वादा किया गया कि उनको जमीन बाद में दी जायेगी क्योंकि जमीन अवेलेबल (प्राप्त) नहीं है। अब इन लोगों को जिनके साथ कि बाद में जमीन देने का वादा किया गया था कहा जा रहा है कि वे जमीन के बजाय इतना पैसा ले लें। यह पैसा उनको जमीन के एवज में दिया जा रहा है। मैं इसको डिसक्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट (पक्षपातपूर्ण व्यवहार) मानता हूं। ऐसा स्लूक नहीं होना चाहिये। इन जमींदारों को जमीन के बदले जमीन ही दी जानी चाहिये। अगर आपने उनको पैसा दिया तो वह ये लोग खर्च कर जायेंगे और फिर बरबादी की हालत में पहुंच जायेंगे। इस वास्ते आप उनको जमीन ही दीजिये। अगर आपके पास 'ए' ग्रेड जमीन नहीं है तो आप उनको इस की प्रोपोर्शन (अनुपात) में दूसरी जमीन दे दीजिये।

पांचवां प्वाइंट मेरा शैड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जातियों) के जो लोग हैं उनके बारे में है। बेशक ये लोग इतने धनाढ्य नहीं थे, ये लोग इतने अमीर नहीं थे मगर जो कुछ भी उनके पास था वह वे पाकिस्तान छोड़ आये हैं और उनको अपनी चीजें लाने नहीं दी गई हैं। ये लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, यह नहीं जानते हैं कि कानून क्या चीज है। इन लोगों ने कोई क्लेम्स वगैरह नहीं दिये हैं। मेरी दरख्वास्त यह है कि ये लोग जिन छोटे-मोटे मकानों में रह रहे हैं, जिन मड हाउसिस (मिट्टी के मकान) में रह रहे हैं, उनसे इन को एविक्ट (निष्क्रमण) न किया जाये। आज उनको फोर्सिबली (बलात) एविक्ट

[श्री अजित सिंह]

किया जा रहा है और इनकी जगह पर दूसरों को बसाया जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन गरीब लोगों का आप जरूर ध्यान रखें, इनके साथ कुछ प्रेफ्रेंशल ट्रीटमैंट (और अच्छा बर्ताव) करें। ये गरीब लोग हैं, ये आपके पास नहीं पहुंच सकते, आपके दरवाजे नहीं खटखटा सकते, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इनके बारे में हम ही थोड़ी बहुत कह देते हैं। इस वास्ते इनका ख्याल करना भी आपका फर्ज है।

अब छठा प्वाइंट मेरा यह है कि जैसे आपने भी कहा है और सुचेता बहन ने भी कहा है कि लाजपतनगर, कालकाजी और मालवीयनगर के जो रिफूजीज हैं उनका भी कुछ खयाल किया जाये। मैं मानता हूं कि इन लोगों ने ज्यादती की है, इलीगल पोसेशन (अवैध अधिकार) लिया है। लेकिन फिर भी आपको इनके केसिस को सिमपेथेटिकली कंसिडर (सहानुभूति से विचार) करना चाहिये। ये लोग पिछले महीने की २२ तारीख से पंडित नेहरू की कोठी के बाहर भूख हड़ताल पर हैं.....

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : रोटी पकाते हैं, और खाते हैं।

श्री अजित सिंह : हां, वहां पर इन्होंने लंगर लगा रखा है और इस लंगर के लगाने की जिम्मेदारी आप ही पर है। आप मेहरबानी कर के इनकी तरफ भी ख्याल करें। मैं उन लोगों को केस को बिल्कुल भी सपोर्ट (समर्थन) नहीं करता हूं जिनके पास पहले ही से मकान हैं, चाहे वह हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में हों। लेकिन जो अनाथ हैं, उनका आप खयाल कीजिये। साथ ही साथ मैं आपकी इस पालिसी को सपोर्ट नहीं करता हूं कि आप दो आने गज जमीन खरीदें और उसी को २६ रुपये फी गज के हिसाब से बेचें। यह कहा जाता है कि मार्किट वैल्यू (बाजार के भाव) बढ़ गई है। मैं पूछता हूं कि मार्किट वैल्यू बढ़ाने वाले कौन लोग हैं। इन्हीं लोगों के वहां जाकर बसने से मार्किट वैल्यू बढ़ी है। इन्होंने उन जगहों को आबाद किया है जहां पहले गीदड़ बोला करते थे, सांप चला करते थे और बड़े-बड़े बिच्छू पाये जाते थे। इस वास्ते आप यह खयाल न करें कि इन जगहों की कीमत पहले से ही बढ़ी हुई थी। इन लोगों के वहां आबाद होने से ही मार्किट वैल्यू बढ़ी है।

अब जो स्माल क्लेमेंट्स (छोटे दावेदार) हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप्र जो बड़े-बड़े क्लेमेंट्स हैं उनमें तो काफी इन्ट्रेस्ट (दिलचस्पी) ले रहे हैं और आपके ऐसा करने से थोड़े आदमी ही बसाये जा सकते हैं। आप जो यह आकशन (नीलाम) प्रापर्टीज की कर रहे हैं उससे छोटे क्लेमेंट्स को बहुत नुकसान हो रहा है। ७,००० रुपये की जो प्रापर्टी होती है उसकी आकशन में १५,००० और जिसकी १५,००० कीमत होती है उसकी ३५,००० कीमत पड़ती है। जनाब्रेवाला यह ऐसे होता है कि जब कम्पीटीशन (होड़) होता है, जब बोली शुरू होती है तो छोटा क्लेमेंट तो ज्यादा बोली नहीं दे सकता लेकिन जो बड़ा क्लेमेंट है वह यह समझता है कि पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं, इस वास्ते अगर प्रापर्टी महंगी भी मिल जाये तो अच्छा ही है। इस चीज को ध्यान में रखकर वह ओवरबिड करता है। और जो छोटा क्लेमेंट है वह देखता ही रह जाता है। इस पालिसी से आप बहुत थोड़े आदमियों को रिहैबिलिटेट कर पायेंगे। मैं अर्ज करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आदमी रिहैबिलिटेट हों, तो आपकी मिनिस्ट्री को कोई ऐसी पालिसी बनानी चाहिये कि जो बड़ा क्लेमेंट है वह एक ही प्रापर्टी खरीदे और एक से ज्यादा प्रापर्टी पर वह बिड न कर सके। आज आपकी पालिसी का नतीजा यह हो रहा है कि बजाय ज्यादा आदमियों को बसाने के थोड़े आदमियों को ही आप बसा पा रहे हैं। आपकी कोशिश यह होनी चाहिये कि जिस तरह से भी हो ज्यादा से ज्यादा आदमियों को बसाया जाये.....

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पंजाब में जो क्वैसी परमानेंट (अर्द्ध-स्थायी) एलाटमेंट्स थीं, अब हम उन्हें मुकम्मल कर रहे हैं, उसके मुताल्लिक आपका क्या खयाल है। क्या आप यह चाहते हैं कि वहां

†मूल अंग्रेजी में

जिनको २०० या ५०० या ७०० एकड़ जमीन दी गई है और जब उनकी एलाटमेंट को जो परमानेंट किया जा रहा है, क्या उसमें से भी मैं कुछ काट दूं या न काटूं ?

श्री अजित सिंह : आपके कहने का जो ढंग है वह बहुत अच्छा है । मेरा मतलब यह है कि वही काम किया जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा रिफ्यूजीज को सेटल (बसाना) किया जा सके । मैं किसी को प्रेफ्रेंशल ट्रीटमेंट देने के हक में नहीं हूं, मैं तो यह चाहता हूं कि वही काम किया जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सेटल हो सकें ।

†**सभापति महोदय** : क्या पंजाब में ऐसा नहीं है कि विस्थापितों को जो भूमि दी गई है उसका ७५ प्रतिशत भाग, आर्थिक अंश नहीं कहा जा सकता ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पंजाब में अर्द्ध-स्थायी आवंटन योजना इस प्रकार है कि जो छोटी जमीनों के मालिक थे उन्हें कम से कम ७५ प्रतिशत भूमि दी गई है । यदि पाकिस्तान में किसी के पास २ एकड़ जमीन थी तो यहां हम उसे १० एकड़ नहीं दे सकते ।

†**सभापति महोदय** : प्रधान मंत्री का मत तो यह था कि पुनर्वास के लिये यथासम्भव भूमि दी जाये किन्तु पंजाब सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया । उस समय आप यहां नहीं थे ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : आप जानते हैं कि सारी भूमि दो योजनाओं के अधीन दी गई है । अर्द्ध-स्थायी आबण्टन योजना के अधीन जो क्षतिपूर्त्ति से सम्बन्धित है, भूमि एक स्तर के अनुसार दी गई है और जहां पुनर्वास के लिये भूमि दी गई है, वहां शायद ही कहीं १० एकड़ से कम दी गई है जैसा कि राजस्थान या अन्यत्र हुआ है ।

†**सभापति महोदय** : यह सिद्धान्त तो उत्तम है किन्तु पंजाब सरकार ने इसे नहीं अपनाया है । अन्य स्थानों पर तो इसे लागू किया गया है ।

श्री अजित सिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाने की हमें कोशिश करनी चाहिये ।

अब मैं कुछ इंस्टेंसिस (उदाहरण) आपके सामने रखना चाहता हूं । मैंने पहले यह चार्ज मिनिस्टरी के खिलाफ लगाया है कि यह अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है, इसकी जो मैशीनरी है वह ठीक नहीं है । इस चीज को साबित करने के लिये कि क्या कुछ हो रहा है, मैं कुछ मिसालें आपकी खिदमत में पेश करता हूं । एक कैप्टेन तीर्थ सिंह पटियाला से हैं जिन्होंने अपना क्लेम ६८,००० रुपये का दिया । क्लेम की पांच शीट्स थीं । जब वह वेरिफिकेशन आफिसर के पास गया तो उसने कैप्टेन तीर्थ सिंह को बुलाया । लेकिन उसने वेरिफिकेशन की सिर्फ एक ही शीट पर वेरिफाई किया । जब उन्होंने पूछा कि दूसरी शीट्स कहां हैं, तो जवाब दिया गया कि दिल्ली से उसके पास सिर्फ एक ही शीट भेजी गई है, बाकी की चार शीट्स नहीं भेजी गई हैं । मैंने मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी, उसके जवाब में मुझे बतलाया गया कि दावे की मांग देर से करने के लिये स्वयं कैप्टेन तीरथ सिंह जिम्मेदार हैं क्योंकि देर से मांग करने पर उस दावे के बारे में पूरे लिखित प्रमाण होने चाहियें । इस विषय में उनकी पांचों शीट्स पर विचार किया गया था आपकी मिनिस्ट्री यह मानती है कि पांच शीट्स आई हैं । लेकिन मेरे पास वेरिफिकेशन आफिसर का लिखित सबूत मौजूद है जिसमें उसने लिखा है कि एक ही शीट वेरिफिकेशन के लिये भेजी गई । आप खुद सोच सकते हैं कि यह कैसे ठीक हो सकता है, और कैसे कैप्टेन तीरथ सिंह पूरी प्रापर्टी का सबूत देते जब कि उनके पास सिर्फ एक ही शीट थी । दूसरी बात यह है कि टाइम कंडोन (विलम्ब की क्षमा) होता है पूरे क्लेम पर, न कि अलग-अलग शीट पर । मैं इस मामले को हाउस पर ही छोड़ता हूं, वह इस पर विचार करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अजीत सिंह]

अब मैं दरिया रावी और सतलज के बार्डर 'सीमा' की बात करता हूं । वहां पर कुछ लोगों की जमीन डिमार्केशन (सीमा) लाइन की परली तरफ रह गई है और पाकिस्तान में आती है । वह लोग रिफ्यूजी नहीं हैं, मगर उनकी जमीनें दूसरी तरफ रह गई हैं । मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि उन लोगों के लिये कुछ खयाल किया जाय ।

इसके बाद मैं बार्डर के मुसलमानों के बारे में कुछ जिक्र करना चाहता हूं । वह जो मुसलमान हिन्दुस्तान में थे उनको चूंकि उस वक्त कम्यूनल डिस्टर्बेन्सेज (साम्प्रदायिक उपद्रव) थे इसलिये वहां से बाहर भेज दिया गया था । उनमें से कई लोग तो पाकिस्तान चले गये हैं, लेकिन बाकी जो लोग इधर रह गये हैं उनको अब तक उनके घर वापस नहीं मिले हैं । मेरे पास इसके इन्स्टैन्सेज भी हैं, अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूं । मैं दरख्वास्त करूंगा कि उन मुसलमानों को फिर उनके मकान दिलाये जायें ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि यह सजेस्ट (सुझाव) किया गया था और हमारे बुजुर्ग भार्गव जी ने भी कहा था, कि भोंसले साहब को कुछ ज्यादा अख्त्यार दिये जायें ताकि वह पंजाब के रिफ्यूजीज के कैसेज को अच्छी तरह से डील (विचार) कर सकें । उनके पास बहुत कम अख्त्यारात हैं और जब हम उनके पास कोई केस लेकर जाते हैं तो वह कहते हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं । इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन को कुछ ज्यादा अख्त्यारात दिये जाने चाहियें ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं चाहता हूं कि आप मुझे बतला दें कि कौन सा केस आप भोंसले साहब के पास लेकर गये थे जिसके लिये उन्होंने आपसे कह दिया कि मेरे पास अख्त्यार नहीं है । क्या आप किसी केस का हवाला दे सकते हैं ?

मैं चाहता हूं कि माननीय मेम्बर को दो मिनट और दे दिये जायें ताकि मुझे मालूम हो जाय ।

जो टाइम सभापति मुझे दे देंगे उस में से आप दो तीन मिनट उनको दे दें ताकि वह मुझे बतलायें कि वह कौन से केसेज हैं जिनको लेकर आप भोंसले साहब के पास गये और उन्होंने कह दिया कि उनमें वे दखल नहीं दे सकते । अगर भोंसले साहब यहां होते तो खुद जवाब दे देते ।

श्री अजित सिंह : शायद आनरेबल मिनिस्टर का खयाल है कि मैं यों ही कह रहा हूं । एक तो मैं लाजपतनगर का केस ले कर उन के पास गया हूं और उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, खन्ना साहब इन्चार्ज हैं ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : लाजपतनगर के बारे में तो आप प्राइम मिनिस्टर को भी लिख चुके हैं, भोंसले साहब को ही नहीं ।

श्री अजित सिंह : मैंने भोंसले साहब को भी लिखा था ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : आप ने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है, उसमें मैं और भोंसले साहब दोनों आ गये ।

श्री अजित सिंह : इसके अलावा पंजाब के कुछ ऐसे केसेज हैं जिनके मुताल्लिक मैंने लिखा था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के कुछ गरीब आदमी हैं, उनको एविक्ट किया जा रहा है । साथ ही कुछ आदमी ऐसे हैं जिनके लिये आपने ३०० रु० की किश्त मुकर्रर कर दी थी और उनको माफ कर दिया जायेगा, लेकिन कुछ आदमियों ने ३००·रु० से ज्यादा ले रखा था । उन के मुताल्लिक मैं ने अर्ज किया था कि वह स्पेशल केसेज हैं उन को भी आप माफ कर दें तो अच्छा होगा । इस पर भी मुझे यही जवाब दिया गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं भी नहीं कर सकता हूं । अगर आप यह चाहते हैं कि जो पालिसी के सवालात हैं, अगर ३०० रु० की लिमिट (सीमा) है तो उस को ५०० रु० कर दिया जाय तो इसको तो मेहर चन्द खन्ना भी नहीं कर सकता । आखिर जो चीज पालिसी की है उसका फैसला करने के लिये जरूरी है कि मुझे अपने क्लीग्ज (साथियों) से बात करनी पड़ेगी, फाइनैन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) के पास जाना पड़ेगा, कैबिनेट के पास जाना पड़ेगा । यह कह देना कि चूंकि सरदार अजित सिंह कह रहे हैं इसलिये कोई मिनिस्टर ३०० को ५०० कर दे या ५०० को १००० कर दे, जो नानक्लेमेंट्स बैठे हैं उनको क्लेमेंट्स कर दे, चार या आठ साल की किस्तों को बीस या तीस साल की कर दें, तो यह तो कोई भी मिनिस्टर नहीं कर सकता है, न मेहर चन्द और न भोंसले ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते हुये सम्बन्धों से करोड़ों व्यक्तियों का भाग्य अनिश्चित हो गया है, विशेषत: अल्प-संख्यक सम्प्रदायों के व्यक्तियों का जो कि सीमा छोड़ कर सहायता तथा सुरक्षा पाने के लिये भारत आ रहे हैं । किन्तु मैं श्री एन सी० चटर्जी और श्रीमती सुचेता कृपालानी के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि हमें इसका बदला जूट मिलों तथा गोदियों में, काम करने वाले मजदूरों से लेना चाहिये । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यही वे लोग हैं, जिन्होंने अभी दो वर्ष पूर्व अंग्रेजों व पाकिस्तान की सरकार का बहादुरी से मुकाबला किया था और साम्प्रदायिक दंगों के बीच 'हिन्दू मुसलमान भाई भाई' के नारे लगाये थे । क्या हमें उनसे बदला लेना चाहिये ? यह समस्या बहुत जटिल है सभी को ज्ञात है कि इस मामले में अमेरिका का कितना हिस्सा है । इसीलिये इस समस्या का हल इन बातों से नहीं होगा बल्कि इससे कहीं ऊंचे स्तर पर होगा ।

अब तक पुनर्वास की समस्या पर टाल-टूल की जाती रही है । अन्यथा यह कैसे सम्भव था कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये ३६·८५ लाख शरणार्थियों में से अधिकांश अभी तक विस्थापित ही रहते ! मैं समस्या की गम्भीरता से परिचित हूं । तथापि इसके हल न होने के अन्य कारण हैं । मुख्य कारण यह है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने समस्या को राष्ट्रीय आपात स्तर पर हल करना नहीं चाहा है । सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे इस बात का परिचय मिले कि सरकार इसे आपात समझती है । विशेषत: पश्चिमी बंगाल का पुनर्वास मंत्रालय तो इस समस्या के हल करने में पूरी तरह असमर्थ रहा है, क्योंकि वह कभी अपने संकुचित दृष्टिकोण और गुटबन्दी से बाहर नहीं निकल सका है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और मैं पश्चिमी बंगाल सरकार की कोई भी आलोचना जिसे मेरी माननीय बहिन करना चाहें—सुन सकता हूं; –तथापि मेरे विचार से जब कि यहां पश्चिमी बंगाल सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार के द्वारा ही सारा काम कर रही है और बिना उसकी आलोचना किये पुनर्वास प्रस्तावों की आलोचना करना सम्भव नहीं है । अब तक जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया उन्होंने केवल साधारण नीति की चर्चा की है । किन्तु मैं, विस्तृत नीति की आलोचना करना चाहती हूं । क्योंकि पुनर्वास एक जटिल समस्या है ।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिमी व जिला राय बरेली—पूर्व) : औचित्य प्रश्न पर, मेरे विचार से यह कहना ठीक नहीं है कि पश्चिमी बंगाल का जिक्र न किया जाय, क्योंकि यह एक समवर्ती विषय है । जहां कहीं भी पुनर्वास का काम होता है, भारत सरकार और राज्य सरकारें इसे साथ-साथ करती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । उन्होंने यह कहा कि पंश्चिमी बंगाल का कोई प्रतिनिधि अपनी सफाई पेश करने के लिये यहां उपस्थित नहीं है । केन्द्रीय सरकार पश्चिमी

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

बंगाल सरकार को धन राशि देती है और उसके कार्यों पर नियन्त्रण करती है । इसलिये माननीय सदस्य उन कार्यों की अवश्य आलोचना कर सकते हैं, जिनके लिये केन्द्रीय सरकार से सहायदता दी जाती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पुनर्वास की समस्या बहुत जटिल है । शरणार्थी सभी वर्गों, श्रेणियों और पेशों के होते हैं । उनमें स्वस्थ, अपंगु नागरिक और ग्रामीण सभी लोग होते हैं ।

इसीलिये हमने सरकार से बार-बार यह प्रार्थना की है कि वे इस समस्या पर दो पहलुओं से विचार करें । पहिला तो यह कि वे शरणार्थी पुनर्वास की समस्या को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ मिला लेवें और दूसरे यह कि बंगाल जैसे घनी जनसंख्या वाले राज्य में, शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये किसी भी छोटे किसान, चाहे वह रैयत हो अथवा साझीदार, की जमीन न ली जाय । इन किसानों से शरणार्थियों के लिये जमीन लेने की नीति ने शरणार्थियों तथा स्थानीय व्यक्तियों में मनमुटाव, ईर्षा व द्वेष की भावना उत्पन्न कर दी है जिसका परिणाम शरणार्थियों के लिये बहुत अहितकर होगा; बिना स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग के पुनर्वास की समस्या हल नहीं हो सकेगी ।

इसलिये यह स्पष्ट है कि गैर-सरकारी स्तर पर सर्वदलीय समितियों की स्थापना किये बिना हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं और ये समितियां भी, गांव व जिले के स्तर से प्रारम्भ होकर सर्वोच्च स्तर तक की होनी चाहियें । मैं कई बार इन समितियों की स्थापना के सम्बन्ध में कह चुकी हूं और सरकार ने उतनी ही उपेक्षा से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है ।

श्री जैन ने इस सभा के अन्दर तथा बाहर भी यह कहा था कि पुनर्वास की समस्या हल हो गई है—यहां तक कि वह मंत्रालय को ही समाप्त करना चाहते थे । तब हमने ही इस बात पर जोर दिया था कि जब तक सारे शरणार्थियों को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक यह नहीं समझा जाना चाहिये कि वास्तविक समस्या हल हो गई है । जब पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के सम्बन्ध में तथ्यान्वेषी समिति बनी तो, वह जिन निष्कर्षों पर पहुंची उसने हमारी ही बातों का समर्थन किया । हमने बंगाल के बाहर की शरणार्थी बस्तियों के सम्बन्ध में भी कहा । इस सम्बन्ध में भी हमारी बात में अधिक सत्य था । सरकार अनधिकृत बस्तियों को नियमित नहीं करना चाहती थी । हमने सरकार से उन्हें नियमित करार देने को कहा था । अन्त में कुछ समय पश्चात उन्हें ऐसा करना पड़ा ।

यहां संसद् सदस्यों की परामर्श दात्री समिति है । इसमें हम श्री मेहर चन्द खन्ना से बातचीत कर सकते हैं । लेकिन पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास मंत्री से चर्चा करना उतना सरल नहीं है । कारण यह है कि संसद् सदस्यों की बैठकों में विधान सभा के सदस्य नहीं आ सकते और न विधान सभा के सदस्यों की बैठकों में संसद् सदस्य । मेरे विचार से यह भी एक कारण है कि हम इस महत्वपूर्ण समस्या का हल नहीं कर सके हैं ।

यदि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों से तुलना की जाये तो ज्ञात होगा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों पर जो कुछ खर्च किया जा रहा है, पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों पर वह भी खर्च नहीं किया जा रहा है । सरकार द्वारा दी गई पुस्तिका से ज्ञात होता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये प्रतिकर पुंज (पूल) पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की अपेक्षा अधिक है पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये केवल ८६·५९ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं जब कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये प्रतिकर पुंज की राशि को घटा कर १७४·१४ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब आप अनुदानों का प्रश्न लीजिये । पश्चिमी पाकिस्तान का एक प्रतिकर पुंज भी है तो भी उन्होंने अनुदानों के रूप में ४१·२२ करोड़ रुपये दिये हैं, जब कि पूर्वी पाकिस्तान के व्यक्तियों को केवल ३६·५६ करोड़ रुपये मिले हैं । वर्ष १९५५–५६ में भी—जब कि पूर्वी बंगाल की समस्या अत्यन्त गम्भीर रूप में है—पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को अनुदानों के रूप में १६·७४ करोड़ रुपये दिये गये हैं और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को केवल ७·६६ करोड़ रुपये दिये गये हैं । अब मैं आवास के प्रश्न को लेती हूं । वर्ष १९५५-५६ के लिये—जबकि पूर्वी बंगाल में शरणार्थियों का आगमन जोरों पर था और कई परिवार दो-दो महीनों से सियालदह स्टेशन पर ही पड़े थे— पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को केवल ५·५६ करोड़ रुपये दिये गये जब कि उसी अवधि के लिये पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को ६·४५ करोड़ रुपये दिये गये ।

अब मैं ऋण पर आती हूं । वर्ष १९५५–५६ के लिये, पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये ३·१२ करोड़ रुपये दिये गये, परन्तु १९५६–५७ के बजट में इसके लिये केवल २ ६७ करोड़ की ही व्यवस्था है । औद्योगिक कारखानों की अवस्था यह है कि जब से श्री खन्ना आये हैं, हम उनके बारे में निरन्तर सुन रहे हैं लेकिन आज तक एक कारखाना भी नहीं खुला है ।

शरणार्थियों को बंगाल के बाहर बसाने की अवस्था यह है कि उन्हें बहुत खराब जमीन, अर्थात् वह जमीन जो कि भूदान में भी नहीं दी जा सकी, दी जा रही है । अब मैं बंगाल के बाहर भूमि के कृष्यकरण के प्रश्न को लेती हूं । प्रश्न-काल में केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के द्वारा कछार और त्रिपुरा में भूमि के कृष्यकरण के एक प्रश्न पर जो उत्तर दिया गया था उससे मुझे निराशा ही हुई है हम नहीं जानते कि शरणार्थियों को यह भूमि कब दी जायेगी बंगाल में भी सोनारपुर-आरापंच और बागनोला की योजनाओं के अलावा भूमि वितरण की कोई बड़ी योजना क्रियान्वित नहीं हुई है, सब बातों में विलम्ब हो रहा है ।

हमने श्री खन्ना के सम्बन्ध में सुना था कि इन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ किया है । इससे हमें बड़ी-बड़ी आशायें थीं परन्तु आशायें निराशा में बदल गईं । यह ठीक है कि श्री खन्ना मैत्रीपूर्ण ढंग से बात चीत करने के लिये सदैव तत्पर रहते हैं, परन्तु जो कार्य हुआ है और जो सफलता मिली ह, वे नितान्त निराशाजनक है ।

अब मैं इन बातों को एक-एक करके लूंगी । पहिले मैं भूमि का प्रश्न लेती हूं । यह प्रश्न बहुत जटिल हैं । कई अड़चनें हैं; जैसे जमीन की कमी, घनी जनसंख्या, बदलती हुई कृषि-विधियां इत्यादि । यह प्रश्न स्थानीय किसानों की जमीनें ली जाने के कारण और भी जटिल बन गया है । श्री जन के समय हमें स्पष्टतः यह उत्तर मिला था कि वे स्थानीय किसानों की भूमि का अर्जन नहीं करेंगे मैं आशा करती हूं कि श्री मेहर चन्द खन्ना भी उनकी बात का समर्थन करेंगे ।

अब मैं कृष्य भूमि का प्रश्न लूंगी । सोनारपुर—आरापंच दलदल से भरा हुआ क्षेत्र था । लेकिन स्थानीय लोगों के पास इस भूमि के स्वामित्व अधिकार थे । अब यह पता लगाना था कि उनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा । यदि लोकप्रिय समितियों की सहायता से प्रश्न हल किया जाता तो यह प्रश्न आसानी से हल हो जाता; किन्तु ऐसा नहीं किया गया । अब आप बागनोला का प्रश्न लीजिये । उस क्षेत्र में कुलगाचीर का बन्ध था । जिसकी व्यवस्था जमींदार को करनी थी । तत्पश्चात् यह सरकार के अधीन आया उसने इसकी ठीक से व्यवस्था नहीं की और यह बन्ध टूट गया । यह क्षेत्र पहिले साझियों के अधिकार में था । बाद में शरणार्थियों की सहायता से इसे कृषि योग बना लिया गया और उन्हें दे दिया गया जिसके फलस्वरूप वहां के स्थानीय पदाधिकारियों व शरणार्थियों के बीच संघर्ष पैदा हो गया ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

अब मैं धापा-मानपुर का प्रश्न लेती हूं। हमने इस मामले की ओर, श्री ए० पी० जैन का ध्यान सर्वप्रथम जून १९५३ में दिलाया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे इस मामले को राज्य सरकार को भेजेंगे, किन्तु राज्य सरकार ने कहा कि उसे यह प्राप्त नहीं हुआ है। हमने फिर सरकार पर दबाव डाला। १९५४ में पश्चिमी बंगाल सरकार को इस सम्बन्ध में कई अभ्यावेदन भेजे गये। तत्पश्चात हम इस सम्बन्ध में श्री मेहर चन्द खन्ना व श्रीमती रेणुका रे से मिले और हमें यह उत्तर मिला कि डच इंजीनियरों के आने के उपरान्त इस भूमि का कृष्यकरण किया जायेगा। तीन वर्ष के उपरान्त अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

मैं आपको विलम्ब के और भी कई उदाहरण दे सकती हूं। पुनर्वास के कार्य में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच और एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय के बीच कोई समन्वय नहीं है। इसके उदाहरण के लिये मैं मीन क्षेत्र का जिक्र कर सकती हूं। हम कहते हैं कि लगभग ३ लाख एकड़ अच्छी धान की भूमि इस समय मीन क्षेत्र में है। हमने कहा था कि एक अध्यादेश निकाल कर इसको कृषि-योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निहित स्वार्थ वाले लोग उनके साथ हैं। यहां तक कि मंत्री लोगों की भी उसमें दिलचस्पी है। जिन शरणार्थी किसानों से वहां जाकर जमीन लेने के लिये कहा गया उनके साथ भी अजीब व्यवहार हुआ। मैं माननीय मंत्री जी को उन हजारों वैनामों के मामले बता सकती हूं जिन्हें पंजीयत किया गया, रुपये लिये गये और उनका सारा रुपया हजम कर लिया गया। स्थानीय अधिकारियों ने इस भूमि के असली स्वामित्व का पता लगाने में इतना समय लिया कि इन सारे वैनामों की अवधि समाप्त हो गई।

आसाम में यह हाल है कि वार्षिक नवीकरण के नाम में, शरणार्थियों को भूमि नहीं दी जा रही है; और ऋण भी बड़े विलम्ब से दिये जा रहे हैं। यही कारण है कि डिब्रुगढ़ तथा कुछ अन्य स्थानों में शरणार्थियों ने धरना दिया और सत्याग्रह किया।

अब मैं नियोजन के प्रश्न को लेती हूं। मैं पहिले ही कह चुकी हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में कारखाने इत्यादि खोलने के लिये अधिक सुविधायें और अवसर होने चाहियें। इन कार्यों में बहुत विलम्ब हो रहा है और हम अभी तक कोई योजना अथवा कारखाना नहीं खोल सके हैं।

अब मैं प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगी। निःसन्देह लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे प्रशिक्षण से कोई लाभ नहीं जिससे लोग अपनी गुजर ही न कर सकें। इसलिये प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ उत्पादन केन्द्र भी खोले जाने चाहियें, जहां कि उन्हें उत्पादन करने की सुविधायें प्राप्त हों। उसके साथ ही उन्हें उन वस्तुओं को बेचने के लिये बिक्री की सुविधायें भी देनी होंगी और हमें यह व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उपार्जन व्यवसाओं के अन्तर्गत ही करनी चाहिये।

इस वर्ष औद्योगिक ऋण के रूप में ३ करोड़ रुपये दिये गये हैं। मेरे विचार से यह राशि अपर्याप्त है किन्तु राशि का उतना महत्व नहीं है जितना कि उसे व्यय करने के तरीके का महत्व है। प्रगति की रफ्तार तेज होनी चाहिये। योजनायें तत्काल बनायी जानी चाहियें और उन्हें उच्च पदाधिकारियों और मंत्रालयों की पसन्द नापसन्द इत्यादि से स्वतन्त्र होना चाहिये।

अब मैं अनधिकृत बस्तियों के प्रश्न को लेती हूं। पश्चिमी बंगाल के एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुल १७१ अनधिकृत बस्तियां हैं। उन्हें नियमित करने में दो मुख्य रुकावटें थीं—पहिली यह कि जो बस्तियां १ जनवरी, १९५१ के पश्चात से स्थापित हुईं उन्हें नियमित करार दिया जाय या नहीं दूसरी यह कि उन्हें नियमित करार देने में १८७५ रुपये से कम व्यय आता है या नहीं। क्या यह भावना न्याय और आवश्यकता की द्योतक है। अब तक पश्चिमी बंगाल सरकार ने केवल १२ बस्तियां नियमित करार दी हैं।

दम दम में दो अनधिकृत बस्तियां हैं—बान्धव नगर और प्रफुल्ल नगर। बान्धव नगर प्रतिरक्षा विभाग के क्षेत्र की सीमा पर अवस्थित है लेकिन प्रतिरक्षा विभाग वालों ने उस पर अपना दावा किया है। यह बस्ती पिछले ४ वर्षों से नियमित करार दी जाने वाली बस्तियों की सूची पर होने पर भी अभी नियमित करार नहीं हुई है।

प्रफुल्ल नगर बस्ती रेलवे मंत्रालय की जमीन पर है, किन्तु वह भूमि रेलवे के काम नहीं आ सकती है। तथापि आज तक उसे नियमित करार नहीं दिया गया है। इन सब बातों से यह ज्ञात होता है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कोई पारस्परिक समन्वय नहीं है।

अब मैं क्षय रोग का प्रश्न लेती हूं। इस समय क्षय रोग के लगभग ३,००० मामले हैं और पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी ३००० पलंगों की सिफारिश की है। इस समय अस्पतालों में केवल २५० पलंगों की व्यवस्था है न जाने अवशेष पलंगों की व्यवस्था होने में कितनी देर लगेगी।

अब मैं एक मुसलमान आप्रवासी का मामला लूंगी। यह व्यक्ति पाकिस्तान से लौट आया था। यद्यपि जिस शरणार्थी ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया था, उसे खाली करने के आदेश १९५३ या १९५४ में ही दिये जा चुके थे, तथापि उन पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। यह एक लम्बी, करुणाजनक कहानी है जिससे सिद्ध होता है कि सरकारी कार्य कितने विलम्ब और ढील-ढाल से होते हैं। इसे अवश्य समाप्त किया जाना चाहिये।

ऋण विलम्ब से दिये जाते हैं। स्वीकृत ऋण भी नहीं मिलते हैं। पदाधिकारियों को सलामी के रुपये देने पड़ते हैं। यहां तक कि बैनामों की अवधि समाप्त हो जाती है, मरीज मर जाता है तब कहीं ऋण मिलता है।

मध्यमग्राम में, ६,००० रुपये की लागत पर एक महिला केन्द्र खोलने की योजना की स्वीकृति के लिये जुलाई, १९५५ में आवेदन किया गया था। यह राशि जनवरी, १९५६ में स्वीकृत हुई। हमें यह देखने के लिये बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ी कि कहीं यह पूरी राशि ही व्यपगत न हो जाय। इससे मालूम होता है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच वांछनीय सहयोग नहीं है।

अब मैं लाजपतनगर में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के प्रश्न पर आती हूं। यदि ये लोग मिट्टी के कच्चे मकानों की कीमत या किराया देने को तैयार हैं, तो उन्हें वे मकान-जिन में वे इस समय रह रहे हैं—उन्हें क्यों नहीं दिये जाते ?

मैं अनुभव करती हूं कि सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय आपात के स्तर से नहीं सुलझाया है और मेरा मत है कि जब तक हम एक विशाल व्यापक आधार पर किसी पुनर्वास संगठन की स्थापना नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकेगी।

†**श्री रामानन्द दास** (बैरकपुर) : श्री ए० पी० जैन से पुनर्वास मंत्री का पद सम्भालने के बाद श्री मेहर चन्द खन्ना ने जो सुन्दर कार्य किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने पश्चिमी बंगाल सरकार पर उपेक्षा की दृष्टि अपनाने का जो आरोप लगाया है उसका मैं विरोध करता हूं। पश्चिमी बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में बहुत कुछ किया है। यह एक जटिल समस्या है। पश्चिमी बंगाल सरकार केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करती है और केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय उन्हें वित्त मंत्रालय को भेजता है और ये योजनायें वित्त मंत्रालय में महीनों बल्कि वर्षों तक पड़ी रहती हैं; इसलिये शरणार्थियों को जल्दी बसाने की योजनाओं और उनके दावों का निबटारा करने से सम्बन्धित मामलों में विलम्ब का उत्तरदायी वित्त मंत्रालय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामानन्द दास]

मेरे विचार में वित्त मंत्रालय में चार प्रमुख व्यक्ति हैं । एक वित्त मंत्री, दो राज्य मंत्री और एक वित्त उपमंत्री । मैं यह अनुभव करता हूं कि इनमें से एक मंत्री को कुछ सचिवों के साथ कलकत्ता में अपना प्रधान कार्यालय रखना चाहिये और शरणार्थियों की परिस्थितियों को देखना चाहिये । पुनर्वास की वित्तीय समस्या का समाधान शीघ्रतापूर्वक किया जाना चाहिये । जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, समस्या का समाधान नहीं हो सकता । केन्द्र में चार वित्त मंत्री रखने में कोई तुक नहीं है । यदि ऐसा किया गया तब शरणार्थियों के उचित पुनर्वास के लिये राशि की स्वीकृति देने में विलम्ब नहीं होगा । नहीं तो यह समस्या शीघ्रता से हल न की जा सकेगी ।

बंगाल और पंजाब ने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में महान बलिदान दिये हैं । परन्तु जब देश स्वतन्त्र हुआ, देश का विभाजन हुआ तब बंगाल और पंजाब को सब से अधिक कष्ट सहन करने पड़े । पंजाब के लोगों को पर्याप्त भूमि और निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में कुछ धन भी मिल गया और पंजाब के शरणार्थियों के ८० प्रतिशत भाग को बसाया गया । सरकारी खर्च पर कई बस्तियां बनाई गईं । परन्तु सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के साथ पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों की तुलना में सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है । आंकड़ों से हमें पता चलता है कि पूर्वी बंगाल से ३६ लाख से अधिक शरणार्थी पश्चिमी बंगाल में आये हैं । परन्तु वास्तव में ४० लाख से अधिक शरणार्थी पश्चिमी बंगाल में आये हैं । मंत्रालय के वक्तव्य में उन व्यक्तियों की चर्चा नहीं है जो भूमि के मार्ग द्वारा पारपत्रों के बिना भारत आये हैं । सरकार उन्हें पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने में असफल रही है । कितनी ही योजनायें हैं परन्तु भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अयोग्यता और विलम्बकारी चालों के कारण ५० प्रतिशत व्यक्तियों को भी उचित रूप से नहीं बसाया गया है । २,००० से अधिक शरणार्थी प्रतिदिन पश्चिमी बंगाल में आ रहे हैं । सियालदाह स्टेशन और सीमावर्ती अन्य स्टेशन लोगों से खचाखच भरे पड़े हैं । कई हजार शरणार्थी वहां पर पशुओं की भांति रह रहे हैं । सरकार द्वारा उनके लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । मैं सरकारे से अपील करता हूं कि वह इन रेलवे प्लेटफार्मों पर और शिविरों में ठहरे हुये व्यक्तियों की ओर उचित ध्यान दे ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लगभग सभी शरणार्थी अनुसूचित जातियों के व्यक्ति हैं । यही नहीं वे अधिकतर कृषक हैं । वे प्लेटफार्मों पर पड़े हुये कष्ट भोग रहे हैं वहां पर सरकारी पदाधिकारी भी उनके लिये कुछ नहीं कर रहे हैं । इसका कारण यह है कि ये शरणार्थी निम्न वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं । ये वे लोग हैं जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिये सबसे अधिक बलिदान दिये हैं । यह समस्या केवल पश्चिमी बंगाल की ही नहीं, बल्कि सारे देश की है । मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस समस्या को आपात की समस्या के दृष्टिकोण से देखें ।

मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री ने भी अपने भाषण में इन शरणार्थियों के उचित पुनर्वास के सम्बन्ध में अधिक सहानुभूति नहीं प्रकट की है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे ताकि वहां से इन लोगों का निष्क्रमण बन्द हो । पाकिस्तान में अभी भी ८० लाख से अधिक व्यक्ति रह रहे हैं । पाकिस्तान उन्हें विभिन्न बहानों और चालाकियों से वहां से निकाल रहा है । जो लोग बचे हैं वे भी धीरे-धीरे यहां आ जायेंगे । सारे देश की अर्थ व्यवस्था बिगड़ जायेगी । यदि आप उनके पुनर्वास का उचित प्रबन्ध नहीं करते हैं तो ये लाखों भूखे लोग सन्तुष्ट नहीं होंगे । इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पर्याप्त भूमि भी नहीं है । अन्दमान में सरकार ने हजारों शरणार्थियों को बसाया है । वहां अभी और गुजाइश है । यदि आप उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में भूमि, ऋण और अन्य सुविधायें दें तो मेरे विचार में आप १० लाख व्यक्तियों को अन्दमान में बसा सकते हैं । यदि आपने इन शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश या पंजाब में भेजा तो वे ऐसे मर जायेंगे जैसे जल के बिना मछली मर जाती है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** उत्तर प्रदेश में वे भलीपूर्वक रह रहे हैं ।

†**श्री रामानन्द दास :** वे बिहार से वापिस आ गये हैं । वे ऐसी जगहों में रहते थे जो पानी के निकट थीं । वे खुश्क क्षेत्रों में नहीं रह सकते हैं । इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन्हें पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती राज्यों में और अन्दमान में बसाया जाये । शरणार्थी समस्या बड़ी जटिल समस्या है । जब तक आप पाकिस्तान पर इनका निष्क्रमण रोकने के सम्बन्ध में दबाव नहीं डालेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । मुझे खेद है कि सरकार द्वारा पाकिस्तान पर पर्याप्त दबाव न डाले जाने के कारण ही पाकिस्तान इन व्यक्तियों को वहां से चले जाने पर विवश कर रहा है । मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पूर्वी पाकिस्तान से ६ सीमावर्ती जिलों की मांग करे । विभाजन के पश्चात् पश्चिमी बंगाल से ६ लाख से अधिक मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान गये थे । परन्तु वे सभी पश्चिमी बंगाल में वापिस आ गये हैं और सरकार ने उन्हें बसा दिया है । इन मुसलमानों के पुनर्वास के लिये सरकार ने कई लाख रुपये खर्च किये हैं । यही नहीं, एक लाख से अधिक पाकिस्तानी मुसलमान कलकत्ता में हैं और वे कलकत्ता पत्तन, नौकाओं तथा स्टीमरों और अन्य स्थानों पर नौकर हैं । ये व्यक्ति पश्चिमी बंगाल से करोड़ों रुपये अपने देश में ले जाते हैं । यह ठीक है कि हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष राज्य है । परन्तु हमें अपने नागरिकों के हितों की ओर भी तो देखना है । ये व्यक्ति न केवल पाकिस्तानी नागरिक हैं बल्कि करोड़ों रुपये उन्हें कलकत्ता में नौकरियां दिलाने पर खर्च किये जाते हैं । ये लोग कलकत्ता पत्तन में हड़तालें भी करवाते हैं । सरकार को ये सभी बातें भली भांति समझ लेनी चाहियें और पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों को पश्चिमी बंगाल में काम नहीं देना चाहिये । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे । आप रोजगार की समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे । यदि आप इन पाकिस्तानी नागरिकों की नियुक्तियां रोक दें तो आप इन उद्योगों में हमारे अपने लाखों लोगों को नियुक्त कर सकते हैं । मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में इस राष्ट्रीय समस्या की ओर कुछ रचनात्मक कार्यवाही करे ।

सरकार को इन ४० लाख शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पूर्वी पाकिस्तान से ६ सीमावर्ती जिलों की मांग करनी चाहिये । पूर्वी पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिये । यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की तो पश्चिमी बंगाल की जनता क्रांति कर देगी और वह रेलवे, स्टीमर, नौका या हवाई जहाजों द्वारा पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल में व्यापार की वस्तुयें जाना बलपूर्वक रोक देगी । नेहरू-लियाकत करार में कहा गया था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे । परन्तु हाल में ही पाकिस्तान के संविधान में इसके बिल्कुल विपरीत चर्चा की गई है । वहां पर अल्पसंख्यकों में से कोई भी व्यक्ति प्रेसीडेण्ट के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता । उनकी इच्छाओं के विरुद्ध उनके लिये पृथक् निर्वाचक नामावलियां तैयार की गई हैं । उन पर कई प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं और उन्हें चले जाने पर विवश किया जा रहा है । जिसका परिणाम यह है कि अल्पसंख्यकों का सम्मान वहां खतरे में है । नेहरू-लियाकत करार असफल रहा है । नेहरू सरकार का कर्त्तव्य है कि इस निष्क्रमण को रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही करे और इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पूर्वी पाकिस्तान से कुछ प्रदेशों की मांग करे ।

मैं श्रीमती सुचेता कृपालानी के इन शब्दों का कड़ा विरोध करता हूं कि पश्चिमी बंगाल के कांग्रेस सदस्य कोई कार्य नहीं करते हैं और सभी कार्य विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा किया जाता है । कई बार विरोधी पक्ष के सदस्य शरणार्थियों की भलाई करने की अपेक्षा उन्हें अधिक हानि पहुंचाते हैं । वे अपने प्रचार के लिये स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं और योजनाओं में विलम्ब उत्पन्न करते हैं । मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे शरणार्थियों को गलत रास्ते पर न ले जायें और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामानन्द दास]

उन्हें न बहकायें बल्कि सरकार से सहयोग करें । शरणार्थियों को शीघ्रता से बसाने के लिये ठोस कार्य करने पर मैं श्री मेहर चन्द खन्ना का धन्यवाद करता हूं ।

†**श्री एस० एम० घोष** (मालदा) : मैं मांगों का समर्थन करता हूं और कटौती-प्रस्तावों का विरोध करता हूं । मैं श्री खन्ना को बधाई देता हूं कि उन्होंने पश्चिमी बंगाल की समस्या को ठीक प्रकार से समझ लिया है । श्री चटर्जी ने अपने भाषण में श्री खन्ना पर जो आरोप लगाये हैं मैं उनका पूर्णरूपेण खण्डन करता हूं ।

श्रीमती सुचता कृपालानी न पश्चिमी बंगाल कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि उसने इस समस्या को हल करने में उन्हें कोई सहयोग नहीं दिया । मैं इस आरोप का निराकरण करते हुये उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जब नोआखली का दौरा किया था तो पश्चिमी बंगाल कांग्रेस के प्रधान वहां पर पहले से ही मौजूद थे । उन्होंने उनकी हर प्रकार की सहायता की थी और सहायता के लिये बहुत से कांग्रेस कार्यकर्त्ता भी उनके साथ काम पर लगा दिये थे ।

इसके अतिरिक्त जब उन्होंने आसाम, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल के विभिन्न कैम्पों का दौरा किया था, तब भी इस सारे दौरे में पश्चिमी बंगाल के कांग्रेस प्रधान उनके साथ ही साथ थे और उन्हें हर प्रकार का सहयोग दिया था ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त पश्चिमी बंगाल की सर्वप्रथम सरकार ने यह स्वीकार ही नहीं किया था कि शरणार्थियों की भी कोई समस्या है । बाद में पश्चिमी बंगाल के कांग्रेस प्रधान ने इसके लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी, और केन्द्र को यह मानना पड़ा कि वास्तव में ऐसी समस्या विद्यमान है । घोष सरकार ने पहले तो एक वर्ष तक इस समस्या को माना ही नहीं और हमारे ऊपर आरोप लगाया । इसीलिये मैंने इसका यहां जिक्र किया ।

डा० घोष के समय में भी पश्चिमी बंगाल के कांग्रेस प्रधान इस समस्या को हल के लिये सब कुछ करते रहे । आज पश्चिमी बंगाल में हाबड़ा बस्ती को, जो सबसे बड़ी शरणार्थी बस्ती मानी जाती है, बसाने का सारा श्रेय उस कांग्रेस प्रधान को ही है; उन्होंने ही शरणार्थियों के लिये कार्य केन्द्र स्थापित किये थे । वनग्राम की सारी सीमा पर पश्चिमी बंगाल की कांग्रेस ने ही शरणार्थियों को बसाने का प्रबन्ध किया था, और यह सारा कार्य सरकार से कुछ भी सहायता लिये बिना ही किया गया था ।

इसके अतिरिक्त श्री चटर्जी ने यह कहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक का भी इस पुनर्वास समस्या से सम्बन्ध है । इसके बारे में मैं उनसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि ३,००० वर्ग मील के किशनगंज के इस छोटे से क्षेत्र के स्थान पर हमें बिहार का ६७,००० वर्ग मील का क्षेत्र मिल जाये तो क्या शरणार्थियों के पुनर्वास की दृष्टि से यह हितकर सिद्ध न होगा ?

शरणार्थियों के सामूहिक आगमन की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्री चटर्जी का यह कथन है कि लगभग ६० या ७० हजार पाकिस्तानी नागरिक जो कलकत्ता में काम कर रहे हैं, उन्हें वहां से भगा दिया जाये । परन्तु मेरी यही प्रार्थना है कि इससे कोई लाभ न होगा, इन थोड़े से लोगों को भगा कर इतना अधिक स्थान नहीं निकल सकेगा जिसमें कि ९२ लाख शरणार्थियों को बसाया जा सके ।

श्री चटर्जी ने त्रिपुरा के जिराथिया लोगों का भी उल्लेख किया है । उन्हें ज्ञात ही है कि उन्हें त्रिपुरा के राजा द्वारा अभिज्ञात किया गया था और फिर प्रथम अन्तराधिराज्यीय (इंटर डोमीनियन) सम्मेलन में भी उन्हें त्रिपुरावासी ही अभिज्ञात किया गया था । अतः इन लोगों की तो एक विशेष प्रकार की अलग समस्या है । इस लिये दोनों प्रकार की समस्याओं को मिलाना नहीं चाहिये ।

†भूल अंग्रेजी में

बंगाल की पुनर्वास समस्या के बारे में जो योजनायें बनायी गयी हैं, उनसे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही सहमत हैं। इन योजनाओं को पर्याप्त विचार करने के उपरान्त ही बनाया गया था। इसके बारे में मुझे केवल यही कहना है कि वित्त मंत्रालय ने इन योजनाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त धन निर्धारित नहीं किया है। प्रति वर्ष पुनर्वास मंत्री को अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करनी पड़ती हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि शरणार्थियों को अभी तक पूरी तरह से नहीं बसाया गया है। मैं ऐसे बहुत से शरणार्थियों के बारे में जानता हूं जो कि चार-पांच वर्षों से कैम्पों में पड़े हुये हैं और उन्हें अभी तक नहीं बसाया गया है। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण हैं कि उन्हें अभी तक नहीं बसाया गया है।

ये योजनायें सर्वप्रथम पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा बनायी गयी थीं, और फिर ये केन्द्रीय सरकार को भेज दी गयी थीं। जिसने उनकी अच्छी प्रकार से जांच करने के उपरान्त उन्हें स्वीकार कर लिया था। अब जबकि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों के ही पुनर्वास मंत्रालयों द्वारा वे योजनायें स्वीकार कर ली गयी हैं, इस बात की क्या आवश्यकता थी कि उन्हें पुनः जांच के लिये वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया ? इससे व्यर्थ में ही इतना समय नष्ट हो रहा है।

भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में मैं समझ नहीं सका कि क्या कारण है कि कलकत्ता के आस-पास के छोटे भू-खण्डों (प्लौट) के लिये १९४६ के मूल्यों पर जोर दिया जा रहा है जब कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्य विभाग वर्तमान मूल्यों पर छोटे भू-खण्डों (प्लौट) दे रहे हैं। इस प्रश्न पर भी पुनर्वास मंत्रीं द्वारा विचार किया जाये।

मालदा में बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी आये हुये हैं और वहां की नगरपालिका ने उन्हें आवश्यक सुविधायें देने के लिये केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय से ऋण के लिये प्रार्थना की थी। परन्तु अभी तक उस प्रार्थना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है इस पर भी अच्छी प्रकार से विचार किया जाये।

यदि हम इस मंत्रालय को अधिक कार्य कुशल बनाना चाहते हैं तो मेरी राय यह है कि इस मंत्रालय के कर्मचारियों को स्थायी बना दिया जाये। इससे इनके मन में आत्म विश्वास उत्पन्न होगा और वे अपना कार्य अधिक कुशलता से करेंगे।

पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के सामूहिक आगमन के सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि यदि वहां से शेष ९२ लाख हिन्दू भी यहां पर आ गये तो हमारे लिये एक महान समस्या उत्पन्न हो जायेगी और हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भी कार्यान्वित करने में असमर्थ हो जायेंगे। मेरी राय में इन शरणार्थियों के लिये पाकिस्तान से भूमि-खण्ड की मांग करना ही सर्वोत्तम तथा न्यायोचित उपाय है। इस से अच्छा और कोई उपाय नहीं है। यदि हम शेष ९२ लाख हिन्दुओं को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं तो हमें उन्हें बसाने के लिये पाकिस्तान से भूमि की मांग करनी ही होगी। इस समस्या के समाधान के लिये वैसे तो संसद् सदस्यों ने कलकत्ते के सम्मेलन में पांच अत्यन्त सुन्दर सुझाव प्रस्तुत किये हैं, परन्तु उनके अतिरिक्त मैं दो और सुझाव भी देना चाहता हूं। प्रथम सुझाव तो लाला अचिन्त राम ने भी दिया था और वह यह है कि उन शरणार्थियों को भारत में लाने की बजाये उनके लिये पूर्वी पाकिस्तान के अन्दर ही कुछ एक कैम्प बना दिये जायें जहां पर वे एक साल तक रह सकें; और उन कैम्पों का खर्च दोनों सरकारों द्वारा वहन किया जाये।

दूसरा सुझाव यह है कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार कोई ऐसा उपाय सोचे जिससे वहां के अल्पसंख्यकों में विश्वास उत्पन्न किया जा सके। परन्तु जैसा हमारे प्रधान मंत्री ने उस दिन बताया था वहां के पदाधिकारी ही इस भयंकर स्थिति को उत्पन्न करने और हिन्दुओं के मन में आतंक उत्पन्न करने के

[श्री एस० एम० घोष]

लिये उत्तरदायी हैं। अतः वहां पर हिन्दुओं का रहना तब तक सम्भव न हो सकेगा जब तक कि मुसलमान पदाधिकारियों के स्थान पर अल्पसंख्यकों के पदाधिकारी नियुक्त न किये जायें।

जहां तक काश्मीर के शरणार्थियों के सामूहिक प्रागमन का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि हम किसी दूसरे देश में स्थिति नहीं सुधार सकते। परन्तु अपने ही देश के एक भाग से होने वाले निष्क्रमण को हम कैसे सहन कर रहे हैं ? इसका तो यह उपाय है कि पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा घिरे हुये क्षेत्र को मुक्त कराने के लिये उन सेनाओं को वहां से बाहर निकाल दिया जाना चाहिये।

†**श्री आर० पी० गर्ग** (पटियाला): मैं समझता हूं कि केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय देश के विभाजन के परिणामस्वरूप भारत सरकार के कंधों पर आने वाले इस भारी कार्य को बड़ी कुशलतापूर्वक निभा रहा है। लाखों निराश्रित लोगों को पुनः बसाने में न ही केवल वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है अपितु उस कार्य को चलाने के लिये एक कार्य कुशल व्यवस्था की भी आवश्यकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार इन दोनों दृष्टियों से सफल रही है।

शरणार्थियों को प्रतिकर देने के लिये अंन्तिम योजना १९५४ में बनायी गयी थी और फिर उसी के अधीन १९५५ में नियम बनाये गये थे जिनके अनुसार यह प्रतिकर प्रमाणित दावों के आधार पर दिया जायेगा। इसके सम्बन्ध में मैं सम्पत्ति के मूल्यांकन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इन शरणार्थियों के लिये बनाये गये मकानों का मूल्यांकन ठीक आधार पर नहीं किया जा रहा है। सरकार इनका अधिक से अधिक मूल्य निर्धारित करके बनियों के समान अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहती है। १०,००० रुपये से अधिक कीमत वाली सम्पत्ति को सरकार नीलाम द्वारा बेच कर अत्यधिक लाभ उठाने की धुन में है, इसीलिये वह कई मकानों को संयुक्त रूप से बेच रही है क्योंकि पृथक्-पृथक् तो उनकी कीमत १०,००० से कम ठहरती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के नीलाम बन्द कर दिये जायें। बड़े मकानों के छोटे-छोटे भागों को, जो विभिन्न शरणार्थियों को पृथक्-पृथक् रूप से आवंटित किये गये हैं, संयुक्त रूप से १०,००० से अधिक कीमत वाली सम्पत्ति बता कर नीलाम कराना उचित नहीं है।

अब यह प्रतिकर निष्क्राम्य संग्रह (एवेक्वी पूल) से दिया जाना है जिसमें निष्क्राम्य सम्पत्ति, सरकार द्वारा बनाये गये मकान और सरकार द्वारा दिये ऋणों की बकाया रकम सम्मिलित है। उन लोगों के लिये तो कोई कठिनाई न होगी जो कि अपने प्रमाणित दावों के बदले में कोई सम्पत्ति लेना चाहेंगे। परन्तु कठिनाई तो उन लोगों के सम्बन्ध में उत्पन्न होगी जो नकद रुपया मांगेंगे। नकद प्रतिकर तब तक न दिया जा सकेगा जब तक कि सारी सम्पत्ति बिक न जायेगी। अथवा उनका किराया न लिया जायेगा अथवा सरकार द्वारा दिये गये सभी ऋण वापिस न आ जायेंगे। हो सकता है कि इस कार्य में १५ या २० वर्ष लग जायें। तो क्या तब तक यह समस्या बीच में ही लटकती रहेगी ? प्रतिकर समस्या एक मानवीय समस्या है इसे शीघ्रातिशीघ्र निपटाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। परन्तु इसके लिये हमें शरणार्थियों से ऋण वापिस लेने के लिये अधिक जोर नहीं देना चाहिये। अतः प्रतिकर तथा शरणार्थियों से ऋण वापिस लेने के इन दोनों प्रश्नों को मिला नहीं देना चाहिये।

मुझे इस बात की तो खुशी है कि पुनर्वास मंत्री ने घोषित किया है कि राजस्थान तथा अन्य स्थानों पर दी गयी भूमि की कीमत १५ वार्षिक किस्तों में ली जायेगी, परन्तु इस बात का दुःख है कि उन्होंने भूमि और सम्पत्ति में एक अन्तर सा उत्पन्न कर दिया है। मैं चाहता हूं कि उन्हें सम्पत्ति के बारे में भी वैसी ही सुविधायें दी जायें, अन्यथा शरणार्थियों के लिये एक भारी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी, वे प्रतिमास इतनी अधिक रकम अदा न कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय के अधीन एक अल्प-आय वर्ग आवास योजना बनायी गयी है जिसमें ६,००० हजार रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों को ८,००० रुपये तक ऋण भी दिया जाता है और वह ३० किस्तों में चुकाया जाना होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब एक सामान्य नागरिक को ये सुविधायें दी जा सकती हैं तो क्या वे सुविधायें इन गरीब शरणार्थियों को नहीं दी जा सकतीं।

प्रतिकर के लिये कुल ५,१६,००० आवेदन पत्र आये हैं जिनमें से २९ फरवरी, १९५६ तक ८५,८०३ व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जा चुका है, और शेष केवल ४,२५,००० व्यक्तियों का ही प्रश्न रहता है। पुनर्वास मंत्रालय के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि अब उसके पास ४,२५,००० व्यक्तियों को प्रतिकर देने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं है, क्योंकि जहां तक ऋणों की वकाया रकम लेने का सम्बन्ध है, यह काम किसी और अभिकरण को दिया जा सका है और जहां तक निष्क्राम्य सम्पत्ति और सरकारी सम्पत्ति को बेचने का सम्बन्ध है, यह काम अल्प-आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत किया जा सकता है। इसलिये पुनर्वास मंत्रालय प्रतिकर देने का कार्य इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर-अन्दर समाप्त कर सकता है।

पुनर्वास मंत्री को इस सभा में यह वक्तव्य देना चाहिये कि प्रतिकर का यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में ही समाप्त हो जायेगा, वह जब तक ऐसा निर्णय न करेंगी तब तक इस कार्य में तीव्रता न आयेगी। यह कहना गलत है कि शरणार्थियों से ऋण वापिस आने में देर लग जाती है इसीलिये प्रतिकर कार्य में इतनी देर हो गयी है। मैं चाहता हूं कि इस कार्य को तीव्र गति से चलाया जाये और एक वर्ष के अन्दर ही पूर्ण कर दिया जाये।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के सामूहिक निष्क्रमण का वास्तविक कारण यही है कि वहां के शासकों ने वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रखी है जिसमें हिन्दुओं का रहना असम्भव हो गया है। यदि यह सामूहिक निष्क्रमण जारी रहा तो हमारे लिये एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

मेरे कुछ एक मित्रों ने यह सुझाव दिया है कि सीमाओं को बन्द कर दिया जाये, परन्तु इससे तो अल्पसंख्यकों को और भी निराशा होगी। इसके बारे में मेरा यही सुझाव है कि शरणार्थी समस्या को हल करने के लिये सर्वोत्तम उपाय यह है कि बंगाल और बिहार को मिला दिया जाये। यदि बंगाल और बिहार को मिला दिया गया तो इन शरणार्थियों को अच्छी प्रकार से बसाया जा सकेगा। यात्रा की कठिनाई तथा ऐसी ही अन्य कठिनाईयों के कारण पूर्वी बंगाल के शरणार्थी अन्य कहीं बसना नहीं चाहते हैं।

कुछ एक भारतीय राष्ट्र जन मुसलमानों के, जो अस्थायी रूप से पाकिस्तान गये थे, मकानों पर शरणार्थियों ने अधिकार कर रखा था। उन मकानों को खाली करा के उनके स्वामियों को वापिस कर देना चाहिये।

अन्त में मैं फिर मंत्री महोदय का ध्यान इस महान समस्या की ओर आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस मानवीय समस्या के हल के लिये पूरा प्रयत्न किया जाये।

†**सभापति महोदय** : श्रीमती इला पालचौधरी। वह कृपया दस मिनट से अधिक समय न लें।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की समस्या पर जब हम विचार करते हैं तो हमें उनकी दयनीय दशा पर बहुत दुःख होता है। उनके पुनर्वास

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पालचौधरी]

का प्रश्न हमारे सम्मुख एक गम्भीर रूप में उपस्थित है। इस महीने में ही वहां से ७०,००० व्यक्ति आये हैं, वे समझते होंगे कि भारत में उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जायगा किन्तु यहां उन्हें फुटपाथों पर पड़ा रहना पड़ता है। फिर भी, पाकिस्तान में उन्हें अपने जीवन के साथ-साथ अपनी इज्जत चले जाने का भी डर था; जब कि भारत में वे कम से कम अपमान से तो बचे हुये हैं।

पुनर्वास समस्या के बारे में मैं यह बताना चाहती हूं कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों की संख्या, कुल संख्या का ४४ प्रतिशत है जब कि शरणार्थियों पर किये गये कुल व्यय में से उन पर केवल ३० प्रतिशत व्यय किया गया है।

पश्चिमी बंगाल शरणार्थियों के भार से बुरी तरह दबा जा रहा है। मेरे जिले नादिया में ही १० लाख शरणार्थी हैं। वहां तपेदिक रोग बढ़ रहा है और रोगियों के लिये कम से कम १,००० शय्याओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। वहां पर चिकित्सालयों आदि के प्रबन्ध के लिये यदि ५ लाख रुपये से अधिक व्यय की सम्भावना हो, तो वित्त मंत्रालय को उदारता से पश्चिमी बंगाल के मंत्रालय की सहायता करनी चाहिये। यदि रोगियों की समय पर सहायता न की जाये तो उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचता।

इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों के लिये ६ विद्यालयों की अनुमति दी गई थी किन्तु आश्चर्य है कि नादिया के लिये एक भी विद्यालय की अनुमति नहीं दी गई है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों में ५०,००० मछुए भी शामिल हैं। उन्हें मछली पकड़ने के स्थानों पर बसाया जाना चाहिये जैसे आसाम और सौराष्ट्र में उनका निर्वाह भली-भांति हो सकता है। उन लोगों ने एक योजना भी सरकार के समक्ष रखी थी जिस पर भली भांति विचार किया जाना चाहिये।

पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों में अनेक बुनकर भी हैं जो प्रोत्साहन मिलने पर बहुत सुन्दर वस्त्र तैयार कर सकते हैं। यदि उन्हें उचित सहायता दी जाये तो पुराने समय में ढाके की मलमल की जो विशेषता थी वह पुनः प्राप्त की जा सकती है।

मुझे इस बात की खुशी है कि अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि ३०० रुपये के नीचे के ऋण अनुदानों में बदल दिये जायें और शहरों में मकान बनाने के लिये ५०० रुपये के स्थान पर १,२०० रुपये तक के ऋण दिये जायें। वास्तव में शरणार्थियों की दशा बहुत शोचनीय है।

शरणार्थियों के लिये कैम्पों की जो व्यवस्था की गई है वहां रहना बहुत महंगा पड़ता है और कैम्प से उनका प्रबन्ध भी अस्थायी रूप में हो पाता है। अतः सरकार को उनके लिये जमीन खरीदनी चाहिये क्योंकि उससे उनको स्थायी लाभ हो सकेगा।

मैं विरोधी दलों से यह अपील करती हूं कि वे शरणार्थियों को व्यर्थ ही भड़काते न फिरें। बंगाल में अब तक ११,०७४ एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिये निश्चित की गई है और २,८९९ एकड़ भूमि तो अधिकार में भी ले ली गई है। शेष ९,५२१ एकड़ भूमि लेने के लिये भी उचित कार्यवाही की जा रही है। अतएव स्थानीय व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण के विरोध में कार्य नहीं करना चाहिये। शरणार्थियों के लाभ के लिये पुनर्वास मंत्रालय यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा है। ऐसे समय में यदि कोई विरोधी दल आकर यह बताना चाहें कि सारा कार्य उन्हीं की कोशिश से किया जा रहा है तो यह उनकी एक भूल है। हमारा काम सेवा करना है। उसमें कोई राजनैतिक पुट देने की जरूरत नहीं है।

इसी प्रकार यह कहना भी असत्य है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी बड़े आलसी हैं और वे काम करना नहीं चाहते। पहले, कैम्पों में उनकी जो दुर्दशा हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिये और

तभी यह ज्ञात हो सकेगा कि वे किस प्रकार अपना जीवन-यापन करते हैं। प्रधान मंत्री ने दिल्ली की गन्दी बस्तियों में जो दशा देखी है उससे भी बुरा हाल वहां हो रहा है। ऐसी हालत में वे कैसे काम कर सकते हैं।

अन्त में मुझे यही कहना है कि इस प्रश्न को केवल बंगाल का ही प्रश्न नहीं समझा जाय बल्कि यह एक अखिल भारतीय समस्या है जिसका हमें समाधान करना चाहिये। हमारी सरकार देश की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये ब्रिटेन से सहायता ले रही है, यह एक प्रसन्नता का विषय है। मुझे आशा है कि हमारा देश और भी सुदृढ़ बन सकेगा और आज के शरणार्थी कल के नागरिक बन सकेंगे।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल-पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर) : मुझे पुनर्वास मंत्रालय के विषय में कुछ बातें कहनी हैं। शरणार्थियों की क्या हालत है, किस प्रकार वे बेचारे अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। यह मेरे भाई और बहन इस सदन में अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे देश में बहुत विदेशी अतिथि आए और हमने उनका बहुत आदर सत्कार किया। वे यहां आकर घूमे-फिरे और लोगों से मिले। हम विदेशियों के साथ मेल-मिलाप करते हैं और पाकिस्तान भी उनमें से एक है। हम उसके साथ मित्रों जैसा बर्ताव करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी यह कोशिश सफल नहीं हो रही है और यह चीज स्वयं हमारे प्रधान मंत्री के बचनों से प्रमाणित होती है। आज पाकिस्तान में तथा पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं के साथ कैसे बर्ताव हो रहा है और किस तरह उनको वहां से धकेल कर बाहर किया जा रहा यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यही नहीं, बल्कि मुसलमान भी बराबर पाकिस्तान से अब भी भारत आ रहे हैं। ऐसी दशा में हमें यह देखना चाहिये कि क्या पाकिस्तान का व्यवहार हमारे प्रति न्यायोचित है या नहीं। हमारी यह कोशिश है कि मेल-मिलाप हो, प्रेम का व्यवहार हो और शांति बनी रहे। परन्तु यह शांति कब तक बनी रहेगी यह हमें देखना है और यह सवाल वही हल कर सकेगा जिस पर कि हमारी आशायें लगी हुई हैं।

आज पाकिस्तान जो भी कार्य कर रहा है वह हमारे इंटिरेस्ट (हित) में किसी सूरत में भी नहीं हो सकता है। आप देखते ही हैं कि नेपाल में एक धरारा (नामक) स्थान है जहां पर हाल ही में एक मस्जिद बनाई गई है। जिस शक्ति की सहायता से पाकिस्तान नेपाल तक पहुंच रहा है यह भी मेरे विचार में आपको मालूम ही है। आज जो अतिथि आपके यहां आते हैं उनका आप बहुत आदर सत्कार करते हैं, लेकिन क्या आपने यह देखने की भी कोशिश की है कि उनका भारत के प्रति कैसा व्यवहार है। जो हमारा बर्ताव उनकी तरफ है और जो उनका व्यवहार करने का तरीका है इसमें गहरा सम्बन्ध है। वे किस प्रकार का बर्ताव हमारे साथ करते हैं इसके बारे में मैं आपके सामने एक छोटी-सी मिसाल रखना चाहती हूं। अभी हाल ही में रूस के उप प्रधान मंत्री पाकिस्तान गये थे। कराची में उन्होंने पत्रकारों को साफ-साफ शब्दों में तो नहीं, परन्तु गोल-मोल ढंग से यह बताया कि काश्मीर हमारा नहीं है। यह चीज उन्होंने खुल्लमखुल्ला ढंग से तो नहीं, यह मैं मानती हूं, लेकिन गोल-मोल तरीके से यह उन्होंने कहा। इसी तरह से अमरीका और इंग्लैंड के लोग हमारे साथी नहीं बन रहे हैं और न हमारी किसी तरह से मदद ही कर रहे हैं। इन सबको मित्र बनाने की हमारी कोशिश के बावजूद भी क्या कारण है कि हम अपनी नीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं।

आज बमों के भंडारों को नष्ट करने की बात चीत जारी है। लेकिन मैं समझती हूं कि इन भंडारों को नष्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उनके विचारों को, उनके मन को नहीं बदल सकेंगे। एक भण्डार को नष्ट यदि आप करवा दें तो अनेकों भण्डार इन बमों के बन सकते हैं। इसलिये विचारों को बदलने की तरफ हमारी कोशिश होनी चाहिये, न कि भण्डारों को नष्ट करवाने की तरफ। आज हमारी आशायें एक जीनियस पर, अपूर्व बुद्धि वाले आदमी पर, मेरा मतलब प्रधान

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

मंत्री जी से है, लगी हुई हैं, जिन्होंने एक प्रकार से साम्यवादियों के मनों को भी बदल डाला है । इस वास्ते हमारी आशायें वही हैं और हम समझते हैं कि वह कुछ जादू कर दें जिससे कि हमारे शरणार्थियों की समस्यायें भी हल हो जायें और हमारे देश में शांति बनी रहे ।

हमारे प्रधान मंत्री जो विदेशों की यात्रा करने वाले हैं, उससे भी यही आशा लगाई जा सकती है कि वह शांति का वातावरण पैदा करने में सफल होंगे और लड़ाई को वह टालने में सफल होंगे । परन्तु आज जो हम नरमी का परिचय दे रहे हैं और जिस तरह से सहिष्णुता दिखा रहे हैं उससे हमको भीरुता की संज्ञा दी जा सकती है । इससे हमें चेना चाहिये । हमारे लिये यह शरणार्थियों का जो प्रश्न पाकिस्तान की ओर से खड़ा किया जा रहा है, इसका कोई न कोई हल ढूंढना चाहिये । मैं तो यह कहूंगी शठे शाठ्यं समाचरेत् । जो शठ है उस के साथ शठता से ही काम लेना चाहिये । महात्मा गांधी ने भी हमें यही सबक सिखाया है । उन्होंने कहा है कि जो हमारी शांति नीति को नहीं समझता उसके साथ हमें दूसरा बर्ताव भी करना चाहिये । इन सब बातों को हमारे प्रधान मंत्री सोचते हैं या नहीं, परन्तु हमारी सब आशायें तो उन्हीं पर लगी हुई हैं । हम कब तक चुप बैठे रहेंगे, कब तक हम लज्जित होते रहेंगे ? आज हमें यहां तक कहा जायेगा कि हम डरपोक व झूठे हैं, बहादुर नहीं हैं और स्थिति का सामना करने के बजाय, भागकर अपना मुंह छिपा रहे हैं । इस वास्ते मैं समझती हूं कि स्थिति का मुकाबला करने के लिये हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये ।

इतना ही मैं कहना चाहती थी ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) :

तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे ।
यत्प्रसादात्प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः ।।

सभापति महोदय, जब मैं खन्ना साहब की तरफ देखता हूं तो ऐसा विचार मेरे मन में आता है कि स्नेह तथा प्रेम से मैं बोलूं । लेकिन जब मैं रिफ्यूजीज की तरफ देखता हूं जिनको उत्पीड़ित कहा जाता है, तो मन कहता है कि जितनी दिल खोलकर गाली दे सकते हो, दो ।

बात यह है कि मैं न पूर्वी बंगाल का रहने वाला हूं और न ही पश्चिमी पाकिस्तान का । मैं तो भारतीय, प्रदेश का पार्टिशन (विभाजन) से पहले था और भारतीय प्रदेश का रहने वाला अब हूं । मैं तो यहां तक कहता हूं कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले जितने भी उत्पीड़ित हैं वे सब के सब भी अगर पूर्वी बंगाल के भाइयों की खातिर बलिदान कर दिये जायें तो मैं इस बात की गारंटी देने को तैयार हूं कि उनको कोई एतराज नहीं होगा और वे अपने प्राण देने को तैयार होंगे । मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि श्रीमान मेहर चन्द जी मर कर जीये और जी कर के पूर्वी बंगाल चले गये और अब बंगाल में बैठे हुये हैं और हम को उनके लाभ से वंचित होना पड़ा है । परन्तु मैं समझता हूं कि उनका भी यदि बलिदान हुआ और उन्हीं के साथ-साथ हमारा भी बलिदान हुआ, अपने पूर्वी बंगाल के भाइयों की रक्षा की खातिर, तो इससे हमें कोई कष्ट नहीं होगा । स्वर्गीय आत्मा सरदार पटेल जब जीवित थे तो उन्होंने एक बार अल्टीमेटम (चुनौती) दिया था कि अगर कोई भी आज के बाद रिफ्यूजी भारत आया तो हम समझ लेंगे । कारण यह है कि भारत के पार्टिशन की एक मात्र कंडिशन (शर्त) यह थी कि माइनोरिटीज (अल्पसंख्यकों) की रक्षा की जायगीं । यह कहा गया था कि किसी भी देश से माइनोरिटीज का एक्सोडस (निष्क्रमण) नहीं होगा । लेकिन पाकिस्तान ने इस एश्योरेंस (आश्वासन) को निभाया नहीं है । आप यह भी जानते हैं, कि जो नेहरू-रियाकत-पैक्ट (संधि) हुआ था, जिसको कि दिल्ली पैक्ट का नाम दिया गया था, उसकी क्या दुर्दशा हुई है । इसके बारे में प्रधान मंत्री कई बार कह चुके हैं और हम देख भी रहे हैं । यह जो रिपोर्ट भेजी गई है इसमें भी हमारे खन्ना साहब ने साफ-साफ कहा है कि अपनी नेगोशियेशंस (वार्ता) में वह निरन्तर परिश्रम करने पर भी अन्त में उनको कोई सफलता

प्राप्त नहीं हुई है । मेरे पास समय नहीं है कि गम्भीरता से इस विषय में और ज्यादा जा सकूं । लेकिन यह शुद्ध रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि दोनों देशों के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रियों ने संयुक्त पर्यटन किया । उससे भी कोई सफलता नहीं हुई । इस वक्त भी अगर हम आंख खोल कर नहीं देखते और पाकिस्तान को जता नहीं देते तो मैं समझता हूं कि हम को सावरेन स्टेट (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य) रहने का कोई अधिकार है ही नहीं । अगर आज एक भी नेशनल के जीवन को खतरा होता है, जिस प्वाइंट पर कि भारत का डिवीजन (विभाजन) हुआ था, और इसको ऐडमिट (स्वीकार) किया जा चुका है कि उन की इज्जत पर, उनके जीवन की रक्षा पर, सब प्रकार का खतरा आया हुआ है और इसी वजह से वह लोग यहां चले आ रहे हैं, इसके सिवा कोई और कारण नहीं है कि उनकी प्रापर्टी का रिक्वीजीशन (अधिग्रहण) किया जा रहा है, सब प्रकार से उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है, तो इसको हम चुपके देख नहीं सकते । हम कहते हैं कि हमें उनके लिये स्थान ढूंढना है । आज कहा जाता है कि उनके रिहैबिलिटेशन की प्राबलेम (समस्या) है । मैं कहता हूं कि सिर्फ रिहैबिलिटेशन की ही प्रावलेम नहीं है, आपको खुल्लमखुल्ला पाकिस्तान से पृथ्वी मांगनी चाहिये, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है । सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एग्जोड्स बढ़ता है, तो एक दिन ऐसा आना चाहिये कि हमारे खन्ना साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यह अल्टिमेटम दे दें, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, कि अगर एक भी रिफ्यूजी वहां से चल कर इधर आता है तो हमारी पुलिस और फौज उनकी रक्षा के लिये वहां जायेगी । अगर आप यह नहीं कर सकते और अपनी मिलिटरी और पुलिस को अपने आदमियों की रक्षा के लिये नहीं भेज सकते हैं तो मैं समझता हूं आप बहुत दिन जी नहीं सकते, आप अपने घर को बहुत दिन तक बचा कर नहीं रख सकते । लेकिन असली प्रश्न तो यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधी जाय । घंटी बांधने का कोई न कोई उपाय सोचें । आपने पेज १० और ११ पर जो रेमेडीज सजेस्ट की (उपाय सुझाये) हैं, **'दे आर आल बीटिंग ऐबाउट दि बुश'** (वह सब केवल शब्दों का हेर-फेर है) वह ऐसी रेमेडीज नहीं हैं जो कुछ फल दिखला सकें । मैं तो कहता हूं कि अगर तकड़ी का एक पल्ला भारी हो जाय तो आपको दूसरी ओर वजन डालना चाहिये । अगर आप दूसरी ओर वेट नहीं डालेंगे तो आपका काम नहीं चल सकता । पाकिस्तान आपके वीक प्वाइंट्स (कमजोरियां) जानता है, अपने वीक प्वाइंट्स जानता है, आप उसके वीक प्लवाइंट पर स्ट्राइक नहीं कर सकते । हमारे रजमी साहब ने, जो कि भोपाल के मेम्बर हैं, कहा था कि हम सब आपके साथ हैं । अगर आप किसी प्रकार से कोई भी कदम उठाने के लिये तैयार हैं । लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं जानता हूं कि आप कुछ करने वाले नहीं हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमको पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की रक्षा करनी है तो यह आवश्यक है कि हम इस को ध्यान में रखें कि पार्टिशन के समय उन्होंने वचन दिया था कि माइनोरिटीज की रक्षा होगी, जिसको कि वह बिल्कुल वायोलेट (उल्लंघन) कर चुके । पाकिस्तानी कान्स्टिट्यूशन बन जाने, पाकिस्तानी स्टेट बन जाने के बाद हिन्दुओं के राइट्स (अधिकारों) को खत्म किया गया, इसी से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने उस वचन को वायोलेट कर डाला । अगर इसके बाद वहां से कोई एग्जोड्स होता है तो हमारी गवर्नमेंट को उचित कदम उठाना चाहिये । और मेरा विश्वास है कि कोई विरोधी पक्ष का व्यक्ति ऐसा न होगा जो सरकार के साथ पूरी तरह सहमत न होगा और अपना सहयोग और सहायता न देगा ।

पूर्वी बंगाल के लोगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में कई प्रकार की बातें कही जा चुकी हैं और, जैसा कि हमारे पश्चिम बंगाल के बन्धुओं ने कहा, मैं भी समझता हूं कि उनके लिये अधिक से अधिक जितना भी किया जाय वह कम है ।

मैंने कई बात भारत सरकार से कहा है कि जो नीति उसने पश्चिमी पकिस्तान से आये हुये उत्पीड़ितों के सम्बन्ध में अपनाई, अपनाई ही नहीं डिक्लेयर (घोषणा) भी की, **'नो प्रॉफिट नो**

[श्री नन्द लाल शर्मा]

लास बेसिस' (न हानि न लाभ आधार) पर लोगों को प्रापर्टी देने की, वह गलत है। इस मंत्रालय का नाम पुनर्वास मंत्रालय नहीं है, उसका नाम रिलीफ एण्ड रिहैबिलिटेशन है। उसको अपने आपको कष्ट में डाल कर, अपने ऊपर बोझ डाल कर, स्वयं छोटा मोटा टैक्स लगा कर भी आने वाले उत्पीड़ितों को सुख सुविधा पहुंचानी चाहिये, यह उसका कर्त्तव्य है।

एक माननीय सदस्य : ऐसे हम इस दुनियां में नहीं रह सकते।

श्री नन्द लाल शर्मा: मैं श्री खन्ना जी के सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं कि उनका मन शरणार्थियों के लिये खिन्न है, स्वयं जिसको दर्द होता है वह दूसरों के दर्द को जानता है, लेकिन उनके इस खेद के बावजूद भी बीमारी बढ़ती गई ज्यों-ज्यों दवा की। मैं अपने कटमोशन (कटौती प्रस्ताव) के सम्बन्ध में शीघ्र आता हूं, स्माल क्लेम्स और नानक्लेमेंट्स के सम्बन्ध में। उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में जो कहा गया था कि पांच हजार के मकान हैं, उन मकानों के लिये अब दस हजार लिये जा रहे हैं। जिन मकानों को नीलाम न करने के लिये कहा गया था और जिनके लिये यह कहा गया था जो जहां बैठे हुये हैं वहां से उन को न उठाया जायेगा, श्री जैन साहब ने कहा था या स्वयं श्री खन्ना साहब ने कहा था, वहां अब ऐसी परिस्थिति हो रही है कि ९० प्रतिशत लोग उनमें से उखड़ जायेंगे। स्वयं हमारे सभापति जी ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था, दूसरे हमारे बन्धुओं ने भी कहा, मैं भी कहता हूं कि जो आदमी पांच हजार रुपये की प्रापर्टी की मार्केट वैल्यू (बाजार के भाव) का तिहाई देने के लिये अपनी स्त्री का जेवर बेच कर इन्वेस्ट (व्यय) करना चाहता था, आज उसकी ताकत नहीं है कि १५० और २०० रुपये की मासिक किस्त अदा कर सके। जो खुद ५०, ६० या १०० रुपये नहीं कमाता है वह किस तरह से १५० रुपये की मासिक किस्त अदा कर सकेगा। फल यह होगा कि तीन साल के बाद उसे एजेक्ट कर देंगे। उस बेचारे का घर भी गया और स्त्री का जेवर भी गया, साथ ही वह पहले की तरह से रिफ्यूजी का रिफ्यूजी रह गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसे कि खन्ना साहब ने पन्द्रह साल के इंस्टालमेंट (किश्त) की बात दूसरे के पक्ष में कही, उसका फायदा जो बेचारे यहां से दस मील की दूरी पर मालवीय नगर में बैठे हुये हैं, और जो कोई धनवान व्यक्ति नहीं हैं, जो ज्यादा कुछ कमा नहीं रहे हैं, उनको भी होना चाहिये।

अब प्रापर्टीज के आक्शन (नीलाम) का सवाल आता है। जिस व्यक्ति का दो, चार या छः लाख रुपये का क्लेम है और आपने आठ हजार से पचास हजार तक की उस को छूट दे दी। वह दे भी सकता है। फल क्या होगा कि धनवान के पास बहुत सम्पत्ति चली जायेगी और गरीब फिर भी वैसे का वैसा रह जायेगा। इस लिये अगर आप इस ९९ परसेन्ट (प्रतिशत) को रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं तो आपको इस ओर ध्यान देना चाहिये।

अब मैं एक चीज की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं, और प्वाइंट छोड़ता चला जा रहा हूं क्योंकि पहले तो समय आध घंटा से बीस मिनट किया गया और अब बीस मिनट से दस मिनट रह गया है, बाद में शायद इसको गिलोटिन (बन्द) ही कर दिया जाय।

ऐसे ही कुछ एक जगहों पर प्रापर्टी के साथ पृथ्वी की वैल्यू भी लगा दी गई है। जैसे अगर पांच हजार रुपये की प्रापर्टी है तो आज हमारी इस मिनिस्ट्री ने क्या किया कि पृथ्वी की कीमत को भी साथ में मिला लिया। मेरे पास जंगपुरा से कई लोग आते हैं और कहते हैं कि वहां पर २५ और २६ रु० पर स्क्वेयर यार्ड (वर्ग गज) जमीन है। २५ रु० पर स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से पांच हजार की प्रापर्टी की कीमत दस हजार रुपये हो गयी। अब जो रिफ्यूजी यह आशा करता था कि मैं पांच हजार का तिहाई पे कर दूंगा और उसके ऊपर जो लीज मनी होगी उसको बर्ष के वर्ष पे करता रहूंगा, उसके बाद में वह प्रापर्टी मेरी हो जायेगी, आज उस के लिये न मार्केट वैल्यू का तिहाई देना सम्भव है और न इन्स्टालमेंट देना। एक चीज। दूसरी चीज यह है कि सन् १९५० में जिस वक्त उसको किसी प्रापर्टी में डाला गया

था उस वक्त की कीमत प्रापर्टी की लगाई जानी चाहिये थी । लेकिन अगर आप सन् १९५५–५६ की उसकी मार्केट वैल्यू लगायेंगे और पांच हजार से दस हजार तक की कीमत लगायेंगे और वह भी बरसों तक, तो बेचारा रिफ्यूजी उसमें कभी नहीं रह पायेगा । इसलिये **'नो प्राफिट नो लास बेसिस'** पर कीमत लगाने से ही काम चल सकता है । बल्कि वालेन्टरी लोन बेसिस स्वयं अपनी तरफ से कंट्रिब्यूट कर के उसको रिहैबिलिटेट करने की आवश्यकता है ।

इसके साथ-साथ मैं और प्वाइंट्स को छोड़ कर मालवीयनगर के स्क्वैटर्स की बात कहना चाहता हूं । उन के लिये कहा जाता है कि वे अनआथराइज्ड आकुपेन्ट्स (अनधिकृत अधिकारी) हैं । मैं पूछता हूं कि अनआथराइज्ड आकुपैन्ट्स वह हैं या आप हैं जिन्होंने हाउस पर जा कर कब्जा कर लिया । आज पार्लियामेंट में बैठे हुये हैं उन लोगों को कभी कत्ल करवाया गया था, मगर जो आज तक कत्ल हो रहे हैं और अपने घरों को छोड़ रहे हैं अगर वह अपने लड़कों बच्चों को धूप और बारिश से बचाने के लिये वहां जा छिपे जहां कोई रहता नहीं था, उनको आप कहते हैं कि अनआथराइज्ड आकुपैन्ट्स हैं । मैं तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर शाह साहब से निवेदन करूंगा जो कि यहां बैठे हुये हैं, मैं दोनों मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि उन पर ध्यान देना चाहिये । जो आकुपैन्ट्स हैं जिन्होंने आपके ५०० या ७०० रुपये के मकानों पर कब्जा किया है उनकी ओर ध्यान दें । दूसरी कालोनीज में, तिहाड़ में, शाहदरा में, गांधीनगर में और कृष्णनगर में तो आप ने एक प्रेस नोट निकाल कर कह दिया कि जो लोग यहां १९५० से १९५४ तक आये उनका राशन कार्ड देख कर ही उनको फ्री कर दिया जायेगा । मैं पूछता हूं कि आज राशनकार्ड भी उनके पास नहीं है, उनके पास और कोई चीज नहीं है, अगर वह बोनाफाइडी रेफ्यूजी सर्टिफिकेट आपके सामने दे सकता है, प्रूफ दे सकता है तो कोई कारण नहीं है कि वहां से उसको क्यों हटाया जाय और उसके रहने का उपाय क्यों न किया जाय ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आज मालवीयनगर के मकानों की कीमत भले ही काफी दिखाई देती हो लेकिन जिस समय शरणार्थी लोग उन मकानों में गये थे तो उन मकानों की यह कीमत नहीं थी, इसलिये मैं खन्ना जी से निवेदन करूंगा कि वह मालवीय नगर के स्कवैटर्स की ओर ध्यान दें और यह देखें कि उनके साथ ऐसा कोई कठोर व्यवहार न होने पाये । और भी इसी तरह के केसेज हुए हैं और एक मेरे मित्र ने बतलाया कि सुओमोटो कितने ही क्लेम्स का रिवीजन किया जा रहा है । जिस शरणार्थी का क्लेम हैं, उसको पता नहीं होता और उसके क्लेम को रिवाइज कर दिया जाता है । अगर उस बेचारे का रूरल (ग्रामीण) क्लेम है और वह २० हजार से १९ हजार कर दिया गया तो बेचारा कम्पेंसेशन से वंचित हो जाता है । मैं चाहता हूं कि हर परिस्थिति में जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका न दिया जाय तब तक उसके क्लेम को रिवाइज न किया जाय और स्वयं अपनी ओर से उसका क्लेम घटाया न जाय ।

इसी प्रकार से इवैकुई प्रापर्टी (निष्क्रान्त सम्पत्ति) के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो प्रापर्टी के रेस्टोरेशन की हमारी सरकार में बीमारी है, उसकी वजह से हम यहां हिन्दुस्तान में आने वाले मुस्लिम व्यक्तियों को पुनः उन मकानों में बसा रहे हैं, यह प्रापर्टीज के रेस्टोरेशन की बीमारी हमारी सरकार में बहुत है और उनके वास्ते हमारी सरकार के दिल में बहुत दर्द है और हम देख रहे हैं कि इवेकुई प्रापर्टीज एक-एक करके कम होती जा रही है और आपके इवेकुई डिपार्टमेंट में जो अफसरान लोग काम कर रहे हैं उनको एक ही चिन्ता है कि हम किसी तरह से इवेकुई प्रापर्टीज को कम करके दिखलायें । इस तरह का एक केस मुजफ्फरनगर का हमारे सामने आया और वह इस प्रकार है कि वहां पर एक स्वामी, काशी आश्रम के मन्दिर की प्रापर्टी के बारे में कुछ लोगों ने शिकायत कर दी और कह दिया कि यह तो मियां लियाकत अली की प्रापर्टी है और उस पर झगड़ा उठ खड़ा हुआ और उसको नोटिस दिया गया । उसने अपने कागजात दिखाये और उसने कहा कि यह प्रापर्टी मेरी है, मेरी भी नहीं यह मन्दिर की प्रापर्टी है और इस प्रापर्टी का मियां लियाकत अली के साथ कुछ भी सम्बन्ध

[श्री नन्द लाल शर्मा]

नहीं है । उससे कहा गया कि खाली तुम इस कागज पर दस्तखत कर दो और आगे कोई झगड़ा नहीं होगा । उस बेचारे ने दस्तखत कर दिये, अंग्रेजी वह पढ़ा लिखा था नहीं । थोड़े दिनों के बाद उसको नोटिस आया कि तुम इसका किराया देना शुरू करो नहीं तो तुम्हारे बरखिलाफ एक्शन (कार्यवाही) लिया जायेगा । अब वह परेशान होकर इधर से उधर दौड़ा-दौड़ा फिरता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती । मैंने उस सम्बन्ध में मुजफ्फरनगर के अपने प्रतिनिधि श्री त्रिपाठी जी से कहा जिन्होंने यह कहा कि सम्बन्धित अफसर ने अपनी कारस्तानी दिखाई है । मैं ऐसे और भी अनेकों केस आपके सामने रख सकता हूं ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : आप मुझे केसेज दे दीजिये, मैं हर एक केस को एग्जामिन करूंगा ।

श्री नन्द लाल शर्मा : आप का बहुत धन्यवाद और साथ ही सभापति महोदय का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना समय बोलने के लिये दिया ।

श्री पी० एल० बारूपाल (गंगानगर-झुंझनू-रक्षित अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मैं आरम्भ में अपने पुनर्वास मंत्री श्री मेहर चन्द खन्ना को उनकी उस महत्वपूर्ण घोषणा के लिये बधाई देता हूं जिसके फलस्वरूप ऐसे हजारों निर्धन हरिजनों को जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, उनको अस्थाई रूप से जो भूमि दी गई थी, इस घोषणा से वे उस भूमि के मालिक बन जायेंगे और वह सहज ही में भूमि की लागत की जो रकम है, उनको १५ साल में वह सरकार को अदा कर देंगे और इस प्रकार से वह सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे और वे भूमि के मालिक बन जायेंगे । परन्तु मै खन्ना साहब से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इतने ही से उनको संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये क्योंकि अब भी हमारे राजस्थान के गंगानगर इलाके में करीबन ८ हजार भूमिहीन रेफ्यूजीज ऐसे हैं जो कि खुश्की के रास्ते से आये हैं और अभी तक उनका कोई इन्तजाम नहीं हुआ है । मैं इस तरह के ५,५०० भूमिहीन परिवारों की सूची पुनर्वास मंत्रालय के सूचनार्थ भेज चुका हूं और २,५०० भूमिहीन रेफ्यजीज की लिस्ट मैं अभी तैयार कर रहा हूं । मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है और बार-बार मैं इस सम्बन्ध में प्रार्थना करता रहा हूं कि वे ऐसे रेफ्यूजीज हैं जो कि नान क्लेमेंट्स हैं, उनके पास में कोई साधन नहीं है । सरकार ने कुछ दिया नहीं है, और हमारी राजस्थान सरकार ने भाखड़ा केनाल (नहर) के क्षेत्र में किसानों को जमीनें देने का जो नियम बनाया है और दूसरी जगह पर भी जो किसानों को जमीन बांटने का नियम बनाया है, वह नियम ऐसा है और वह नियम इस प्रकार से बनाया है कि उसके अन्तर्गत सन् १९४७ से पहले जिस किसान का नाम वोटर्स लिस्ट (मतदाताओं की सूची) में शामिल है, अथवा माल-सुमारी गिरदावरी जिसके नाम हैं उसी किसान को जमीन दी जायेगी और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि वे हजारों अभागे लोग इस नियम के कारण भूमि पाने से वंचित रह जाते हैं । क्योंकि वे पाकिस्तान से आये हैं अब आप ही बतलाइये कि यदि राजस्थान सरकार उनको भूमि देने के लिये इन्कार करती है और राजस्थान सरकार नहीं मानती है और उधर हमारी भारत सरकार और हमारा पुनर्वास मंत्रालय भी यदि उनको भूमि देने वालों की सूची में शामिल करने के लिये कोई मार्ग नहीं बनाते हैं, और शरणार्थी नहीं मानते हैं ? तो उन गरीबों का क्या हाल होगा ? मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जैसे भी हो इन लोगों को आप जमीनें दें और अगर आप ऐसा करते हैं तो यह उन पर बड़ी कृपा होगी ।

जहां तक जमीन निकालने का सवाल है, मैं उसके सम्बन्ध में विशेष कुछ कहना उचित नहीं समझता लेकिन इतना मैं अवश्य जानता हूं कि अगर आप चाह तो गंगानगर में आपको काफी जमीन इस काम के लिये मिल सकती है । इस बात को दुहराते हुए आज लगभग संसद् में चार वर्ष हो गये लेकिन उसका कोई विशेष नतीजा नहीं निकला है । इसके अतिरिक्त जो जमीनें उनमें से काफी लोगों को पहले एलाट हुई थीं, उनसे उन जमीनों को छीनने का एक तरीका वहां पर बनाया गया और वह तरीका

यह था कि जिन लोगों को जमीनें एलाट हुई थीं, वहां पर २, २ वर्ष तक अकाल पड़ा और उनको बीज की तथा लोन (ऋण) की सहायता या किसी प्रकार का और लोन नहीं मिला, और वह उस जमीन पर खेती नहीं कर पाये, जो धनी लोग थे उनको मालूम था कि भाखड़ा नहर इधर आने वाली है और थोड़े दिन में यह इलाका सरसब्ज बनने वाला है, इसलिये वे लोग जो साधन सम्पन्न थे और जिनम सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने की हिम्मत थी और जिनके पास पैसा था उन लोगों ने इस नियम से वह जमीनें उनकी कैंसिल (रद्द) करा दीं। और वह जमीनें उन लोगों से छीन कर उन धनी लोगों को दे दी गई। मैं इस विषय में और विशेष नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार के लोग जैसलमेर बाड़मर में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, जोधपुर में मिलेंगे और बीकानेर में भी आपको मिलेंगे और इस सम्बन्ध में मैंने आपकी सेवा में ५,५०० भूमिहीन रेफ्यूजीज की सूची भेजी है और २,५०० की सूची मैं तैयार कर रहा हूं जिनको कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गई है। इसी प्रकार से कुछ शरणार्थी जो हरिजन नहीं है और दूसरे जो गरीब लोग हैं वे बीकानेर में अभी भी सड़कों पर पड़े हैं और उनके लिये दुकानों या रहने के लिये मकानों का कोई इन्तजाम नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और यह रोज-रोज शरणार्थी शब्द सुनना बुरा-सा लगता है और आखिर हम कब तक इस शरणार्थी समस्या को इस तरह चलाते रहेंगे और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस ओर पूरा ध्यान दें।

मैं एक बार पुनः यह जो आपने हरिजनों के लिये १५ वर्ष में अपनी जमीनों की किश्त अदा करने की घोषणा की है, इसके लिये आपको बधाई देता हूं और इस घोषणा से हमारे वह हरिजन भाई बस जायेंगे।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : श्रीमान्, मैंने माननीय सदस्यों के भाषण बहुत ध्यान पूर्वक सुने हैं। शनिवार को व आज अनेक भाषण दिये गय। हमारे कार्य की जो प्रशंसा की गई उसके लिये मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूं। साथ ही काफी आलोचना भी की गई। मैं आरम्भ में ही कह दूं कि उसका मैं स्वागत करता हूं। आलोचना से हमें अपनी गलतियां मालूम होती हैं और हम उन्हें सुधार लेते है। यही नहीं, मैं तो इस समस्या को हल करने के लिये समस्त राजनैतिक दलों का सहयोग चाहता हूं चाहे वे किसी भी विचार-धारा के हों। यह एक मानवीय समस्या है; ऐसी समस्या जो लाखों आदमियों की यातना से सम्बन्धित है। ऐसे आदमियों की संख्या लगभग ९० लाख है। वे अपने घरों से एक गल ी के कारण विस्थापित कर दिये गये हैं और वह गलती है अपनी मातृभूमि से प्रेम। उन्होंने अपने देश के लिये अपने को बलिदान कर दिया। मैं आपको और आपके द्वारा लोक-सभा के माननीय सदस्यों को आश्वासन दता हूं कि जब तक मैं पदासीन रहूंगा मेरा यह परम कर्त्तव्य होगा कि मैं प्रत्येक शरणार्थी को पुनर्वासित देखूं।

पहले मैं पूर्व के सम्बन्ध में कहूंगा। पूर्व और पश्चिम के बीच तुलना की गई है। मैं समझता हूं समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार करना ठीक नहीं है। पुनर्वास समस्या को इस दृष्टि से देखना अवास्तविक है। पूर्व की समस्या पश्चिम की समस्या से सर्वथा भिन्न है। यहां हम किंचित आधारभूत तथ्यों को लेंगे। पहला तथ्य यह है कि जबकि पश्चिम में यह समस्या एक निश्चित रूप की थी, पूर्व की समस्या अनिश्चित प्रकार की है। पश्चिमी पाकिस्तान से प्रारम्भिक अवस्थाओं में ही एक साथ सब आदमी आ गये और उनकी संख्या ज्ञात थी। पूर्व में, जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा, समस्या भिन्न प्रकार की है। पहली भगदड़ में लाखों आदमी आये। फिर १९५० के लगभग पुनः उपद्रव प्रारम्भ हुए और नेहरू-लियाकत समझौता हुआ। दूसरी भगदड़ में लाखों आदमी आये। फिर हाल की भगदड़ में, जो लगभग एक वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई, हर महीने हजारों आदमी आ रहे हैं। हम नहीं जानते कि इसका अन्त कब होगा। मैं अपना भरसक प्रयत्न कर चुका हूं। मैं गत वर्ष पाकिस्तान गया। मैं अपने दोस्तों से मिला।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

मुझे उनसे बड़ी-बड़ी आशायें थीं । हमने समझौते और करार किये । मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि भारत ने खोखरापाड़ में सीमान्त प्रतिबन्ध से सम्बन्धित समझौतों का अक्षरशः पालन किया है । जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, मुझे कोई भी परिणाम नहीं दिखाई देता । मेरे जाने का कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि प्रव्रजन की संख्या कम होने के बजाय अधिक होती जा रही है ।

मैं कुछ दिन पहले ही बड़ी-बड़ी आशायें लेकर फिर कराची गया था । पाकिस्तान के सत्ताधीश गणतन्त्र समारोह में व्यस्त थे, परन्तु फिर भी मैंने उनमें से कुछ से बातचीत की । यद्यपि यह आश्वासन दियो गया है कि हम इस मामले पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और उनका वर्ताव सद्भावना-युक्त था और वे यह नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी राष्ट्रजन पाकिस्तान छोड़े, मैं लोक-सभा में अथवा बाहर कोई बड़ी आशा नहीं दिला सकता । इस वर्ष मैंने पाकिस्तान में जैसी स्थिति देखी वह गत वर्ष से सर्वथा भिन्न थी । मुझे वहां का वातावरण बड़ा खराब मालूम पड़ा हम जैसी स्थिति में हैं उससे यही कह सकते हैं कि इस सरकार से इस दिशा में जो कुछ भी हो सकेगा वह करेगी । परन्तु फिर भी इस समस्या का कहीं अन्त नहीं दिखाई देता ।

पूर्व और पश्चिम की समस्याओं में एक अन्य अन्तर यह है कि पश्चिम में दोनों ओर से आना-जाना रहा जब कि पूर्व में एक ही ओर से आदमियों का आना हुआ है । वे कुछ हजार मुसलमान भी, जो १९५० में पाकिस्तान गये थे, नेहरू-लियाकत समझौता के अन्तर्गत वापस आ गये । इस बात की मुझे, भारत सरकार को और देश के प्रत्येक नागरिक को गर्व है कि भारत की आर्थिक और राजनैतिक दशा इतनी स्थिर है कि भारतीय नागरिक तो पाकिस्तान जाने की सोच ही नहीं सकते, उल्टे पाकिस्तानी ही अपना देश छोड़कर यहां आ रहे हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से लगभग ३७ लाख हिन्दू आ गये हैं, परन्तु उनके बसाने के लिये स्थान नहीं है । पंजाब और पेप्सू में कुछ जगह अवश्य थी—लगभग ६० लाख एकड़ निष्क्राम्य भूमि । हमने उस भूमि पर लगभग साढ़े चार या पांच लाख परिवारों को बसाया । वहां कई लाख मकान थे । उनमें हमने उनको बसा दिया । अब श्री नन्द लाल शर्मा और कुछ अन्य लोग कहते हैं कि उन लोगों को उस सम्पत्ति का स्वामी बना दिया जाय । इस समस्या का सामना तीन राज्य—बंगाल, आसाम और त्रिपुरा—कर रहे हैं । न वहां कोई मकान हैं और न भूमि ।

तीसरे, मेरा अपना ख्याल, पुनर्वास मंत्रालय से प्रारम्भ से ही सम्बन्धित होने के नाते, यह है कि पूर्व की समस्या पश्चिम की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन और जटिल है क्योंकि न तो हमें इस बात की जानकारी है कि कितने आदमियों को बसाना है और न हमें उनके बसाने के लिये मकान और भूमि मिल रही है । उदाहरणार्थ, त्रिपुरा को ले लीजिये । त्रिपुरा के सदस्य भी यहां उपस्थित हैं । त्रिपुरा की ५० प्रतिशत से अधिक आबादी शरणार्थियों की है । सम्भवतः शरणार्थियों का सबसे अधिक जमाव त्रिपुरा में ही है । यदि आप त्रिपुरा जायें तो क्या पाते हैं ? वहां कोई भूमि नहीं है । स्वयं त्रिपुरा के लोगों की ही बड़ी खराब हालत है । जहां भूमि उपलब्ध न हो, जहां रोजगार के साधन न हों वहां बड़ी कठिनाई हो जाती है । यही बात आसाम के सम्बन्ध में भी है । वहां पर भी कई समस्यायें हैं—आदिम जातियों से सम्बन्धित समस्यायें, स्थानीय समस्यायें और शरणार्थी समस्या । पश्चिमी बंगाल की भी यदि अधिक नहीं तो इतनी ही खराब दशा है । मैं पिछले १५ महीने बंगाल में रहा हूं । मैंने बहुत सी बस्तियों, कैम्पों और केन्द्र को देखा है । पश्चिमी बंगाल में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक ह । वहां बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है । इसलिये पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास समस्या पर विचार हमें सब बातों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिये । पश्चिम स तुलना करके आप उसका हल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सर्वथा भिन्न समस्याऐं हैं, जिनका दो भिन्न तरीकों से हल किया जाना चाहिए ।

यह पूछा जा सकता है कि आप इस मामले में क्या करने का विचार रखते हैं, आप उसे कैसे हल कर रहे हैं ? वह चित्र बहुत अन्धकारयुक्त हो सकता है । परन्तु यदि आप पुनर्वास मंत्री के रूप में जिम्मेदारी स्वीकार करें तो समस्या का हल करना आपका कर्त्तव्य होगा । उपाय क्या है ? इस कठिन, जटिल मानवीय समस्या का हल करने के लिये आप हमें क्या उपाय बतायें ?

पहली चीज जो मैं लोक-सभा को बताना चाहता हूं यह है कि हम एक योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं । हमने एक रूपरेखा (ब्लू प्रिंट) बना रखी है । श्री एन० सी० चटर्जी यहां नहीं हैं । मैं उन्हें बताना चाहता था कि हम एक योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं । योजना और रूपरेखा (ब्लू प्रिंट) तैयार करने के पूर्व मैंने कुछ प्रारम्भिक कार्य किया । वह प्रारम्भिक कार्य क्या था ? सर्वप्रथम मैंने संसत्यसदस्यों को कलकत्ता में, एक बार नहीं, कई बार, एक सम्मेलन में आमंत्रित किया । उसमें हमने राजनैतिक सम्पर्कों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया । हमने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास समस्या पर कई दिनों तक, और उसके समस्त पहलुओं को लेकर, चर्चा की । उन्होंने मुझे अपने सुझाव दिये । उन्होंने मुझे जो बातें बताईं उनसे मुझे समस्या के सम्बन्ध में कुछ आभास हुआ । दूसरा कदम मैंने यह उठाया कि सम्बन्धित राज्यों और उनके मंत्रियों से इस सम्बन्ध में चर्चा की । मैंने उनके साथ कई बैठकें भी कीं । फिर मैंने अनेक समितियां नियुक्त कीं मैंने आपको बताया कि मेरे लिए यह समस्या नई थी और मैं फिर से कहूंगा कि पूर्व और पश्चिम की समस्यायें सर्वथा भिन्न हैं । यदि कोई आदमी दिल्ली में बैठकर यह दावा करे कि वह पूर्व की समस्यायें जानता हैं तो मैं उसे नहीं मान सकता । आप वहां की समस्या तभी जान सकते हैं जब आप वहां जांय और उनके बीच रहें । समस्या का कुछ आभास प्राप्त करके मैंने अनेक समितियां नियुक्त कीं पहली विकास समिति थी जिसमें विशेषज्ञ थे । विचार यह था कि वे लोग स्वयं विभिन्न बस्तियों व कस्बों में जायें और सब चीजें देखकर एक योजना तैयार करें जिससे यह पता चल सके कि ऐसी कौन सी आवश्यक मूल मानव सुख-सुविधायें हैं जो किसी भी मनुष्य के लिये उस बस्ती या घर में रहने के लिये आवश्यक है जिसमें कि उसे अपना जीवन बिताना होता है । दूसरी समिति जो मैंने नियुक्त की थी वह प्रविधिक प्रशिक्षण समिति थी जो विस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण की समस्या की जांच के लिये बनाई गई थी । उसका काम यह देखना था कि उपलब्ध स्थानीय संसाधन क्या हैं, बाजार सम्बन्धी सम्भाव्यतायें क्या हैं, तथा जो विस्थापित व्यक्ति आये हैं उनका रुझान और पृष्ठ भूमि कैसी है । यदि वे जुलाहे थे तो हम ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें जुलाहे खप सकें और अन्य के सम्बन्ध में इसी प्रकार करते हैं । उस समिति ने भी मुझे एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया । इतना ही नहीं, मैंने एक उद्योग समिति भी नियुक्त की । प्रविधिक प्रशिक्षण, उत्पादन केन्द्रों और कुटीर उद्योगों के छोड़कर विचार यह था कि इस समस्या के हल का प्रयत्न कई ओरों से किया जाय । उस उद्योग समिति ने कई योजनायें बनाईं हमें कताई की मिल खोलनी चाहिये अथवा अन्य कोई उद्योग । इस समिति का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है ।

एक अन्य समिति आश्रमों और अपाहिजग्रहों के प्रश्न की जांच के लिये नियुक्त की गई थी । ऐसे बहुत से अभागे व्यक्ति हैं जिनके पति अथवा मां-बाप नहीं रहे हैं जो अवयस्क हैं, आदि । आप उनके जीवन की सही स्थिति और उनके विचारों का पता तभी लगा सकते हैं जब उनके बीच में जाकर रहें । मैं उन्हें जानता हूं क्योंकि मैं भी एक विस्थापित व्यक्ति हूं । मैं भी कभी-कभी अपने माननीय मित्रों के भाषणों को सुनता हूं । दुःख है कि श्री एन० सी० चटर्जी यहां नहीं हैं । वे शरणार्थियों के सम्बन्ध में भाषण दे सकते हैं परन्तु वे उनके दुःखों और भावनाओं को नहीं समझ सकते । मैं उन्हें समझता हूं क्योंकि ९० लाख शरणार्थियों की तरह मुझे भी अपना घरबार छोड़ना पड़ा था । मैं जानता हूं कि शरणार्थी को किन दुःखों और यातनाओं को सहन करना पड़ता है । इस परामर्शदात्री समिति में ऐसे सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं जिन्होंने अपना समस्त जीवन पतितों के हेतु अर्पण कर दिया है । इस तरह समस्या का वास्तविक

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

रूप जानने के लिये मैंने कई महीनों तक काम किया, मैंने कई समितियां नियुक्त कीं और मैं यह कहने का दावा कर सकता हूं कि मैं यह जानता हूं कि समस्या किस प्रकार की है ।

फिर दूसरी अवस्था आई । समस्या का रूप जान लेने पर प्रश्न उठता है उसके आकार का । पश्चिम में, जैसा कि मैंने कहा, उसका आकार ज्ञात था । हमने १९५२ में एक तथ्यान्वेषी समिति नियुक्त की । उसने एक बहुत अच्छा प्रतिवेदन तैयार किया । परन्तु जब तक उस प्रतिवेदन की पुनर्वास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में जांच की गई वह गतकाल हो गया क्योंकि पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना जारी था । मैंने विचार किया कि हमें समस्या का आकार जानना चाहिये । इसके लिये पहली आवश्यकता सर्वेक्षण की थी । परन्तु उसमें भी एक कठिन प्रश्न उपस्थित हुआ कि विस्थापित व्यक्ति किसे समझा जाय ? आसाम और त्रिपुरा में उसकी भिन्न-भिन्न परिभाषायें थीं । पश्चिमी बंगाल में उसकी एक सर्वथा भिन्न परिभाषा थी । इसलिये हमने यह जानने का निश्चय किया कि विस्थापित व्यक्ति कौन है ? विस्थापित व्यक्ति की परिभाषा कर लेने पर मैंने पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा की सरकारों से सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया । सूचना आती जा रही है और हम थोड़े ही समय में समस्या का आकार जान जायेंगे ।

अब तीसरी अवस्था थी कि समस्या का रूप और आकार जान लेने पर आगे क्या किया जाय ? इसलिये हमने राज्य सरकारों के परामर्श से एक रूप रेखा (ब्लू प्रिंट) तैयार की । मैंने योजना आयोग से धन के लिये अनुरोध किया और आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये ९० करोड़ रुपये दिये हैं । इसके अतिरिक्त हमें अपने सहायता व्यय को भी हिसाब में लेना है जो लगभग ७ करोड़ रुपये प्रति वर्ष है । अगले पांच सालों में वह ३५ करोड़ होगा । इसलिये मुझे विस्थापित व्यक्तियों के लिये कुल १२५ करोड़ रुपये दिये गये हैं । इस धनराशि में प्रतिकर की राशि सम्मिलित नहीं है जो हम पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को भुगतान कर रहे हैं । यह काफी बड़ी राशि है और यदि मंत्रालय और सम्बन्धित राज्य उसे ठीक तरह खर्च कर सकें तो मुझे विश्वास है कि हम बहुत कुछ काम कर लेंगे । यद्यपि मैं कह रहा था कि पूर्व और पश्चिम की तुलना ठीक नहीं है, मैं कहूंगा कि चूंकि पश्चिम में पुनर्वास समस्या बहुत हद तक हल हो चुकी है इसलिये इस राशि, अर्थात् १२५ करोड़ रुपये में से अधिकांश पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर खर्च किया जायेगा ।

यह मामला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता । आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी योजना आयोग ने मुझे यह आश्वासन दिया है कि यदि तीसरे वर्ष में आपको कठिनाइयां मालूम हों तो हम स्थिति पर फिर से विचार करेंगे । इस तरह योजना और रूपरेखा (ब्लू प्रिंट) तैयार हैं और मुझे धन भी मिल चुका है ।

†**श्री आर० पी० गर्ग :** क्या माननीय सदस्य लोक-सभा पटल पर एक योजना की रूप रेखा रखने की कृपा करेंगे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं माननीय सदस्यों को अपनी अद्धवार्षिक समीक्षिकायें और प्रतिवेदन भी दे चुका हूं । अब मैं किसी समय इन प्रलेखों पर उनके साथ बातचीत करूंगा ।

मैं यह नहीं कहता कि पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास सम्बन्धी कार्य पूरा हो गया ह और हमने बहुत ही शानदार काम किया है परन्तु मैं यह बात सिर ऊंचा उठा कर कहूंगा कि हमने अच्छा नहीं तो बुरा काम भी नहीं किया है । हमने प्रचुर मात्रा में सफलतायें प्राप्त की हैं । अब तक हम लगभग सवा दो लाख परिवारों को भूमि देकर बसा चुके हैं। हमने लगभग १,६०,०००

†मूल अंग्रेजी में

परिवारों के लिये सहायक ग्रामीण वृत्तियों का प्रबन्ध किया है। हम स्वयं और विस्थापित व्यक्तियों को ऋण दे कर लगभग ३·५ लाख मकान बना सके हैं। अन्य २ लाख परिवारों को रोजगार भी दिलाया गया है। यह कोई कम सफलता नहीं है। परन्तु जब एक ओर तो हम विस्थापित व्यक्तियों को बसाते जाते हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान अपने नागरिकों को अपने देश से बाहर धकेलता जा रहा है तो समस्या बड़ी ही गम्भीर और जटिल बनती जा रही है।

मैं मानता हूं कि कुछ मामलों में हम विस्थापितों को लाभप्रद जमीनें नहीं दे सके हैं। यह बात सच है। मैं अब स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहता हूं कि जिन मामलों में हम लाभप्रद जमीनें नहीं दे सके हैं, उन मामलों में, यदि कोई भूमि प्राप्य है तो, हम पुनः विचार करने के लिये तैयार हैं। हम पुनर्वास का कार्य पूरा करना चाहते हैं। जैसा कि परसों किसी ने कहा था कि समस्या के साथ धीरे-धीरे खिलवाड़ करने का कोई लाभ नहीं है, मैं समस्या को लम्बे समय तक खींचना नहीं चाहता। भारत सरकार लोगों को बसाना चाहती है। यदि वे अब तक पुनर्वास कार्य के लिये लगभग २८५ करोड़ रुपये दे सकती है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन मुझे १२५ करोड़ रुपये दे सकती है और मुझे यह भी आश्वासन दे सकती है कि पुनर्वास समस्या पर योजना के तृतीय वर्ष में पुनर्विलोकन किया जा सकता है तो उसके बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि वह समस्या के साथ बेकार खींचा-तानी कर रही है। इसलिये, यदि भूमि प्राप्य है, तो हम लाभप्रद जमीनों के वंटन के प्रश्न पर विचार करने के लिये तैयार हैं।

इसी प्रकार हम ऋणों की एक दूसरी किश्त भी दे रहे हैं। पश्चिम में हमने ऐसा नहीं किया है। परन्तु जहां कहीं हम यह देखते हैं कि कोई विस्थापित व्यक्ति अपनी ओर से पूरे प्रयत्न कर रहा है परन्तु उसके नियन्त्रण के बाहर जो बातें हैं उनके कारण वह अपने परिश्रम का इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सका है, हम उसे ऋण की एक दूसरी किश्त भी दे रहे हैं।

एक शिकायत यह थी कि ऋणों का लाभ नहीं उठाया गया है और वे बेकार सिद्ध हो रहे हैं। क्यों ? क्योंकि एक से अधिक किश्तों में ऋण दिये गये हैं। यह बात मुझे माननी पड़ी है और मैंने स्वीकार कर ली है। अब हम ने यह निर्णय किया है कि, भूमि के स्वामित्व तथा अन्य प्रारम्भिक बातों की पड़ताल करने के बाद, जहां तक सम्भव हो, एक ही किस्त में ऋण दिये जायेंगे ताकि शरणार्थी उसका पूर्णतः लाभ उठा सकें।

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा–पश्चिम) : क्या यह सच नहीं है कि त्रिपुरा में ३१ मार्च तक ऋण कई किश्तों में दिये जाते थे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : कठिनाई यह है कि आप त्रिपुरा के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानते हैं और मुझसे बार-बार न जाने क्यों पूछते रहते हैं। जब मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं तो या तो आप अस्वस्थ होते हैं या आपका कोई मित्र बीमार होता है। मैं आपको केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि मैं यह कहूं कि हमने गलतियां नहीं की हैं तो हमारा यह कहना बड़ी बात कहना होगा। हमने गलतियां की हैं। मैं लोक-सभा में स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि मैं और मेरे मंत्रालय के पदाधिकारी परीक्षण की स्थिति में हैं। हम आपकी प्रत्याशाओं में तथा शरणार्थियों की प्रत्याशाओं में पूरा उतरना चाहते हैं।

ऋणों के अनुदान के सम्बन्ध में कठिनाई है। विरोधी पक्ष के मेरे एक मित्र ने नियम २१६ के अधीन एक प्रश्न पूछा था और मुझ से स्पष्ट रूप से यह वक्तव्य देने की मांग की थी कि पश्चिमी बंगाल की तुलना में त्रिपुरा में चाहे स्थिति कुछ भी हो, त्रिपुरा में प्रत्येक व्यक्ति को, किसी विशिष्ट उच्चतम सीमा तक, बिना किसी सोच विचार के, ऋण दिये जायेंगे मैंने तब इस सम्बन्ध में अस्वीकृति प्रकट

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

की थी और आज फिर उसे दोहराता हूं । मेरी नीति या मेरे मंत्रालय की नीति ऋणों को पुनर्वास से सह-सम्बद्ध बनाना है । यदि भूमि प्राप्य है, यदि रोजगार मिल सकता है, यदि कुछ ऐसी बातें हों जो मुझे विश्वास दिला दें कि अमुक शरणार्थी अपनी ओर से पूर्ण परिश्रम कर रहा है, तो मैं उच्चतम सीमा से भी आगे जाने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री बीरेन दत्त :** क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** आप अन्त में पूछ सकते हैं ।

†**श्री बीरेन दत्त :** क्या मैं पूछ सकता हूं.....

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं उत्तर नहीं दूंगा ।

†**सभापति महोदय :** शान्ति, शान्ति । जब वे अपना भाषण समाप्त कर लें तब माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे ।

†**श्री बीरेन दत्त :** जानकारी के लिये ।

†**सभापति महोदय :** जानकारी के लिये भी उसी समय पूछिये । वह अब उत्तर नहीं दे रहे हैं । माननीय सदस्य प्रश्न पूछते जा रहे हैं । वह सुन नहीं रहे हैं ।

†**श्री बीरेन दत्त :** एक प्रश्न है ।

†**सभापति महोदय :** मैं जानता हूं कि केवल एक प्रश्न है परन्तु उसे बाद में भी पूछा जा सकता है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मै सभा को यह बताने का प्रयत्न कर रहा था कि हम ऋण देते हैं और देते रहेंगे किन्तु ऋण केवल पुनर्वास कार्यों के लिये ही दिये जायेंगे । पुनर्वास वित्त प्रशासन के विषय में मेरे यही विचार हैं । पुनर्वास वित्त प्रशासन ने अभी तक पश्चिमी बंगाल अथवा पूर्वी प्रदेश में ४ करोड़ रुपयों तक का ऋण दिया है । मेरी जानकारी है कि ५० प्रतिशत ऋण अशोध्य है । और ३० प्रतिशत की स्थिति डगमगा रही है । शेष २० प्रतिशत में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति दैवात अथवा संभवतः पुनर्वासित हो सकेगा । मैं इन स्थितियों में ऋण नहीं देना चाहता हूं । मेरा विचार है कि ऋण पुनर्वास से सम्बन्धित होना चाहिये तथा ऋण उन्हीं बस्तियों में दिया जाना चाहिये जिनकी हमने स्थापना की है तथा जहां विस्थापित व्यक्तियों की बड़ी संख्या है । इससे उन्हें लाभप्रद नियोजन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । जिस व्यक्ति पर विस्थापित होने की छाप है केवल उसे ही ऋण नहीं दिया जाना चाहिये ।

सम्पूर्ण सुझाव अथवा जो प्रश्न उठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में कहना सम्भव नहीं है परन्तु मैं सभा को यह बता दूं कि किसी भी ओर से प्राप्त प्रत्येक सुझाव पर उचित ध्यान दिया जायेगा । लोक-सभा में जो भी सुझाव रखा गया है मैं उस पर समुचित कार्यवाही करूंगा ।

पूर्वी प्रदेश में पुनर्वास सम्बन्धी दो या तीन महत्वपूर्ण बातें हैं । एक प्रश्न भूमि से सम्बन्धित है । खबरों के आधार पर सब सही हो सकता है किन्तु खबरें पुरानी हैं । पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री और वहां के पुनर्वास मंत्री से मुझे जितना सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है और इसके परिणाम-स्वरूप यदि कुछ भूमि प्राप्त हुई तो वह विस्थापित व्यक्तियों के सुपुर्द कर दी जायेगी । वह अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं ।

माननीय महिला सदस्य ने अभी अपने वर्णन बताये हैं । मेरा अनुभव है कि वह अत्यधिक भार वहन कर रहे हैं । और अत्यधिक कठिन दशा में काम कर रहे हैं । सम्बन्धित राज्य सरकारों से जितना

†मूल अंग्रेजी में

सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है उस पर किसी भी सरकार, किसी भी राज्य अथवा मंत्री को गर्व होना चाहिये ।

कठिनाइयां आती हैं । त्रिपुरा में भी ठिनाइयां हुई हैं और आसाम में भी । मैं आसाम गया था । चार या पांच दिन मैंने सूरमा घाटी में बितांये हैं । मुझे यह कहते हुए खेद है कि यद्यपि सूरमा घाटी आसाम का भाग है । विस्थापित व्यक्तियों अथवा उनके नेताओं का नाम न लेते हुए—वहां प्रत्येक व्यक्ति बंगाल में डाक्टर राय की ओर निहार रहा है । आसाम में श्री विष्णुराय में भी अथवा श्री मोती राय बोहरा की ओर कोई नहीं देखता है । इससे पुनर्वास में सहायता नहीं मिलेगी । आप पुनर्वास-कार्य में राजनीति को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं । मैं इस बात में रुचि नहीं रखता हूं कि 'क' का एक भाग 'ख' में जाता है अथवा 'ख' का भाग 'ग' में मिलता है । क्या कोई अप्रयुक्त स्थान है । क्या कोई भू-खण्ड है यदि कोई उपयुक्त भू-स्थल है तो हजारों और लाखों विस्थापितों को वहां बसाया जा सकता है । मैं यह काम करने के लिये तैयार हूं । लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की लड़ाई के लिये यह उचित रंगमंच नहीं है ।

पश्चिम तथा पूर्व के शरणार्थियों में एक मूलभूत अन्तर है । पश्चिम के शरणार्थी की एक ही राजनीति है—पुनर्वास जबकि पूर्व के शरणार्थी के लिये पुनर्वास समस्या एक गौण बात है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : प्रश्न

श्री मेहर चन्द खन्ना : आप प्रश्न पूंछ सकते हैं किन्तु कठिनाई यह है कि मैं कलकत्ता में रहता हूं और आप दिल्ली में रहते हैं । मैं इसमें विवश हूं । मैंने उनके घर के सामने अपना दफ्तर खोला था । लेकिन वह कलकत्ता छोड़ कर दिल्ली में रहने लगे हैं । मैं कलकत्ता में रहता हूं ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : यह शरणार्थियों की दृष्टि से उचित नहीं है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : निःसन्देह यह शरणार्थियों के लिये उचित नहीं है । उन्हें कार्य सिद्धि का माध्यम नहीं बनाइये । क्योंकि शरणार्थी मुझे सबसे अधिक प्रिय है । मैं उनके साथ एक प्राण हूं । किन्तु उन्हें राजनीति के खेल का पासा न समझिये । इससे उसे कोई सहायता नहीं मिलेगी । उसे पुनर्वास के बारे में सोचने के लिये कहिये । उससे कहिये कि वह किसी लाभप्रद काम में लगे । मैं उसे सहारा देने के लिये तैयार हूं । किन्तु भौगोलिक परिसीमा के लिये उसका शोषण न करिये । उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान न बदलिये । आपके वहां सामान्य जनसंख्या है ।

मैं भूमि के सम्बन्ध में बातचीत कर रहा था । भूमि सम्बन्धी स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है । यह उतनी बुरी नहीं है जितना हमें बताया गया है । छः महीनों से हम इसका निराकरण कर रहे हैं । लगभग तीन लाख एकड़ भूमि का इससे वायदा किया गया है । लेकिन यह एक दीर्घकालीन कार्य है । आप भलीभांति यह बात जानते हैं कि सम्पूर्ण अच्छी भूमि जितनी भी उपलब्ध है उस पर खेती की जा रही है कोई व्यक्ति उस भूमि पर निर्वाह कर रहा है । मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के इस कथन से सहमत हूं कि छोटे-छोटे किसानों को निकाल कर विस्थापित व्यक्तियों को बसाने से एक नवीन शरणार्थी आबादी पैदा हो जायेगी । इस विषय पर मेरी दृढ़ धारणा है कि यदि शरणार्थी को देश की अर्थ व्यवस्था में खपाना है तो उसे किसी विशेष बस्ती अथवा स्थान पर बसाना पड़ेगा ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आप शरणार्थियों के लिये एक नई बस्ती की स्थापना कर उसे स्थानीय आबादी से पृथक् नहीं समझ सकते हैं । वह उसी स्थान की अर्थ-व्यवस्था में समाविष्ट किये जायेंगे । हमारी मंशा यह नहीं है कि लोगों की उजाड़ कर एक नई समस्या खड़ी की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

किन्तु भूमि प्राप्त करना है । मैं कह रहा था कि पश्चिमी बंगाल में उपलब्ध नहीं है । त्रिपुरा में भी यह कठिनाई है, आसाम में भी यह कठिनाई है । अतः हमने अन्य राज्यों से पूछा है। एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति की स्थापना की गई थी। पुनर्वास मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के एक परामर्शदाता और पश्चिमी बंगाल सरकार के सचिव उस समिति में थे। समिति ने वस्तुतः समीचीन कार्य किया है। उन्होंने अनेक स्थानों और राज्यों का भ्रमण किया है। हम अच्छी भूमि प्राप्त करने में सफल हुए हैं । लेकिन क्या मैं उन स्थानों पर शरणार्थियों को कल ले जाकर बसा सकता हूं, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस भूमि को खेती योग्य बनाया जायेगा और यह देखना पड़ेगा कि वहां सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें हैं । उचित बांध भी होना चाहिये। लोग बिहार और उड़ीसा छोड़ कर चले आये हैं। क्योंकि यह बातें वहां नहीं थीं। इसीलिये पुनर्वास मंत्रालय पर आरोप लगाया गया है। यदि वह हमारी गलती थी तो मैं इसकी पुनरावृत्ति क्यों करूं ? अतः मैं सचेष्ट होना चाहता हूं ।

कल श्री एन० सी० चटर्जी ने जो कुछ कहा मैं उससे पूर्ण सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि जब इन लोगों को वहां भेजा जाये तो उनकी सहायता के लिये एक संगठन होना चाहिये और सामाजिक कार्यकर्ता इस बात के लिये प्रयत्नशील रहें कि उनकी कठिनाइयां दूर की जायें तथा राज्य सरकारों और भारत सरकार दोनों की ओर से उनके प्रति उत्तरदायित्व की पूर्ति की जाये। मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा। मुझे पश्चिम की ओर भी कुछ करना है । कल पण्डित ठाकुर दास भार्गव और अन्य मित्र कह रहे थे कि मैं पश्चिम प्रदेश की अपेक्षा पूर्वी प्रदेश की ओर अधिक ध्यान दे रहा हूं। अतः मैं एक दो विचार और प्रकट करूंगा ।

लोक-सभा के किसी भी माननीय सदस्य की भांति मैं इस बात के लिये उत्सुक हूं कि यथा सम्भव शीघ्र ही उद्योगों की स्थापना की जाये । मैं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयत्न कर रहा हूं। लेकिन १२,००० अथवा १५,००० तकलियां अथवा कुछ सहस्र करघे अथवा रेल के डिब्बे बनाने का ऐसा कारखाना जिसमें लगभग एक करोड़ रूपये की पूंजी लगाई जा सके तो मशीनों का आयात करना पड़ेगा ।

किसी भी उद्योग के लिये दो प्राथमिक आवश्यकतायें हैं, जल और बिजली । कलकत्ता की बस्तियां दिल्ली की बस्तियों की नाई नहीं हैं। आज दिल्ली की बस्तियां अत्यन्त लाभदेय हैं। यदि ऐसा न होता तो मेरे शरणार्थी मित्र श्री नन्द लाल शर्मा अथवा श्री अजित सिंह के पास नहीं जाते, उनके पास रेवाड़ी अथवा पलवल के लिये कोई नहीं आता है। प्रत्येक व्यक्ति दिल्ली के लिये आता है ।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : क्योंकि वह दिल्ली में रहते हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : वहां हमें जल और बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूं और मैं आपको आश्वासन दे दूं कि हम उद्योगों की स्थापना के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ताकि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये रोजगार ढूंढ़ा जा सके ।

अब मैं पश्चिम की चर्चा करूंगा। अब केवल २० या २५ मिनट बचे हैं।

जहां तक मगरबी पाकिस्तान के भाइयों का ताल्लुक है और उनके रिलीफ एंड रिहैब्लिटेशन का जो सवाल है, उसके मुताल्लिक कुछ आज कहने की खास जरूरत तो महसूस नहीं होती क्योंकि रिलीफ का सवाल तो साहबे सदर, काफी अर्सा हुआ, तकरीबन खत्म हो चुका। अलबत्ता हमारे जो २५, ३० हजार भाई बहन हाउसेज़ एंड इनफरमरीज के हैं, उनका जो सवाल है वह तो जारी रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रिहैब्लिटेशन/पुनर्वास का सवाल भी आज उतनी अहमियत नहीं रखता जितना कि आज से २, ४ वर्ष पेश्तर रखता था क्योंकि हमारे रिहैब्लिटेशन का भी जो दायरा है, सिवाय, इसके कि कुछ तालीम का काम जारी रखना पड़ेगा, डाक्टरी इमदाद देनी पड़ेगी और ट्रेनिंग सेंटर्स जारी रखने पड़ेंगे, इनके अलावा, जो हमारा असली प्रोग्राम था कुछ मकानों के बनाने का और दुकानों के बनाने का और दूसरी इसी किस्म की चीजों का, वह तकरीबन खात्मे पर ही है और खत्म हो रहा है ।

पाकिस्तान से जिस मसले पर हमारी बातचीत चल रही है वह मुआविजे का सवाल है और दूसरा सवाल जिसके कि बारे में हमारी पाकिस्तान से बातचीत चल रही है वह उस जायदाद की कीमत लेने के बारे में है जो कि हमारे लोग वहां छोड़कर आये हैं और जिसका कि रुपया हमने उनसे लेना है। यह आपके दो सवाल हैं। पहले तो मैं कुछ एवजाने के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। सितम्बर के महीने में आपने रूल (नियम) बनाये। हमने उन रूल्स को शाया किया और उनके मुताबिक हमने कार्रवाई शुरू कर दी। इस सिलसिले में मेरे सामने एक एंटी-सोशल चीज आयी जिसको कि मैं आपके सामने रखूंगा। बेचारे रिफ्यूचीज सात-आठ बरस से इन्तिजार कर रहे थे, उनको मिला कुछ नहीं था। जब उनको कुछ मिलने का वक्त आया तो हमारे रिफ्यूजी भाइयों ने, जिनकी आप बहुत तारीफ करते हैं, क्लेमों का ब्लेक मार्केटिंग शुरू कर दिया और दुःखी भाइयों के क्लेम उन्होंने खरीदने शुरू कर दिये। मुझे लज्जा आती है कि हम कितने गिर गये । एक वह भाई है कि जिसने अपना सब कुछ बरबाद कर दिया है, सब कुछ कुर्बान कर दिया है, और आज जब उसे कुछ मिलने की बारी आयी है तो लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। उसका कुछ हमने इन्तजाम किया। अभी हमने वहां से सिर उठाया ही था कि एक और चीज हमारे सामने आ गयी। वह यह है कि लोगों ने जाली क्लेम बनाने शुरू कर दिये। कुछ लोग पकड़े गये हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। लेकिन मैं हाउस को एक चीज कहना चाहता हूं और वह यह है कि जिसने जाली क्लेम खरीदा है, नुकसान उसी का है, न मेरा है न पूल का है। उसकी वजह यह है कि हमने शुरू में जो क्लेम बनाये हैं उनकी हमने दो कापीज रखीं। एक कापी तो हमारी मिनिस्ट्री में है। पांच लाख कापीज हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरी मिनिस्ट्री आपको एक किला मालूम होगी। रात को उस पर पुलिस का बड़ा सख्त पहरा होता है इसलिये कि कहीं कोई उन क्लेम्स को उड़ा न ले जाय या कोई उनको जला न दे क्योंकि अगर एक दफा यह चीज हो जाये तो आप जानते हैं कि क्या हालत होगी। हमारे पास जो क्लेम आता है उसको हम अपनी कापी से मिलाते हैं। अगर वह मिलता है तो सही है। अगर नहीं मिलता तो झूठा है, आप जानिये और आपका काम जाने। मैंने इसलिये इसका जिक्र किया कि मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज बाहर पहुंच जाये और लोगों को मालूम हो जाये कि जो शख्स जाली क्लेम खरीदेगा उसी का नुकसान होगा, न कम्पेन्सेशन पूल का नुकसान होगा, न गवर्नमेंट का नुकसान होगा और न मिनिस्ट्री का नुकसान होगा।

हमने २९ फरवरी तक करीब एक लाख आदमियों को क्लेम दिये हैं, कुछ नकद, कुछ जायदाद, कुछ जमीन और कुछ एडजस्टमेंट। वह कोई ३० करोड़ रुपया बन जाता है जिसमें नकद १७ या १८ करोड़ है और बाकी जायदाद और एडजस्टमेंट है। जो हमारे पास दरख्वास्तें आयी हैं वे करीब चार लाख हैं। एक लाख को तो क्लेम मिल चुका है। अब बाकी रह गये तीन लाख। काफी जोर डाला गया है नान-क्लेमेंट्स की तरफ से और मैंने परसों कहा भी था कि मैं इस पर कुछ रोशनी डालूंगा। मुझे उनके साथ हमदर्दी है ।

हमारे पास ढाई लाख के करीब तो इवेक्वी मकान हैं जिनकी कीमत दस हजार से नीचे की है। आप जानते हैं कि जो मकान दस हजार से ऊपर की कीमत के हैं उनको तो हम नीलाम करेंगे। जो मकान दस हजार से नीचे के हैं, चाहे वे इवेक्वी हों या गवर्नमेंट के बनाये हुये हों, अगर कोई रिफ्यूजी

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

भाई उनमें बैठा है, वह चाहे क्लेमेंट हो या नान-क्लेमेंट, उसको वह एलाट होना है। तो ढाई लाख हमारे पास मकान हैं जो निकासी के हैं और डेढ़ लाख खुद गवर्नमेंट ने तामीर किये हैं। इस तरह से ४ लाख मकान हमारे पास हैं। जो निकासी के ढ़ाई लाख मकान हैं उनमें से तकरीबन २५ फी सदी गैर-शरणार्थियों के पास हैं, वह चाहे मुसलमान हों या दूसरे लोग हों। इनमें से अगर आप ६० हजार मकान निकाल दें तो एक लाख ९० हजार मकान ऐसे रह जायेंगे जो कि रिफ्यूजी भाइयों के पास हैं और उनकी कीमत दस हजार से नीचे है, और डेढ़ लाख मकान गवर्नमेंट के बनाये हुये हैं। इस तरह से आपके पास ३४०,००० मकान हैं जो कि आज क्लेमेंट्स और नान क्लेमेंट्स को एलाट हुये हुये हैं। अगर इनमें से निस्फ आप क्लेमेंट लें और निस्फ नान-क्लेमेंट लें तो एक लाख ७० हजार मकान क्लेमेंट्स के पास होंगे और १७०,००० नान-क्लेमेंट्स के पास होंगे। गो कि हमने हिसाब के मुताबिक तो सिर्फ एक लाख आदमियों को मुआवजा दिया है, लेकिन १७०,००० आपके क्लेमेंट्स और हैं जिनको कि मेरे ख्याल से कम्पेन्सेशन मिल चुका है। सिर्फ हिसाब करने की बात है और अगर आप गुस्ताखी न समझें तो शायद मैं कह सकता हूं कि इनमें से बहुत से भाई ऐसे होंगे जिनसे कि हम को कुछ लेना है, जिसको हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर आप दस हजार तक के मकान की औसत कीमत चार हजार लगायें और इसको १,७०,००० से जरब करें तो ६८ करोड़ रुपया बनता है। तो इस तरह से १७०,००० को मकानों के जरिये से क्लेम दिया जा चुका है। तो इस तरह से कुल तादाद उन लोगों की जिनको मुआवजा दिया जा चुका है २७०,००० बन जाती है। मैं चाहता हूं कि उन सबका हिसाब हो जाये लेकिन उनमें से बाज़ मेरे नजदीक आते ही नहीं।

इसके अलावा हम ३५ करोड़ रुपया बतौर कर्ज के दे चुके हैं जिसमें से ८ करोड़ तो आर० एफ० ए० का लोन है और १४ करोड़ का अरवन लोन (ऋण) है। यह भी रिफ्यूजीज को मिलना था जो मिल चुका। अब इनमें से जिनको आर० एफ० ए० का लोन मिला है उनकी तादाद है दस हजार। जिनके पास १४ करोड़ रुपये हैं। उनकी तादाद १५,००० या २०,००० समझ लें। अगर उनमें से आप आधे ले लें तो कम से कम १५–२० हजार भाई बहन ऐसे हुये जिनको भी कम्पेंसेशन मिल चुका और मैं यह जानता हूं कि उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके जिम्मे मेरा कर्जा होगा उनका मेरे जिम्मे कोई कर्जा नहीं होगा। अब तक हिसाब के मुताबिक ढाई लाख समझ लीजिये, २ लाख ७६ हजार समझ लीजिये, २ लाख ८० हजार समझ लीजिये आदमी हैं जिनको आज तक कम्पेंसेशन मिल चुका है। एक लाख लोगों का हिसाब हो चुका है और १८०,००० का हिसाब हम आजकल में करने वाले हैं।

अब बाकी रह जाते हैं एक लाख या सवा लाख। अगर चार लाख लें तो कम से कम एक लाख ३० हजार या एक लाख ४० हजार या डेढ़ लाख के करीब वह बहन-भाई हैं न जिनके पास मकान है न जिनके पास कोई दुकान है और न किसी को कर्जा मिला है। यह वह भाई हैं जो कि आठ बरस से इंतिजार कर रहे हैं कि हमें कम्पेंसेशन कब मिलेगा। मैं पहले कह चुका हूं कि एक लाख लोगों का हिसाब खत्म हो चुका है। जिसके पास १०,००० की मलकियत का मकान है या ५,००० की मलकियत का मकान है, और जो उसमें बैठा हुआ है वह उसका मालिक बन जायेगा। २२ करोड़ रुपये उन्हें हम दे चुके हैं। यह रकम उनके घर में पहुंच चुकी है। १ लाख ४० हजार या १ लाख ५० हजार आदमी ऐसे हैं जिनको कम्पेंसेशन लेनी है। मैं जब उनकी तरफ देखता हूं तो मुझे दुःख होता है। अब मैं उनका क्या करूं। अगर डेढ़ लाख ये लोग हों और ४,००० की एवेरज (औसत) लगाई जाय तो ६० करोड़ रुपया उन्हें लेना है। और वह रुपया जो है वह उन एक लाख ७० हजार भाइयों और बहनों के पास है जिनके न कोई मकान थे, जिनकी न कोई दुकानें थीं और जिनको हमने यह कहा कि अगर तुम मालिक बनना चाहते हो तो मैं उनको जो कि आठ बरस से इंतिजार कर रहे हैं, दो-चार बरस और इंतिजार

करने को कह सकता हूं और आहिस्ता-आहिस्ता तुम से पांच बरस में वसूल करके उनको दिलवा सकता हूं। लेकिन आज मुझ से यह कहा जाता है कि तुम ऐसा करो कि जहां तुम ने आठ बरस पहले इंतिजार करवाया है, वहां १५ बरस और इंतिजार उन लोगों से करवा दो। मैं तो इसको कोई इन्साफ नहीं समझता हूं।

श्री नन्द लाल शर्मा : अगर उनकी ताकत से यह बाहर हो तो वह क्या करें ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अगर यह उनकी ताकत से बाहर हो तो वह किरायादार बन कर रहें। अगर हर आदमी मालिक ही बन कर रहना चाहता है और मालिक भी इस तरह कि वह कीमत नहीं देना चाहता तो मकान किसी और का और मुझ से यह कहा जाय कि मैं उनसे कहूं कि वे १५ बरस तक इंतिजार करें, यह लाजिक (तर्क) मेरी समझ में नहीं आता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गाव) : लो इनकम ग्रुप स्कीम जो है उसको वापस ले लो।

श्री मेहर चन्द खन्ना : सरदार स्वर्ण सिंह बैठे हुये हैं, उनसे आप मिल लें, वह भी मिनिस्टर हैं, अगर वह मान जाते हैं, तो मुझे क्या इन्कार हो सकता है।

†**श्री नन्द लाल शर्मा :** परन्तु आप पुनर्वास मंत्री हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जी हां, मैं जानता हूं। पंडित जी, जो आप मुझ से रिहैब्लिटेशन की तारीफ करवाना चाहते हैं वह यह है कि रिहैब्लिटेशन का मतलब शैलटर नहीं है, मिलकियत है।

मैं तो आपसे यह अपील करने वाला था, मैं अचित राम जी से, टंडन जी से, भार्गव जी से, यह अपील करने वाला था, कि आप मेरा हाथ बटायें, आप मुझे उनसे रुपया वसूल करने में मदद दें ताकि वे भाई जो कि आठ बरस से बैठे हुये हैं, मैं उनका कर्जा चुका सकूं।

सरदार अजित सिंह जी कहते हैं कि १५ बरस में यह रुपया उन लोगों से वसूल किया जाना चाहिये। यह बात मेरे दिमाग में तो नहीं बैठी और मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

अब दो-एक चीजें और हैं जिनके बारे में बड़े जोर-शोर से कहा गया है और वह लाजपत नगर, कालकाजी और मालवीय नगर के बारे में है। मैं अर्ज कर दूं कि इन की पोजीशन क्या है। पोजीशन यह है कि दिल्ली में दो क्रोनिक बीमारियां हैं, एक तो नाजायज कब्जा करने की और दूसरी किराया न देने की। किराये की हालत तो यह है कि जो हमारे रिफ्यूजी भाई हैं उन्होंने हमें तीन करोड़ रुपया बतौर किराया बाकी अदा करना है। यह कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है। यह किराया उन लोगों ने देना है जो पटेल नगर, राजेन्द्र नगर, खान मार्केट वगैरह में बैठे हुये हैं। अब अगर यह कहा जाय कि भौंसले साहब को अख्तियार दे दिया जाय कि वह यह तीन करोड़ रुपया माफ कर दें तो मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है, बशर्ते कि शाह साहब उनको इस रकम को माफ करने की इजाजत दे दें। लेकिन मैं खुद भी इस चीज को नहीं कर सकता।

अब दूसरी बात नाजायज कब्जे की है। नाजायज कब्जा चाहे इवैक्वी प्रापर्टी हो चाहे गवर्नमेंट प्रापर्टी हो, दोनों पर किया जाता है। सन् १९४७ में नाजायज कब्जे हुये। हम से कहा गया कि जाने दो, मैंने कहा बहुत अच्छा। १९४९ में यही चीज हुई, फिर हम से कहा गया छोड़ दो, मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर १९५० में यही बात हुई और फिर छोड़ दिया गया। उन दिनों मैं फिरोज शाह रोड पर रहता था। अचित राम जी मेरे पास ही रहा करते थे और हर रोज डंडा लेकर मेरे पास आ जाया करते थे। खर, उस वक्त भी नाजायज कब्जे करने वालों को छोड़ दिया गया। आखिर यह बीमारी कब तक चलेगी। कहीं इसे बन्द तो होना ही पड़ेगा। ये मकान मेरे अपने तो हैं नहीं, किसी रिफ्यूजी के हैं, जिसको कि कम्पेंसेशन मिलना है और ये डेढ़ या दो लाख हैं और इनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। सुभद्रा जोशी, जोकि दिल्ली कांग्रेस की प्रधान हैं, मेरे पास आईं, सुचेता कृपालानी मीर मुश्ताक अहमद को लेकर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

मेरे पास आईं, श्री हिफजुर रहमान आये अहमद सय्यद को साथ लेकर । सबने आकर यह कहा कि केस को खत्म कर दो । मैंने कहा कि हिसाब लगाओ । हिसाब लगाया । हिसाब लगाने पर मालूम हुआ कि चार हजार या साढ़े चार हजार ऐसे केसस थे जो कि अनआथोराइज्ड पोजेशन (अनधिकृत कब्जा) के थे । यह साल डेढ़ साल की बात है । मुझे यह कहा गया कि १९५२ तक के लिये मान जाओ । आज तक जो अनआथोराइज्ड आकुपेशन हैं तकरीबन ४,००० फैमिलीज (परिवारों) का उसे औकसेप्ट कर लो और आगे से हम तुम्हारे पास नहीं आयेंगे और न कभी कहेंगे । मैंने कहा इकरार हो गया, उन्होंने कहा, हां इकरार हो गया । मैंने कहा कि मैं १ अप्रैल, १९५४ तक जाता हूं, यानी दो बरस बाद तक । मैंने कहा कि १ अप्रैल, १९५४ तक जिस आदमी का भी अनआथोराइज्ड औकुपेशन होगा उसको मैं रेगुलराइज कर दूंगा लेकिन आगे के लिये मैं इस चीज को नहीं मानूंगा और आप मेरे पास इस काम के लिये नहीं आयेंगे । उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं आयेंगे । अब यह जो आदमी हैं जिन्होंने कालकाजी, मालवीयनगर, लाजपतनगर वगैरह में अनआथोराइज्ड कब्जा कर रखा है, इनकी तादाद कोई ढाई हजार है । यह वह आदमी हैं जिन्होंने १ अप्रेल, १९५४ के बाद कब्जे किये हैं । अब मैं पूछता हूं कि यह गाड़ी कब तक इस तरह से चलेगी । या तो मुझे यह कह दीजिये कि जो कम्पेंसेशन स्कीम है, इसको आज ही से खत्म कर दो या यह कह दो कि आज के बाद कम्पेंसेशन किसी को आप न दें । साथ में यह कह दो कि तुम किसी को मत पूछो, जिसकी मर्जी आये, मकान में जाकर बैठ जाये और उसका मालिक बन जाये । आप साव्रेन हैं, यह हाउस साव्रेन है, आप मुझे मैनडेट दे दीजिये, मुझे मंजूर है । मैं यह कैसे बरदाश्त कर सकता हूं कि हर रोज यह चीज होती जाय ।

कहा जाता है कि साहब तुम इतने ईमानदार हो कि कीमतें बढ़ा रहे हो । साहब सदर, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं और वह यह है कि पहले यह फैसला था कि जो पांच हजार की लिमिट (सीमा) है उसके मकान ऐलाटेबल होंगे । तो जो पांच हजार के मकान थे हमने उनकी कीमत लगाई फिर यह हुक्म हुआ कि लिमिट पांच के बजाय दस होगी ।

श्री नंद लाल शर्मा : आपने पांच से दस कर दिया ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : आप जरा ठहरिये । आप क्यों नाराज होते हैं ? हम दोनों ही पठान हैं, एक दूसरे की आवाज जानते हैं, दिल जानते हैं, दिल दोनों के एक हैं । आप क्यों घबराते हैं ? अभी मुझे इन लोगों से निपटने दीजिये, हमारी आपकी तो घर की बात है ।

तो दस हजार की हमने लिमिट कर दी, हो गई । अब हमने यह किया कि अपने अमले से कहा कि जो पांच और दस हजार के मकान हैं उनकी कीमत लगा दो । शायद मुझ से गल्तियां हुईं एक दो केसेज में । कर्नाल का एक केस है जो कि बड़ा सैड (दुखद) है । मैंने वहां एन्क्वायरी कराई है और मैं हाउस से माफी मांगना चाहता हूं कि मेरे किसी अफसर ने इतनी भारी गलती की और वहां कीमतें बढ़ा दीं, और नाजायज तौर पर बढ़ा दीं । मैं आपसे इसके लिये क्षमा चाहता हूं । लेकिन मैंने एक चीज की है और वह यह है कि मैंने अपने अफसरों को हुक्म दिया है कि अगर जायदाद साढ़े दस हजार की हो तो उसको दस कर दो, जो मार्जिनल डिफरेन्स हो वह रिफ्यूजी के हक में होना चाहिये । मैं नाजायज कीमत नहीं लेना चाहता । लेकिन अगर किसी केस में आपको यह नजर आता है कि जायदाद की कीमत बजाय ९ के ११ कर दी गई है तो हमें बताइये, हम उसका आक्शन (नीलामी) सस्पेंड कर देंगे और अफसर खिलाफ के कार्रवाई करेंगे । मैं नहीं चाहता कि छोटी-छोटी चीज से इन पिन प्रिक्स से किसी को नुक्सान पहुंचाया जाय । अगर मैं भूखा हूं और मुझे रुपये की जरुरत है तो मैं जवाहरलाल जी के पास जा सकता हूं, मैं देशमुख भाई के पास जा सकता हूं । उन्होंने आज तक मुझे इन्कार नहीं किया और हमेशा मेरा हाथ पकड़ा है । तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि न मेरा और न मेरी मिनिस्ट्री का यह ख्याल है कि हम रिफ्यूजीज को नाजायज तौर पर

तकलीफ देकर कीमतें बढ़ायें। अगर कोई केस ऐसा है जो कि आपकी नोटिस में आया है, तो मैं एक जिम्मेदार मिनिस्टर की हैसियत से यह कैटेगारिकल ऐश्योरेन्स देता हूं कि मेरा इरादा ९ से ११ करने का नहीं है बल्कि मेरा इरादा साढ़े दस से साढ़े नौ करने का है।

एक बहुत इम्पार्टेंट सवाल है और वह है **नेगोशिएशन्स विद (के साथ) पाकिस्तान**।

कितना समय बचा है, श्रीमान्।

†**अध्यक्ष महोदय** : पन्द्रह मिनट और हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं सारा समय नहीं लूंगा। मैं केवल पांच मिनट और बोलूंगा।

जब लोक-सभा ने पिछले सितम्बर में प्रतिकर नियमों के मसौदे पर विचार किया था तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रतिकर की रकम उस अचल सम्पत्ति की मात्रा में अत्यन्त क्षुद्र थी जो विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई है। मैंने उस समय कहा था कि यदि पाकिस्तान दोनों देशों की अचल सम्पत्ति के मूल्य का अन्तर चुकाने दे तो प्रतिकर की रकम कुछ बढ़ाई जा सकती है। मैंने लोक-सभा को आश्वासन दिया था कि यह मामला पाकिस्तान सरकार से निबटाया जायेगा।

बहुत दिनों से चली आ रही निष्क्रांत व्यक्तियों की अचल सम्पत्ति सम्बन्धी समस्या के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ जो उच्च वार्ता हो रही है मैं उसका संक्षिप्त वर्णन करूंगा। प्रारम्भ से ही हमारा यह मत रहा है कि सरकारी स्तर पर किया गया समझौता ही एकमात्र व्यावहारिक हल सिद्ध होगा। वस्तुतः संयुक्त शासकीय समिति ने १९४८ में ही यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक सरकार को कृषि-सम्पत्ति प्राप्त करना चाहिये। दोनों देशों में इस सम्पत्ति के मूल्य का अन्तर ऋणी एक देश द्वारा दूसरे देश को दिया जायेगा। इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुये कि समिति भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप में स्थापित की गई थी तथा इसकी सिफारिशें सर्वसम्मत थीं किन्तु किसी भी बहाने का आश्रय लेकर पाकिस्तान उन्हें स्वीकार करने से बचता रहा है।

जनवरी, १९४९ के भारत-पाकिस्तान समझौते में नगरीय अचल सम्पदा के वैयक्तिक बिक्री और विनिमय का उपबन्ध किया था। यह समझौता भारत की आशा के प्रतिकूल था किन्तु हम उसमें सम्मिलित हुये क्योंकि दोनों को समान रूप से मान्य यह उस समय का महत्वपूर्ण विषय था। कुछ समय पश्चात् पाकिस्तान ने बाधायें उपस्थित करना आरम्भ कर दिया और २६ जुलाई, १९४९ को एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार निष्क्रांत सम्पत्ति की बिक्री और विनिमय पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इन परिस्थितियों में हमें भी ३० जुलाई, १९४९ को ऐसी ही कार्यवाही करने के लिये विवश होना पड़ा। वस्तुतः समझौता आरम्भ से ही कार्यान्वित नहीं हुआ। यह इस बात से स्पष्ट है कि जनवरी से जुलाई, १९४९ तक, जहां तक हमारी जानकारी है, कई लाख की सम्पत्ति में से केवल ३३ का ही विनिमय हुआ। १९४९ के समझौते के भंग होने से उत्पन्न गत्याावरोध १९५३ तक जारी रहा। तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने सुझाव रखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी बड़े-बड़े मामलों पर वैयक्तिक रूप से चर्चा की जाये। इसके थोड़े समय पश्चात् ही भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों में सामान्य चर्चा हुई और इसके बाद कराची में जुलाई-अगस्त, १९५३ में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। उन्होंने चल सम्पत्ति के कुछ पदों पर समझौता किया किन्तु अचल सम्पत्ति पर कुछ निर्णय नहीं कर सके। यह निर्णय किया गया कि एक महीने में चर्चा पुनः आरम्भ की जाये। परन्तु बैठक नहीं हुई। हमारे प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को अक्तूबर १९५३ में पत्र लिखा। इस पत्र का उत्तर फरवरी, १९५४ में दिया जा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

सका। उत्तर में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने पुनः चर्चा आरम्भ करने के लिये सहमति देने अथवा किन्हीं ठोस सुझावों के बजाय अन्तर्कालीन प्रतिकर योजना के विरुद्ध आपत्ति उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्तर्कालीन योजना अन्तर्गत के प्रस्तावित नगरीय निष्क्रांत सम्पत्ति के अर्द्ध स्थायी आवंटन से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है जो आगे बातचीत में बाधक है। हमने इसका खण्डन करते हुये अन्तर्कालीन प्रतिकर योजना की बातें बताईं।

जिन विस्थापित व्यक्तियों ने प्रतिकर की अदायगी के लिये सात वर्षों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की वे इस अवधि में वह विकल हो उठे। यह स्वाभाविक था। अतः सरकार ने इस विषय में और अधिक विलम्ब न करने का निर्णय किया और विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर की अदायगी हेतु आवश्यक विधान बनाना आरम्भ किया। तदनन्तर सरकार ने निष्क्रांत सम्पत्ति विधि को निराकृत करने का निर्णय कर लिया। इन दोनों मामलों के विषय में विधेयक इस सभा में मई, १९५४ में पुरः-स्थापित किये गये थे। इसी समय हमारे प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को यह परिस्थितियां बताईं जिनके परिणामस्वरूप सरकार को निष्क्रांत सम्पत्ति में निष्क्रांत स्वामियों के अधिकार और स्वत्व लेकर उन्हें विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर देने में प्रयुक्त करने के लिये सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी। उनके पत्र में आगे बताया गया कि इस समस्या के अन्तिम हल के लिये जिसमें प्रतिकर भी सम्मिलित है अन्ततोगत्वा दोनों सरकारों में समझौता आवश्यक है। इसमें यह भी बताया गया कि यह कार्यवाही स्वयं निष्क्रांत स्वामियों के हित में है क्योंकि इससे सम्पत्ति के अग्रेतर ह्रास में रुकावट उत्पन्न होगी और इन सम्पत्तियों के मूल्य निष्क्रांत स्वामियों के नाम कर दिया जायेगा। बातचीत पुनः आरम्भ करने के लिये नियंत्रण एक बार फिर से दिया गया।

भूतकाल की भांति पाकिस्तान ने कोई उत्तर नहीं दिया। चार महीने पश्चात् सितम्बर, १९५४ में प्राप्त हुये पत्र में पाकिस्तान ने भारत द्वारा १९४९ के समझौते भंग करने से सम्बन्धित अपने उन्हीं पूर्व आरोपों को दोहराया। बहुत देरी के पश्चात् पाये गये इस उत्तर में कोई सुझाव नहीं था जिससे कुछ सहायता मिल सकती। हमारे प्रधान मंत्री ने पुनः सुझाव दिया कि यदि दोनों पक्षों की ओर से सद्भावना का प्रयोग किया जाये तो हल निकालना सम्भव है और सुझाव प्रस्तुत किया कि दोनों सरकारों के प्रतिनिधि मिल कर इस विषय पर चर्चा करें। इसका कोई उत्तर नहीं मिला।

पद ग्रहण करने के उपरांत मैंने १९५५ के आरम्भ में पाकिस्तान के साथ नवीन रूप से बातचीत आरम्भ की। इस उद्देश्य के लिये गत वर्ष अप्रैल में मैं कराची भी गया था। मैं निष्क्रांत चल सम्पत्ति सम्बन्धी समस्त अवशेष मामलों के बारे में समझौता कर सका था। यह भी स्वीकार किया गया था कि वीजा की कम कठिन प्रणाली के द्वारा और अतिरिक्त पड़ताल चौकियों की स्थापना तथा दोनों देशों के बीच अधिकृत मार्गों की व्यवस्था के द्वारा दोनों देशों के बीच यात्रा की सुविधायें दी जानी चाहियें। पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के निष्क्रमण के प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी और पाकिस्तान के मंत्रियों ने स्वीकार किया कि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समाज के बीच यथाशीघ्र विश्वास की भावना पैदा की जानी चाहिये। तथापि अचल सम्पत्ति सम्बन्धी चर्चा किसी बाद वाली तिथि के लिये स्थगित कर दी गई।

अक्तूबर, १९५५ में मैंने पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री को लिखा कि क्योंकि चल निष्क्रांत सम्पत्ति सम्बन्धी समस्त अवशेष मामलों का निबटारा हो चुका था, अब अचल निष्क्रांत सम्पत्ति के बारे में कोई हल निकालने के लिये चर्चा की जानी चाहिये, क्योंकि इस समस्या के निपटारे पर लाखों लोगों की भलाई निर्भर है। ४ नवम्बर १९५५ के उनके उत्तर के अनुसार, पाकिस्तान सरकार का यह विचार था कि बातचीत आरम्भ करने के लिये दोनों देशों के बीच कोई सामान्य आधार नहीं है, क्योंकि भारत ने भारत में निष्क्रांत व्यक्तियों की सम्पत्तियों के अधिकारों, स्वत्वों और हितों पर कब्जा कर लिया है।

संक्षेप में पाकिस्तान सरकार के साथ, अचल निष्क्रांत सम्पत्ति के बारे में हमारी बातचीत का यह इतिहास है। हमारे ऊपर एक पक्षीय कार्रवाई और निष्क्रांत सम्पत्ति पर कब्जा करने का दोष लगाया गया है और हमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ऐसे समझौते के लिये तैयार नहीं है जो दो सरकारों के बीच हुआ हो। मैं इन दोषारोपणों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि न केवल मैंने बल्कि मेरे से पूर्व मंत्री और हमारे प्रधान मंत्री ने अनेक बार इनका खण्डन किया है। तो भी मैं यह कहना चाहता हूं कि दो सरकारों के बीच में निपटारे का सिद्धांत १९४८ में कृषि भूमियों के मामले में स्वीकार किया गया था। हमने और पाकिस्तान अर्धस्थायी और अस्थायी रूप में स्थायी आधार पर भूमियों का आवंटन किया था। वहां गैर-सरकारी विक्रय और विनिमय का प्रयोग नहीं किया गया और न ही उसका आग्रह किया गया।

चल सम्पत्ति के मामले में, दो सरकारों के बीच समझौते किये गये हैं। पाकिस्तान के दो प्रधान व्यक्ति, राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री उस समझौते में सम्मिलित थे। मुझे समझ में नहीं आता कि केवल नगरीय निष्क्रांत सम्पत्ति के बारे में यह सिद्धांत क्यों नहीं अपनाया जा सकता।

सरकारों के स्तर पर निपटारा करना अत्यधिक व्यवहारात्मक और उचित प्रक्रिया है। इस भीषण और जटिल समस्या को, जिसमें लाखों लोग और विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियां अन्तर्ग्रस्त हैं, केवल सरकारी आधार पर ही हल किया जा सकता है। दूसरे देशों के सामने भी यही परिस्थिति थी, और उन्होंने सरकार आधार पर इसे हल करना आवश्यक समझा। दोनों देश विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये निष्क्रांत अचल सम्पत्तियों का उपयोग करते रहे हैं और कर रहे हैं। वहां पाकिस्तान सरकार ने निष्क्रांत सम्पत्तियों पर मुसलमान शरणार्थियों को बसा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने शरणार्थियों को भारत में उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के उनके दावों के आधार पर उनको सम्पत्तियों पर स्थायी रूप से बसाने के उद्देश्य से दावे भी मंगवाये हैं। इस प्रकार पाकिस्तान उसी नीति और प्रक्रिया का पालन कर रहा है, जो हम कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में हम पर एक पक्षीय कार्रवाई और अधिकार का दोष लगाना अनुचित ही नहीं बल्कि विचित्र भी है।

दो सरकारों द्वारा निबटाये जाने में झिझकने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि पश्चिम पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के दावे मंगवाये जा चुके हैं और उनकी पड़ताल भी हो चुकी है, यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं सिखों द्वारा छोड़ी गई नगरीय निष्क्रांत सम्पत्तियों का मूल्य ५०० करोड़ रुपये से अधिक है जबकि मुसलमानों द्वारा भारत में छोड़ी गई नगरीय सम्पत्तियों का मूल्य अधिक से अधिक १०० करोड़ रुपये है। अन्तर बहुत अधिक है। हमने पाकिस्तान सरकार को १९५२ में कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर, मूल्यांकन की पद्धति का प्रश्न एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को विवाचन के लिये भेजा जा सकता है, जिस पर दोनों सरकारें सहमत हों। यदि ऐसी इच्छा हो तो, यह मामला किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय या दोनों सरकारों के नाम निर्देशित व्यक्तियों के तदर्थ न्यायालय को भेजा जा सकता है। दोनों ओर की सम्पत्तियों के मूल्य के अन्तर की अदायगी के प्रश्न पर हमने यह भी कहा था कि देने वाले देश की देने की क्षमता का ध्यान रखते हुये एक व्यावहारात्मक (काम चलाऊ) समझौता किया जा सकता है। आज भी मुझे यह बात दुहराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

१९५३ में कराची में दोनों प्रधान मंत्रियों की चर्चाओं में, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने निष्क्रांत सम्पत्ति विधियों के संचालन को समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। प्रतिकूल आलोचना के बावजूद हमने मई, १९५४ में निष्क्रांत विधि के कई उपबन्धों में ढील कर दी। उसके बाद अक्तूबर, १९५४ में आवश्यक विधान के अधिनियमित होने से वह विधि रद्द कर दी गई। इसलिये, भारत में, किसी भी व्यक्ति को, विधि के रद्द होने के पश्चात उसके किसी कार्य को निष्क्रांत घोषित नहीं किया जा सकता।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

हमने पाकिस्तान द्वारा ऐसी कार्रवाई किये जाने की प्रतीक्षा नहीं की, और हमने यह भी प्रतीक्षा नहीं की कि इस असाधारण विधि को समाप्त करने का निर्णय करने से पूर्व हम अचल सम्पत्ति के प्रश्न के बारे में निपटारा कर लें। तथापि हमें आशा थी, कि पाकिस्तान, जिसनें यह विचार प्रस्तुत किया था, कम से कम इसका पालन तो करेगा। किन्तु ऐसा नहीं हुआ, यद्यपि भारत में इस विधि के उपबन्धों में ढील किये हुये दो वर्ष बीत चुके हैं। पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बलोचिस्तान और बहावल में से प्रायः सब हिन्दू और सिख निकल चुके थे और उनकी सम्पत्तियों को निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिये उन क्षेत्रों में निष्क्रांत विधि के रद्द किये जाने से कोई अन्तर नहीं होगा। सिन्ध में अभी कुछ हिन्दू हैं, किन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं है। इसलिये पश्चिम पाकिस्तान की निष्क्रांत सम्पत्ति की समस्या छोटी है। इसलिये आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान अब भी निष्क्रांत विधि का संचालन जारी रखना आवश्यक समझता है, जब तक कि यह सिन्ध में से बचे हुये हिन्दुओं को निकाल देने और उनकी सम्पत्तियों पर कब्जा करने का ईरादा न रखता हो।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : यह तो हो ही रहा है। हाल ही में किसी व्यक्ति के सिनेमा पर कब्जा कर लिया गया है।

[सभी कटौती प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के चौथे स्तम्भ में दी गई राशियों से अनधिक राशियां, राष्ट्रपति को, दूसरे स्तम्भ में दिये गये निम्नलिखित मांग शीर्षों के सम्बन्ध में, ३१ मार्च, १९५७, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्ययों का भुगतान करने के लिये आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिये दी जाये।

मांग संख्या ९२, ९३, ९४, और १३९।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं--सम्पादक)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
९२	पुनर्वास मंत्रालय	३०,०३,०००
९३	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	१९,६३,५३,०००
९४	पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३,०००
१३९	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	२९,२८,७५,०००

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या ६७, ६८, ६९, १३४, और १३५ पर विचार करेगी। इस मंत्रालय की मांगों के लिये सात घंटे आवंटित किये गये हैं।

माननीय सदस्य अपने उन कटौती प्रस्तावों के नम्बर भेज दें जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं उन्हें प्रस्तुत हुये समझूंगा। प्रत्येक सदस्य के लिये १५ मिनट और आवश्यकता के अनुसार वर्गों के नेताओं को बीस मिनट मिलेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
६७.	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	१३,९०,०००
६८.	बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाएं ...	९८,४९,०००
६९.	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	७९,५९,०००
१३४.	बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय	२,१९,१८,०००
१३५.	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	८,८२,०००

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं आपका बड़ी अभारी हूं क्योंकि आपने मुझे सभा को कुछ मूल जानकारी देने के लिये अवसर दिया है ताकि सदस्य सिंचाई और विद्युत् के क्षेत्र में की गई प्रगति को, स्पष्ट दृष्टिकोण से आंक सकें, मैंने विभिन्न साधनों के प्रतिवेदनों के आधार पर और विभिन्न परियोजनाओं के प्रभारी व्यक्तियों से परामर्श के द्वारा इस विषय में आधुनिकतम सूचना इकट्ठी करने का प्रयत्न किया है । इस चर्चा के पूर्व परामर्श किये गये हैं। मैं इस वर्ष का संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में किये गये कार्य और प्रगति का कुछ चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं विभिन्न परियोजनाओं के बारे में कुछ कहूंगा और प्रत्येक परियोजना का संक्षिप्त विवरण दूंगा, और यदि समय हुआ, तो मैं सदस्यों को बताऊंगा कि पिछले पांच वर्षों में क्या कुछ किया गया है और हम अगले पांच वर्षों में क्या करना चाहते हैं। उसके लिये यह उपयुक्त अवसर है, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना अभी समाप्त हुई है और हमने दूसरी योजना आरम्भ की है। मैं माननीय सदस्यों के सामने आंकड़े भी पेश करना चाहता हूं, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है।

१९५५–५६ में, सिंचाई वाले क्षेत्र में ३३ लाख एकड़ भूमि की वृद्धि हुई है, और यह इन क्षेत्रों में हुई है—पंजाब में ५ लाख एकड़ से अधिक, पश्चिम बंगाल और बिहार में ४ लाख और ५ लाख एकड़ के बीच, उत्तर प्रदेश में ३ और ४ लाख एकड़ के बीच, उड़ीसा में २ और ३ लाख एकड़ के बीच, आसाम, बम्बई, हैदराबाद और राजस्थान में १ लाख और २ लाख एकड़ के बीच और ७ या ८ राज्य हैं, जिनमें नवीन रूप में सिंचाई की सुविधायें प्राप्त हुई हैं।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है २·३ लाख किलोवाट नवीन संस्थापित क्षमता है और अगले ४–७ महीनों में दूसरी २ लाख किलोवाट की संस्थापित क्षमता उपलब्ध होने की आशा है ? निर्माण कार्य प्रायः पूर्ण हो चुके हैं और शीघ्र ही कार्य आरम्भ होगा। उत्तर प्रदेश को ४८,००० किलोवाट, आन्ध्र को ३४,००० किलोवाट, हैदराबाद को १५,००० किलोवाट, मद्रास को १५,००० किलोवाट, त्रावनकोर-कोचीन को १२,००० किलोवाट, मध्यप्रदेश को ७,७५० किलोवाट, बम्बई को ७,५०० किलोवाट, ज़म्मू काश्मीर को ६,००० किलोवाट और मध्य भारत को ५,००० किलोवाट नवीन बिजली मिली है। छोटी मात्रा में बिजली दी गई है।

१९५५ की आय-व्ययक सम्बन्धी स्थिति यह है कि इस वर्ष में किये गये कामों पर इस प्रकार खर्च हुआ ह। उन परियोजनाओं पर जिनके लिये केन्द्र ने वित्त व्यवस्था की है उनके पुनरीक्षित प्राक्कलन––बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं के लिये ४९ ५५ करोड़ रुपये और राज्य परियोजनाओं के लिये १०० करोड़ रुपये हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के समय जो नई बहु-प्रयो-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

जनीय परियोजनाएं आरम्भ करने का इरादा था, उनके आंकड़े १३·९१ करोड़ रुपये हैं। राज्य और बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं की कुल राशि, जिन पर केन्द्र का उत्तरदायित्व है, १४९·५५ करोड़ रुपये के लगभग है। यदि नवीन परियोजनाओं की राशि सम्मिलित कर दी जाये, तो कुल १६३·४६ करोड़ हो जाता है। बजट उपबन्ध के मुकाबले में व्यय में कुछ कमी रही है। आंकड़ें इस प्रकार हैं: हीराकुंड २·९१ करोड़ रुपये, भाखड़ा ३·८१ करोड़ रुपये, और दामोदर घाटी निगम ३·६९ करोड़ रुपये। किन्तु स्थिति यह है कि ये कमियां इस कारण नहीं हुई कि कार्यक्रम रुका पड़ा रहा या वास्तविक प्रगति नहीं हुई बल्कि इस कारण हुई कि कुछ भुगतान अस्थगित थे। उदाहरण के लिये, हीराकुंड में १·७ करोड़ रुपये जो पहले ली गई भूमि के लिये नहीं दिये गये थे, वे दिये जाने चाहिये थे। विभिन्न औपचारिक कठिनाइयों के कारण भुगतान नहीं किया गया। पुराने दावों के निवटारा न होने के कारण ०·९ करोड़ और ०·२ करोड़ रुपये का कुछ विकलन था। इसलिये हीराकुंड में जो व्यय कमी के रूप में दिखाया गया है उसका किये गये कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दामोदर घाटी निगम के बारे में यही बात नहीं कह सकता। भूमि अधिग्रहण में कुछ विलम्ब हो गया था। यह ०·९ करोड़ रुपये के लगभग था। ऋण का फैसला न होने और सामान न मिलने के कारण ०·८ करोड़ रुपये की कमी हुई। किन्तु कार्य चालू होने में विलम्ब होने के कारण एक करोड़ रुपये खर्च नहीं किये जा सके।

भाखड़ा के बारे में हीराकुंड जैसी ही बात है। इस मामले में ब्याज भार का कुछ रुपया था। समायोजन का भी कुछ प्रश्न था। यह लगभग १ करोड़ रुपया था। फालतू मशीनरी आदि का आकलन लगभग १५ लाख रुपये था। किन्तु विशेष इस्पात और सामान के आयात में कुछ विलम्ब हो गया था, इसके कारण ४१ लाख रुपये का अन्तर पड़ा। निर्माण कार्यों को करने में वास्तव में ही कुछ विलम्ब हो गया था। यह बाढ़ों के कारण हुआ, जिनके अन्दर काम बन्द हो गया और इसके कारण ६७ लाख रुपये का अन्तर आया।

अतः जैसा मैंने कहा, इस वर्ष में वास्तविक कार्य सामान्यतया संतोषजनक है और जिन कमियों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया गया है, उनका उचित कारण बता दिया गया है।

अब मैं बाढ़ नियंत्रण कार्यों की चर्चा करूंगा। कटौती प्रस्तावों की संख्या को देखते हुए यह प्रकट होता है कि हमारे कार्य में माननीय सदस्य रुचि लेते हैं। इस अवधि में गत वर्ष के २२ करोड़ रुपये व्यय की अपेक्षा इस वर्ष ८ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का कुछ कार्य इसलिये रुक गया कि बाढ़ की भयंकर स्थिति के कारण टूट-फूट की मरम्मत करने में हमारा ध्यान बट गाया, १९५५ के दौरान में बाढ़ से जो हानि हुई है--इस अवधि में जो बाढ़ आई है उससे हुई वर्ष भर की हानि का अब अनुमान लगाया गया है--वह बहुत ही अजीब तरह की है। गत ४ अथवा ५ वर्षों में बाढ़ से जो वार्षिक हानि औसतन ३५ करोड़ प्रति वर्ष होती रही है उसकी अपेक्षा यह हानि १०२ करोड़ रुपये की है और इसमें ९१३ व्यक्ति मरे हैं। वास्तव में यह बहुत ही गम्भीर स्थिति थी जिसका हमने गत वर्ष सामना किया। जहां तक कार्य की प्रगति की बात है हमने जो कुछ प्रयत्न किया उसमें हमें बहुत काफी सफलता मिली है। बाढ़ को रोकने के लिये हमने जो प्रयत्न किये हैं उनमें डिब्रूगढ़ बचाव कार्य एक बहुत बड़ा प्रयत्न है। जिन सदस्यों का किसी न किसी रूप में उस क्षेत्र से सम्बन्ध रहा है अथवा जो वहां के बारे में जानते हैं, वे अच्छी तरह इस बात को देखेंगे कि पिछले वर्षों में भूमि के जिस चप्पे-चप्पे को नदी ने निगल लिया था उसी भूमि को आज फिर से उसके मुख से निकाल लिया है। उन्हीं स्थानों पर जहां कि मकान बाढ़ के कारण गिर

गये थे, आज फिर से बन रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में शहर बचाव योजनाओं के अन्तर्गत बड़े ज़ोर-शोर से कार्य हुआ। उत्तरी बिहार में कोसी तथा अन्य दूसरी बंध योजनाओं द्वारा जलप्लावित होने से बहुत-सा क्षेत्र बचा लिया गया। चैतुनी बंध ने उत्तर प्रदेश में लगभग २ लाख एकड़ भूमि को बचाया। उत्तर प्रदेश में निचाई में बसे हुए गांवों का भूमि स्तर ऊंचा करने के कार्य में भी काफ़ी सुधार हुआ है। जनता के सहयोग से जम्मू तथा काश्मीर में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्य में भी काफी प्रगति हुई है। पंजाब और उड़ीसा में बाढ़ संम्बन्धी समस्याओं से उन राज्यों को बचाने के लिये वे राज्य योजनाएं बना रहे हैं।

बाढ़ों के सम्बन्ध में विशेषतः एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सर्वेक्षण का प्रारम्भिक कार्य है। जिसकी कमी अथवा अपर्याप्ता के कारण हमारा यह बचाव कार्य पिछले वर्षों में अधिक उन्नति नहीं कर सका।

सभा को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि सर्वेक्षण और जांच के सम्बन्ध में हमने काफ़ी प्रगति कर ली है। गत वर्षों में वायुयान द्वारा चित्र लेने का कार्य जो बहुत ही कम प्रतिशत हुआ था वह इस वार ९८ प्रतिशत हुआ है।

वर्षा मापक यंत्र तथा बेतार के स्टेशनों की स्थापना के बारे में भी बहुत ही कार्य हुआ है। बाढ़ सम्बन्धी सूचना देने के लिये कुशल प्रणाली चालू करने के लिये रेडियो चालित यंत्रों का प्रबन्ध किया जा रहा है ताकि नदी और वर्षा के सम्बन्ध में ज्ञान हो सके। ब्रह्मपुत्र पानी सम्बन्धी सूचना के बारे में बेतार द्वारा पहले से ही जानकारी दे कर चीन सरकार ने भी सहायता की थी।

१९५५–५६ के दौरान में ३,००० वर्ग मील के क्षेत्र को जलप्लावित होने से बचाया गया है। दस बड़े शहरों को भूमि कटाव से बचाया गया है, १,३०० गावों का भूमि स्तर ऊंचा किया गया है, ५०० मील लम्बा बांध बनाया गया है।

हमारी बड़ी परियोजनाओं के बारे में भी सदस्य जानने के इच्छुक होंगे इनके बारे में मैं संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। सर्वप्रथम हीराकुड को ही लीजिये। गत दो अवधियों में बहुत अधिक प्रगति हुई है कुछ मदों में तो लक्ष्य से भी अधिक प्रगति हुई है। चालू अवधि अर्थात् फरवरी १९५६ के अन्त तक प्रगति निश्चित कार्यक्रम से अधिक हुई है। वहां पर कानक्रीट और राजगीरी का काम ९८·४ प्रतिशत हुआ है। प्रत्येक बांध पर मिट्टी का कार्य ९१ प्रतिशत, बांध पर मिट्टी का कार्य ९८·५ प्रतिशत, नहरों तथा उसकी शाखाओं पर ८४ प्रतिशत मिट्टी का कार्य हुआ है।

परियोजना के प्रथम प्रक्रम के लिये जो ७०·७८ करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है १९५५–५६ के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन लगभग १४ करोड़ रुपये का है : जब कि आय व्ययक में १७·३८ करोड़ रुपये का उपबन्ध था।

यह बांध अगस्त, १९५६ के अन्त तक पूरा होगा और लगभग एक लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये जल तथा पहले यूनिट से लगभग २४,००० किलोवाट विद्युत् भी मिलने लगेगी। यह प्रसन्नता की बात है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि जिस बांध की इतनी चर्चा थी अब वह पूरा होने जा रहा है। उड़ीसा में तो संशय प्रकट किया गया था कि क्या कभी हीराकुड बांध भी बनेगा। अगली ऋतु में भी तीन विद्युतोत्पादक सेट भी काम में लाये जायेंगे और हमें कुल १२३,००० किलोवाट बिजली मिलने लगेगी। खेतों में नालियां खोलने का कार्य भी चालू है और इस प्रकार अधिक से अधिक भूमि की सिंचाई होगी जो १९५८–५९ में कुल लगभग ४·५४ लाख एकड़ भूमि होगी।

उड़ीसा सरकार ने डेल्टा सिंचाई योजना का कार्य जो हीराकुड परियोजना के प्रक्रम एक के भाग के रूप में स्वीकृत हुआ था, प्रारम्भ कर दिया है। इसके पूरा हो जाने पर पुरी और कटक जिलों

[श्री नन्दा]

को १८·७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगेगी। हीराकुड बांध से उत्पन्न होने वाली बिजली की मांग को देखते हुए जिसके बारे में देने को आश्वासन दिया गया है और उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये अधिक बिजली की मांग की संभावना को देखते हुए, सरकार ने अनुमानतः १४ करोड़ रुपये की लागत की विद्युत् विकास के लिये दूसरी प्रक्रम योजना स्वीकार की है। मुख्य बिजली घर द्वारा उपयोग किये गये बचे पानी से ७२,००० किलोवाट बिजली तैयार की जायगी। वर्तमान निर्माण संगठन द्वारा इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये प्रबन्ध हो रहे हैं। इसका महत्व इस में है कि जब सरकार ने योजना आयोग के परामर्श से सहायक बांध और उससे उत्पन्न होने वाले विद्युत् उत्पादन कार्य को बन्द करने का निश्चय किया तो इस प्रकार की आलोचना की गई उस पर जो व्यय—लगभग १९२ लाख रुपये किया गया था वह बिल्कुल बेकार व्यर्थ हुआ था। यहां तक आलोचना की गई कि उस योजना पर हमने बहुत से धन का—९९ या ९५ प्रतिशत—अपव्यय किया है। उस धन को बेकार खर्च किया किन्तु अब वह धन हमें वापस मिल रहा है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। उस समय यह सोचा गया था कि खोदी जाने वाली ये सभी नालियां और जो धन खर्च किया गया है वह बेकार होगा। हमने उस समय विशेषतः मंत्रालय ने यह भी सोचा कि कार्य को फिर से चालू करना आवश्यक है और हम इससे भी सहमत थे कि यह कार्य जल्दी किया जा सकता था क्योंकि वहां बिजली की आवश्यकता थी, और शीघ्र ही उसका वहां विकास होता। किन्तु उस समय यह बात स्वीकार नहीं की गई। मेरी इच्छा थी यह उस समय स्वीकार कर लिया जाता तथा हमें यह कार्य उस समय करना चाहिये था और इसे रोकना नहीं था। जो रुपये हमने व्यय किये अब हम उनका उपयोग कर रहे हैं। बहुत थोड़ी सी राशि को छोड़कर और कुछ अपव्यय नहीं हुआ। हमारा विचार था कि बिजली की अधिकाधिक मांग इस बात पर चाहे जल्दी अथवा देर में दबाव डालेगी कि दूसरा बिजली घर बनाने का कार्य शुरू किया जाय। ये आशायें पूरी हो रही हैं। इतना अवश्य हुआ कि ठेकेदार आदि को तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये। जो सम्पूर्ण व्यय होगा वह योजना के दूसरे प्रक्रम का प्रत्यक्ष व्यय होगा। यह एक छोटी सी सूचना है जो मैं सभा को देना चाहता था।

इस परयोजना की वित्तीय योजना को चलाने तथा कार्यान्वित करनें में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। यह महत्वपूर्ण बात है परियोजना के बाढ़ नियंत्रण अंश के लिये आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है। यह कहा गया था कि अकेली सिंचाई परियोजना इस परियोजना का पोषण नहीं कर सकेगी। तात्पर्य यह था कि इससे जो आय होगी वह मूल्य की पूर्ति करने के लिये काफी नहीं होगी। अतः परियोजना के बाढ़ नियंत्रण अंश के लिये केन्द्र से आर्थिक सहायता के लिये उपबन्ध किया गया। यह केन्द्र का अंश दान होगा। अब स्थिति यह है कि इस परियोजना की वित्तीय स्थिति इस आधार पर बनी थी कि व्यय की पूर्ति करने के लिये आर्थिक सहायता मिलेगी जो बाढ़ नियंत्रण के लिये भी काम आयेगी, किन्तु बाद में परियोजना की स्थिति सुधर गई और अब आसार ऐसे हैं कि आर्थिक सहायता अनुदान की आवश्यकता नहीं होगी। उड़ीसा के साथ जिस वित्तीय प्रबन्ध की व्यवस्था की गई है उसके आधार पर इसकी विस्तृत जांच की जायेगी।

संसद् के वित्तीय समिति ने इस परियोजना में बहुत मात्रा में धन लगाना, लेखा और दूसरी प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताओं के बारे में शिकायतें की थीं। ठीक है शुरू-शुरू में कुछ अनियमितताएं हुई थीं। इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही की गई। अब स्थिति बिल्कुल ही सुधर गई है। मुख्य इंजीनियर के अंतिम प्रतिवेदन से पता चला है कि भांडार सम्बन्धी मदें अभिनवरूप से खाते में दर्ज कर दी गई हैं। भांडार की अतिरिक्त सामग्री सम्बन्धी सूची अन्य दूसरी परियोजना में प्रसारित कर दी गई है। दूसरी परियोजना को जिन अतिरिक्त वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है

वे संभरण और उत्सर्जन महा निदेशक द्वारा नीलाम की जा रही हैं। भांडार की सामग्री जो खरीदी जाती हैं उन्हें भांडार करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये गये हैं। मुख्य इंजीनियर के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट है कि स्वीकृत प्राक्कलन के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। लेखा सम्बन्धी अवशिष्ट को पूरा करने के लिये जो विशेष विभाग खोले गये थे वह अब बन्द कर दिये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे हीराकुड परियोजना को देखें। आज यह हमारी कारीगरी का एक उच्च नमूना है, देश की उत्तम कृति है। वहाँ कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं हैं। सभी कार्य भारतीयों द्वारा किया गया है। वास्तव में यह एक बहुत ही अच्छी परियोजना है।

भाखड़ा-नंगल परियोजना का सभी कार्य, मुख्य भाखड़ा बांध, और इसके बिजली घरों, कोटला का बिजली घर, और पारेषण प्रणाली को छोड़कर, पूरा हो गया है। बांध पर कानक्रीट डालने का कार्य नवम्बर में प्रारम्भ हुआ था। कुल मिलाकर चार मील तक इसे ले जाने की व्यवस्था की गई है। तीन पालियों में कार्य हो रहा है। संतोषजनक प्रगति हो रही है।

काफिर बांध की संचयी प्रगति १०० प्रतिशत और खुदाई कार्य की प्रगति ९० प्रतिशत है। कानक्रीट के बारे में प्रारम्भ में २,९५,००० का कार्यक्रम था। बाद को परामर्शदाताओं के परामर्श के आधार पर इसकी मात्रा के बारे में कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं। अतः इसके कुछ भाग का कार्य नहीं हो सका। मूल प्राक्कलन के बारे में प्रगति २७·७ (आंकड़ों की जांच हो रही है) प्रतिशत है।

१९५५–५६ के लिये १८·४७ करोड़ रुपये का अनुमानित प्राक्कलन है जब कि आय-व्ययक में २२·२८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। व्यय कम करने के बारे में मैं बता चुका हूँ। बाढ़ों को छोड़कर, जिसके कारण एक दो महीने तक काम पर प्रभाव पड़ा था, शेष समय में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है।

गंगवाल परियोजना जो जनवरी १९५५ में चालू हो गई थी और जिसकी प्रारम्भिक क्षमता ४८,००० किलोवाट थी पंजाब, पेप्सू, और दिल्ली तथा निर्माण कार्य के लिये बिजली दे रही है। दूसरा बिजली घर कोटला में जून १९५६ तक पूरा हो जायगा और जिसकी क्षमता यंत्र लगाते समय ४८,००० किलोवाट होगी। भाखड़ा बिजली घर में १९५३ से बिजली की मांग काफी मात्रा में बढ़ गई है। उस समय के प्राक्कलन के अनुसार भाखड़ा बिजली घर में ९०,००० किलोवाट की एक एकक तथा इसके अतिरिक्त नंगल बिजली घर में २४,००० किलोवाट की ४ एककों की व्यवस्था की गई थी। यह मुख्यतया नंगल की उर्वरक व भारी जल की फैक्टरी के कारण हुआ। मामले की जांच करने के लिये नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो समिति बनाई गई थी उसने अपनी सिफारिश में बताया है कि दो अतिरिक्त एककों के साथ-साथ जो नंगल के दोनों बिजली घरों में प्रत्येक बिजली घर में होंगे ५ एकक जिसमें से प्रत्येक की क्षमता ९०,००० किलोवाट हो भाखड़ा बांध के प्रारम्भ में बनाई जायें जिनकी संस्थापना क्षमता ४९५,००० किलोवाट हो और मांग बढ़ने पर अन्य चार एकक भी लगाई जायें।

ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इन एककों के १९५९-६० तक पूरी तरह से लग जाने की आशा है। परियोजना के विद्युतीय अंश के क्षेत्र में वृद्धि करने के विचार से प्राक्कलन में अग्रेतर संशोधन किया गया है। संशोधित प्राक्कलन के अनुसार जिसकी जांच हो रही है, परियोजना में १७३·५४ करोड़ रुपना लगेगा

तत्पश्चात् मैं भाखड़ा की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों और उन कदाचारों को लेता हूँ जिन पर पिछले वर्ष इस वाद-विवाद में सभा में चर्चा हुई थी और जिसके बारे में इस सभा के और उससे बाहर के लोग भी चिन्तित हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में मुझे नवीनतम सूचना

[श्री नन्दा]

विस्तार में प्राप्त है जिस पर आज-कल में चर्चा हो सकेगी। स्थिति क्या है, इसका मैं संक्षिप्त सार दूंगा। अनियमितताएं और भ्रष्टाचार केवल भाखड़ा नहरों में जो काम होता है, वहीं तक सीमित है। यह अन्तर है। यह कोई बांध अथवा किसी बड़े कार्य का कोई अंश नहीं है किन्तु ऐसा है जिसका दायित्व एक सीमित प्रकार का है। इन मामलों का पता भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड और १९५२ में पंजाब सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा स्थापित एजेंसियों द्वारा की गई जांच-पड़तालों के फलस्वरूप लगा था। ऐसा वे समझते हैं। वे हम से कहते हैं कि आप हमसे जो कुछ करवाना चाहते हैं उसे हम करेंगे किन्तु यह बात ध्यान में रखिये और वह यह बात कि यह सब हुआ केवल भ्रष्टाचार विरोधी टुकड़ी नियुक्त करने और उसके द्वारा की गई जांच-पड़ताल के परिणाम स्वरूप ही। पंजाब सरकार ने उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की थी जिनके बारे में भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष प्रमाण था। उनहत्तर मामलों का पता लगा है जिनमें से ६४ न्यायालय में ले जाने योग्य हैं। यह संख्या विभागीय जांच के अतिरिक्त है जिनमें से ७ पदाधिकारियों के विरुद्ध हैं और जिसमें से एक चीफ़ इंजीनियर के विरुद्ध भी है। इक्यावन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को परियोजना से सम्बन्धित मामलों में पहले से ही निलम्बित कर दिया गया। कितना भ्रष्टाचार हुआ है यह बता सकना कठिन है, इस कारण पिछले वर्ष मैंने सभा से वादा किया था कि मैं भाखड़ा नहर प्रशासन के बारे में उचित रूप से जांच-पड़ताल करवाऊंगा। राज्य सरकार से इस पर समय-समय पर चर्चा की गई। उसमें कुछ परिवर्तन करने के कारण कार्यवाही करने में कुछ विलम्ब हो गया। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जांच की जाने वाली है और पंजाब सरकार एक समिति नियुक्त करने के लिये सहमत हो गई है जिसका सभापति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा और जिसमें दो इंजीनियर होंगे, जिनका पंजाब से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

†**श्री फिरोज गांधी** : यह केवल भाखड़ा नहर के बारे में है, सम्पूर्ण भाखड़ा के बारे में नहीं ?

†**श्री नन्दा** : भाखड़ा बांध के बारे में कुछ भी नहीं है। यह तो कार्य का थोड़ा सा अंश है।

†**श्री सिंहासन सिंह** (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : क्या यह अधिक शक्ति वाली समिति अग्रेतर जांच करेगी अथवा उन मामलों की भी आगे जांच करेगी जिनकी भ्रष्टाचार विरोधी विभाग अथवा अन्य विभागों द्वारा जांच की जा चुकी है ?

†**श्री नन्दा** : कार्य एक साथ ही दोनों ओर होगा। इस जांच के कारण उस कार्य को रोका नहीं जा सकता। मैंने पंजाब सरकार से इस पर चर्चा की थी। विचार यह है कि सम्पूर्ण भ्रष्टाचार का पता लगा लेने के पश्चात् और जहां कहीं गलती हुई है उसे बताने पर भी लोगों को यही सन्देह हो सकता है कि इससे भी अधिक गोल-माल हुआ होगा। अतः इस सबकी उचित रूप से जांच करना न केवल शरारत का पता लगाने की दृष्टि से ही वरन् ऐसी चीजों को वहीं अथवा अन्य कहीं रोकने के उपायों का पता लगाने की दृष्टि से भी अच्छा होगा। इसकी प्रविधिक जांच की जायेगी कि सामान्य रूप से इस प्रकार के काम पर कितना व्यय किया जाना चाहिये था और लेखा आदि का ध्यान रखे बिना कितना अधिक धन व्यय किया गया है। इस प्रकार की जांच से लाभ होगा।

दामोदर घाटी योजना के बारे में मैं इतना आशावादी नहीं हूं।

†**एक माननीय सदस्य** : क्यों ?

†**श्री नन्दा** : इस कारण नहीं कि इसमें कोई अच्छाई नहीं है। वहां काफी कार्य किया गया है। हाल ही में मैंने वहां जाकर स्वयं यह सब देखा है। वहां भली प्रकार से और काफी निरीक्षण में काम आगे बढ़ता जा रहा है। किन्तु उनमें बहुत विलम्ब हुआ। मुझे आशा थी कि

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले वर्ष जो कमी रह गई थी उसकी कमी पूरी हो जायेगी और सम्भव है कि हमने जो कार्यक्रम बनाया है उसके अनुसार कार्य हो सके। किन्तु खेद है कि ऐसा नहीं हो सका। इसके कुछ विशेष कारण हैं जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। दुर्गापुर बांध कार्य निश्चित समय से दो मास पूर्व और स्वीकृत प्राक्कलन में ही पूरा हो गया था। मानभूम और सन्थाल परगना ज़िलों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में निगम, बिहार सरकार और केन्द्रीय सरकार की अनेक बैठकें होने के बाद यह निश्चय किया गया था कि यह कार्य बिहार सरकार द्वारा किया जाना चाहिये और जिसका व्यय निगम देगा। इसी आधार पर कार्य हो रहा है। जहां तक कार्य की प्रगति का सम्बन्ध है, दो प्रकार का कार्य हो रहा है। मिट्टी की खोदाई और बांध बांधने का कार्य ९७·९ प्रतिशत और मेथान में कंकरीट का ९३·४ प्रतिशत कार्य हो चुका है। मेथान का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बहुत शीघ्र ही जल और विद्युत् आपको मिल जायेगी। एक और बांध बनने जा रहा है किन्तु यह और भी पहले होना चाहिये था। मेरा कहना है कि आज से सात-आठ महीने पहले ही यह बांध बन जाना चाहिये था। इतना विलम्ब इस कार्य में हुआ है जिसकी प्रतिक्रिया भी देखने में आ रही है अर्थात् पंचेत पहाड़ी के काम में भी विलम्ब हो रहा है क्योंकि इरादा यह था कि फ़ालतू मशीनों को मेथान से हटा कर उनका उपयोग पंचेत पहाड़ी पर किया जायेगा। इसी से विलम्ब होता है।

पारेषण लाइन का अधिक अंश और मूल कार्यक्रम के अधीन उपस्टेशन पिछले वर्ष बनकर तैयार हो गया है। अब लाभ के उपयोग की बात आती है। यह दूसरी बात है कि जो बार-बार उठाई गई थी हम दामोदर घाटी निगम की विद्युत आदि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यद्यपि आरम्भ से समय पर सामान न मिलने के कारण विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत् सम्भरण करने में कुछ विलम्ब हो गया था, जिसके कारण दामोदर घाटी निगम पद्धति पर शीघ्रता से भार बढ़ता जा रहा है। १९५३ में सकल मांग लगभग २२,२८० किलोवाट थी १९५४ में बढ़कर वह ४१,२६० किलोवाट हो गई और अब यह मांग ७४,३३० किलोवाट हो गई है। इस मांग को पूरी करने के पश्चात् दामोदर घाटी निगम बोकारो में अधिक से अधिक १०४,००० किलोवाट अर्थात् १००,००० और तिलइया में ४,००० भार सहन कर सकता है अधिक से अधिक ८२,००० किलोवाट से अधिक भार को सन्तोष जनक समझा जाना चाहिये। किन्तु स्थिति बदल रही है। देखा गया है कि जितनी तेज़ी से मांग बढ़ रही है वह सर्वथा अपर्याप्त होगी। मैं उसका कार्यक्रम बताऊंगा।

घाटी के उद्योगों जैसे जमशेदपुर की टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और बर्नपुर की आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का पर्याप्त विस्तार हुआ है। दुर्गपुर में एक इस्पात का कारखाना खुलेगा। दालमियानगर के केमिकल इन्डस्ट्रीज़ का भी विस्तार हो रहा है। आशा की जाती है कि १९५८ में जिन औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा चुका है उनमें उत्पादन आरम्भ करने के लिये हमें १५०,००० किलोवाट और अधिक विद्युत् उत्पन्न करनी होगी। बोकारों में एक चौथा एकक लगा कर, कोनार में जलविद्युत् स्टेशन बना कर और दुर्गापुर में एक दूसरा ताप विद्युत् कारखाना स्थापित करके दामोदर घाटी निगम की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के प्रस्तावों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। इसका यह कार्यक्रम है और जहां तक भविष्य के लक्ष्यों का सम्बन्ध है, इसमें एक वर्ष का विलम्ब होगा जो पंचेत पहाड़ियों में भी लागू होता है।

कर्मचारियों के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव हैं जिनकी समाचार पत्रों ने काफी चर्चा की है। मैं दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों के बारे में संक्षिप्त विवरण दूंगा। आगामी छः मासों में दामोदर घोटी निगम के लगभग ३,००० काम के आधार पर मज़दूरी पाने वाले और ३,००० दैनिक मज़दूरी पाने वाले कर्मचारी बेकार हो जायेंगे। किन्तु नियमित कर्मचारियों की स्थिति के निकट

[श्री नन्दा]

भविष्य में समस्या बन जाने की सम्भावना नहीं है। अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक रोजगार देने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार के लिये जो भी सम्भव है उसे करने में असफल नहीं रहेगी। किन्तु यह समझना चाहिये कि "वैकल्पिक रोज़गार के बिना छंटनी नहीं" होगी यह स्थिति ऐसी नहीं है जिसे स्वीकार किया जाये। दामोदर घाटी निगम पदाधिकारियों ने परियोजना पदाधिकारियों से गहरा सम्पर्क स्थापित कर लिया है। वैकल्पिक रोजगार का पता लगाने के लिये भारत सरकार ने भी सभी सम्बन्धित लोगों से सम्पर्क स्थापित किया है। प्रत्येक बड़ी नदी घाटी परियोजना के लिये एक काम दिलाऊ दफ्तर खोलने का प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श के आधार पर विचाराधीन है। बिहार और पश्चिमी बंगाल दोनों की सरकारें अधिकाधिक यथासम्भव कर्मचारियों को खपाने का प्रयत्न करेंगी। पश्चिमी बंगाल सरकार का कथन है कि वह ५० प्रतिशत ऐसे कर्मचारियों को खपा सकेगी। मैं अभी हाल में मेथान में कर्मचारियों से मिला था और उन्हें बताया था कि आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक रोज़गार ढूंढने के लिये जो कुछ किया जा रहा है उसके बावजूद भी कुछ छंटनी करना अनिवार्य है, क्योंकि किसी मकान के पूरे बन जाने पर मजदूर घर में बेकार बैठे नहीं रह सकते "हम मकान नहीं छोड़ेंगे"। यह ऐसी स्थिति जो स्वीकार नहीं की जा सकती। किन्तु हम अपने उत्तर-दायित्वों को उस प्रकार नहीं समझते जिस प्रकार कोई गैर-सरकारी पूंजीपति नियोजक करता है। अतः मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि मैं उन्हें वैकल्पिक रोज़गार देने में यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा। उदाहरण के लिये देश में उपलब्ध किसी अन्य प्रकार के काम के लिये उन्हें पुनः प्रशिक्षण दिया जाये। उनका पूरा ध्यान रखा जायेगा किन्तु काम पूरा हो जाने पर उन्हें बेकार बैठना पड़ेगा।

ये बड़ी-बड़ी परियोजनायें हैं। कोसी, कोयना, रिहाड, चम्बर और नागार्जुन सागर नामक नई परियोजनाओं की अभी प्रारम्भिक अवस्था है। कार्य की प्रगति हो रही है। जितनी राशि की व्यवस्था की गई थी वह इनमें से कुछ में पूर्णरूपेण व्यय नहीं की गई, किन्तु मैं उसे कोई गम्भीर बात नहीं समझता। यह अच्छा है कि प्रारम्भिक अवस्था में ठीक से योजना और डिजाइनें आदि बना ली जाती हैं। प्रारम्भिक विलम्भ उतना खराब नहीं है क्योंकि यदि बाद में कोई खराबी उत्पन्न होती है तो उससे और अधिक खराबियां पैदा हो जाती हैं। उदाहरण के लिये कोयना में डिजाइन बनाने और विभिन्न विशेषज्ञों से परामर्श लेने के कार्य में कुछ अधिक समय लग गया। इस विषय पर मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

लाभों के उपयोग करने का यह प्रश्न अनेक बार उत्पन्न हो चुका है। जहां तक भाखड़ा के जल का सम्बन्ध है, उसका उपयोग किया जा रहा है। तुंगभद्रा हम लोगों के लिये एक कठिनाई का विषय रही है किन्तु उसके आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। अब स्थिति में पर्याप्त सुधार हो रहा है। और उसके दोनों ओर सिंचाई में विकास हो रहा है। मुझे आशा है कि हाल में सन्तोषजनक प्रगति होगी, हीराकुड के विषय में.....

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : तुंगभद्रा की उच्चतल की नहर की क्या स्थिति है?

†**श्री नन्दा** : मैं निश्चित सूचना दूंगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा की गई ठोस कार्यवाही के कारण तुंगभद्रा जलाशय के जल से सिंचाई करने के बारे में बांध का विकास करने की स्थिति में सुधार हुआ है। मैसूर-आन्ध्र की ओर से क्षेत्र की जनसंख्या कम है और वहां जानवर भी कम हैं। वहां की रैयत के लिये सूखी फसलों की सिंचाई करना एक नई चीज़ होगी जो वर्षा के जल से स्वतः फसलों के सींचने के अभ्यस्त हैं। मैसूर, हैदराबाद और आन्ध्र की सरकारों को क्रमशः २५ लाख, २७ लाख और ५० लाख रुपया कृषि योग्य भूमि बनाने पर व्यय करने के लिये स्वीकृत

†मूल अंग्रेजी में

किया गया है। मैसूर में ८,३०० एकड़, आन्ध्र में १६,००० एकड़ और हैदराबाद में १४,६०० एकड़ से अधिक भूमि पर खेती हो रही है। जलाशय से जल अस्थायी रूप से कृष्णा डेल्टा में दूसरी फसल उगाने के लिये नीचे लाया जाता है। इन सब बातों को विस्तार में बताने के लिये मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता था, किन्तु चूंकि माननीय सदस्य चाहते थे, अतः मैंने यह जानकारी दे दी है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : उत्तर प्रदेश के रिहांड बांध की क्या दशा है ?

†**श्री नन्दा** : यदि माननीय सदस्य उसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मैं दूंगा। रिहांड बांध का ठेका मार्च, १९५५ में दिया गया था और ठेकेदारों ने मई, १९५५ से उस स्थान पर कार्य आरम्भ कर दिया था। खुदाई, नदी की धारा को मोड़ना नदी पर पुल बनाने, खानें खोदने, शिवर बस्ती बनाने आदि का कार्य हो रहा है निर्माण मशीनरी के लिये ठेकेदारों ने आर्डर दे दिया है। रेलवे लाइन के अन्तिम स्टेशन से बांध तक की ५० मील लम्बी सड़क अब पूरी होने वाली है। भांडारों की व्यवस्था और विभागीय शिविर बस्ती बनाने का प्रबन्ध भी किया जा चुका है। अन्य के बारे में मुझे सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। सभी परियोजनाओं के बारे में यद्यपि मुझे जानकारी है।

†**डा० एस० एन० सिंह** : (सारन-पूर्व) : सम्भवतः रिहांड बांध का ठेका हिन्दुस्तान बिल्डिंग कारपोरेशन को दिया गया है। यह कम्पनी कैसी है ?

†**श्री नन्दा** : मेरे विचार से यह वह कम्पनी नहीं है। कोयना का ठेका तो हिन्दुस्तान कान्सट्रक्शन का है किन्तु रिहांड के लिये मैं पता लगा कर माननीय सदस्य को बताऊंगा।

मैं सभा को योजना के बारे में बताना चाहता था और वह भी इस सम्बन्ध में देश के दीर्घकालीन विकास में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का क्या हाथ है, यह बताना चाहता था। इस समय सभा को उस विषय में अधिक सूचना देना सभा का व्यर्थ समय लेना होगा।

†**कुछ माननीय सदस्य** : कल

†**श्री नन्दा** : योजना के बारे में अग्रेतर सूचना मैं अपने उत्तर के समय दूंगा। मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं, अतः माननीय सदस्य अब चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

†**श्री एल० एन० मिश्र** (दरभंगा व भागलपुर) : मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं समझता हूं कि लोक-सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि इस मंत्रालय की यह मांग अत्यन्त ही उचित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और विद्युत शक्ति के विकास पर ही सब से अधिक जोर दिया गया था; इसके लिये कुल व्यय का ३२·५ भाग भी अलग कर दिया गया था और आज यह देख कर प्रसन्नता होती है कि इस मंत्रालय ने अपना लगभग ९० प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है। पहले इस सभा में कुछ ही वर्ष पहले इन बहु प्रयोजनीय परियोजनाओं में से कुछ की आलोचना की गयी थी। परन्तु पिछले चार वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है और मंत्रालय ने सब गड़बड़ियों को दूर करने का प्रयास किया है। आज तो मैं यह अनुभव करता हूं कि एक-दो अपवादों को छोड़कर, यह नदी घाटी परियोजनायें हमारी सफलताओं, कार्य कुशलता और अच्छे प्रशासन के मूर्त्तिमान प्रतीक हैं।

जैसा आप जानते हैं, यह नदी परियोजनायें ही हैं जिन्होंने हमारी खाद्य की कमी की विषम समस्या को हल किया है और औद्योगिक विकास में भी हमारी सहायता कर रही हैं। सबसे अधिक, वह देश

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एल० एन० मिश्र]

की भीषणतम बाढ़ों की भी रोकथाम करेंगी। बाढ़ रोकने की दिशा में एकीकृत ढंग से पहली बार जो कार्य किया गया है, उसके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

१९५४ के बाद बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिये कुछ वास्तविक प्रयास किये गये हैं। मैं देश के सर्वाधिक बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का निवासी हूं और मैं यह कह सकता हूं कि अब तक कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है परन्तु इन बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इन्होंने जनता का मनोबल बढ़ा दिया है। जिन स्थानों में लोग अपने-अपने घरबार छोड़कर भाग रहे थे, जिन नगरों को खाली किया जा रहा था, वहां अब नये उपनगरों का जन्म हो रहा है, उन क्षेत्रों में अब नया जीवन आ गया है। जहां तक बाढ़-विरोधी कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, यही सबसे बड़ी सफलता है।

मैं कुछ विशेष समस्याओं की ओर लोक-सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विचार में प्रविधिक कर्मचारियों की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारी विकास परियोजनाओं की संख्या बहुत बढ़ जायेगी, और यदि हम इस समस्या की ओर उचित ध्यान नहीं देंगे तो हमको कष्ट उठाने पड़ सकते हैं।

हाल ही में हमको इंजीनियरिंग कर्मचारियों के सम्बन्ध में सुकथंकर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि द्वितीय पंजवर्षीय योजना में प्रशिक्षण की जिन सुविधाओं का उपबन्ध किया गया है उनके होते हुये भी प्रत्येक श्रेणी के इंजीनियरिंग कर्मचारियों की कमी पड़ने की सम्भावना है। उसमें यह भी कहा गया है कि जिन आवश्यकताओं की कल्पना की गयी है उनका पूरा होना असम्भव है। इसलिये स्थिति संकटपूर्ण और परेशान करने वाली है मैं चाहता हूं इस सम्बन्ध में तत्काल कुछ किया जाना चाहिये।

इस स्थिति का सामना करने के लिये समिति ने कुछ अत्यन्त ही सारवान कार्यवाहियां करने का सुझाव दिया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि कुछ सुझावों को, जिन्हें मैं आवश्यक समझता हूं, लागू करे।

मेरे विचार से पहला जो कार्य किया जाना आवश्यक है वह यह है कि कर्मचारियों के एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने से रोका जाये। आज की स्थिति यह है कि इंजीनियरों में तनिक भी स्थिरता नहीं है। यह मुख्य रूप से इसलिये है क्योंकि उनकी नौकरी की शर्तों और वेतन-क्रमों में एकरूपता नहीं है। इस कारण यदि कोई राज्य किसी दूसरे राज्य से इंजीनियरों को बुलाना भी चाहे तो नहीं बुला सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि एकरूपता लाने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये।

पिछली बार भी मैंने यह सुझाव दिया था और अब भी कह रहा हूं कि इंजीनियरों का एक केन्द्रीय समूह बनाया जाना चाहिये, जिससे, आवश्यकता पड़ने पर कोई भी राज्य इस समूह से इंजीनियरों को ले सके।

कुछ मास पूर्व हमने इंजीनियरों की एक अखिल भारतीय पदाली की स्थापना किये जाने की चर्चा सुनी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी सिफारिश की है कि इंजीनियरों, चिकित्सकों आदि की अखिल भारतीय पदालियों की स्थापना की जानी चाहिये। परन्तु पता नहीं कि इस सम्बन्ध में क्या किया गया है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे और यदि आवश्यक पड़े तो इस सभा की सहायता भी लें।

इसी से ही देश में नदी परियोजनाओं की कार्यान्विति के लिये एक समान शासन-यंत्र की स्थापना करने का प्रश्न उत्पन्न होता है। आजकल इनमें तनिक भी एकरूपता नहीं है। समस्त नदी घाटी परियोजनाओं के लिये एक ढंग का ही शासन-यंत्र होना चाहिये।

हमने इस सुझाव के सम्बन्ध में भी, कि नदी घाटी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रभार एक राष्ट्रीय निर्माण निगम को सौंप दिया जाना चाहिये, कुछ चर्चा सुनी थी। इस निगम की स्थापना

की सिफारिश श्रीनगर में हुई इंजीनियरों की गोष्ठी ने की थी और मंत्रियों के एकीकरण बोर्ड ने भी इसका समर्थन किया था, परन्तु पता चला है कि कुछ राज्यों ने इस विचार मात्र को ही पसंद नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि इस निगम को स्थापित करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयास किये जाने चाहियें।

अब मैं उस प्रश्न पर आता हूं, जिसमें मेरी विशेष अभिरुचि है। इसका सम्बन्ध कोई ऐसा तरीका निकालने से है कि जिसके द्वारा श्रमिकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि की जा सके। प्राक्कलन समिति ने अपने पांचवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि नदी घाटी परियोजनाओं में लगे श्रमिकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है और इसको कार्यान्वित करने के लिये उसने क्या कार्यवाही की है? यहां मैं एक सुझाव यह भी रखना चाहता हूं कि ठेके की प्रथा को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इस प्रथा को उत्साहित करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयास किया जाना चाहिये और निर्माणकार्यों को श्रमिकों की सहकारी समितियों तथा ग्राम-पंचायतों द्वारा पूरा कराने का प्रयास किया जाना चाहिये। इससे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने में तो सहायता मिलेगी, साथ ही जनता तथा सरकार के बीच भी निकटतर सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा। हमें अपनी जनता की कार्य करने की क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिये। अपने अनुभवों से मुझे ज्ञात है कि हमारी जनता में अपार शक्ति है यदि किसी के असफल होने की संभावना है तो वह सरकार है और वह लोग हैं, जो संगठन के प्रभारी हैं हमारा तो अनुभव यह है कि जनता सदैव सार्वजनिक संगठनों और सरकार से आगे रहती है। श्रमिकों की सहकारी समितियों का कार्य तो बड़ा ही निराशाजनक रहा है, परन्तु जनता के सहकारिता प्राप्त करने के आन्दोलन ने बड़े ही अच्छे ढंग से कार्य किया है। इस प्रथा के द्वारा हम न केवल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करा सकते हैं, वरन् समाजवादी प्रकार के समाज के सिद्धांत के सम्बन्ध में एक फल प्रयोग भी कर सकते हैं।

आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि सरकार द्वारा किये गये १०० रुपयों में से ९६ रुपये सीधे श्रमिकों की जेब में पहुंच जाते हैं। आप किसी ऐसे दूसरे देश का नाम बताइये जहां कुल खर्च का ९६ प्रतिशत भाग दैनिक मज़दूरों को दिया जाता हो इसलिये यह एक ऐसी प्रथा है, जो बड़े ही अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। हम कोसी परियोजना के सम्बन्ध में ही यह देख चुके हैं कि ग्रामीण जनता नेतृत्व को विकसित कर सकती है वहां सद्भावना और सहकारिता का वातावरण व्याप्त है। मैं तो कह सकता हूं कि हम इसके लिये केवल जनता के ही नहीं वरण् शासन-यंत्र के भी आभारी हैं। कोसी में सत्य की विजय हुई है।

अंत में मैं ग्रामों के विद्युतीकरण के प्रश्न पर आता हूं। मंत्रालय की समस्त सफलताओं के होते हुये भी मुझे बाध्य होकर इस एक बात की शिकायत करनी पड़ रही है कि गांवों में बिजली लगाने के कार्य की गति विशेष तीव्र नहीं रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको उचित महत्व न देकर हमने आरम्भ में ही गलती कर दी थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लियें जो उपबन्ध किया गया है वह भी पर्याप्त नहीं है। इसलिये सरकार से मेरा आग्रह है कि गांवों के विद्युतीकरण के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जाये।

इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकारों के रुख के विषय में भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं उन राज्यों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने अपने यहां विद्युत बोर्डों की स्थापना कर दी है। वह इस सम्बन्ध में उपक्रमण नहीं कर रहे हैं और विद्युत बार्डों की स्थापना नहीं कर रहे हैं। विद्युतशक्ति अब शौकीनी अथवा विलास की वस्तु नहीं रह गयी है। इसलिये सरकार से मेरा आग्रह है कि वह प्रत्येक राज्यों में विद्युत-बोर्डों की स्थापना कराने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयास करे। संसार के दूसरे देशों में, और अपने यहां दक्षिण में किये गये प्रयोगों में भी हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का प्रयोग अधिक सफल

[श्री एस० एन० मिश्र]

रहा है। इसलिये, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् शक्ति सम्बन्धी कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने और उसका उपबन्ध करने की दिशा में प्रत्येक संभव प्रयास किये जाने चाहिये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अमरीका के ढंग को ग्रामीण विद्युत् प्रशासन की स्थापना किये जाने की बात थी। परन्तु पता नहीं कि उसके सम्बन्ध में क्या किया गया है।

जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, राज्य सरकारें इसका विकास करने की दिशा में बहुत कुछ कर सकती हैं। वह उनके लिये उदारतापूर्वक ऋण दे सकती है। मैं समझता हूं, और इंजीनियरों की गोष्ठी का भी यही मत था, कि गांवों में बिजली लगाने में कोई प्रविधिक समस्या आड़े नहीं आती है, मुख्य समस्या केवल वित्तीय ही है। मेरे विचार से इस वित्त का उपबन्ध करना कठिन नहीं है, क्योंकि यह कार्य धन का उत्पादन करने, राष्ट्रीय सम्पदा का उत्पादन करने के लिये किया जायेगा। इसलिये वित्त के प्रश्न को हल करना ही पड़ेगा और गांवों में बिजली लगाने की योजना को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयास किया जाना चाहिये।

†**श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** (बेल्लारी): हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां हम सिंचाई और विद्युत् के क्षेत्र में अपनी सफलताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं और भविष्य के सम्बन्ध में भी योजनायें बना सकते हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और विद्युत् पर २८ प्रतिशत अर्थात् ६६१ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। श्री नन्दा ने अभी जिन सफलताओं का उल्लेख किया और जिनके प्राप्त किये जाने की आशा प्रकट की उनके आधार पर कहा जा सकता है कि प्राप्त हुई सफलता आशाजनक है।

मेरे माननीय मित्र श्री एल० एन० मिश्र अभी कोसी परियोजना में जनता के सहयोग का उल्लेख कर रहे थे: पिछले वर्ष हमने भी वहां जाकर वहां का दृश्य देखा था। वह एक अविस्मरणीय दृश्य था; छात्र, गांव वाले कैडेट कोर के जवान और नवयुवक, सभी उस कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे थे।

मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि हमारी सिंचाई करने की क्षमता का अनुमान लगाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि प्रारम्भिक भार सर्वेक्षण को भी यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाये जिससे कि विभिन्न स्थानों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके। विशेष रूप से दक्षिण भारत में विद्युत् शक्ति का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहा है। मेरा सुझाव है कि विद्युत् उत्पादन के लिये एक एकीकृत योजना तैयार की जानी चाहिये।

गांवों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भी मैं एक शब्द कह दूं। मैं समझता हूं कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में इस सम्बन्ध में जो उपबन्ध किये गये हैं वह अपर्याप्त हैं क्योंकि हमारे यहां गांवों की संख्या लाखों में है। इस कार्य में जो कठिनाइयां हैं उनसे मैं परिचित हूं, परन्तु यदि हम गांवों के जीवन को सुन्दर और सम्पन्न बनाना चाहते हैं तो हमें और भी अधिक गांवों में बिजली का उपबन्ध करना पड़ेगा।

नौवहन के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कह दूं। यह केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग के जल-विभाग के हाथ में है। यह एक अच्छी बात है, परन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का निबटारा उचित रीति से नहीं किया गया है। मंत्रालय को मेरा सुझाव है कि क्योंकि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू ही करने जा रहे हैं, इसलिये सिंचाई के साथ-साथ देश की नौवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं के प्रश्न पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

मुझे तुंगभद्रा परियोजना के सम्बन्ध में, जिसके साथ मैं निकट रूप में सम्बन्धित हूँ, कुछ शब्द कहने हैं। वहां जो कार्य किया गया है और उसके सम्बन्ध में नन्दा जी ने जो आंकड़े दिये हैं वह सन्तोषप्रद हैं। मेरा सुझाव है कि वहां पर्याप्त प्रगति की जानी चाहिये और रैयतों को उदारतापूर्वक अधिक मात्रा

†मूल अंग्रेजी में

में ऋण दिये जाने चाहियें। ऊंची-नीची भूमि में सिंचाई करना अत्यंत कठिन होता है। इसके लिये रैयतों को उदारतापूर्वक ऋण देने की आवश्यकता होती है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार इस पहलू पर कड़ी नज़र रखे और यथाशीघ्र प्रगति कराने की व्यवस्था करे। मैं स्थानीय नेताओं और राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व को अस्वीकार नहीं करता, उनको भी भरसक प्रयास करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार तुंगभद्रा नदी पर स्थित कारखाने को अपने अधिकार में लेकर, उसे एक मध्यम आकार के निर्माण कारखाने के रूप मे विकसित करने का विचार कर रही है। उसे उस स्थान से नहीं हटाना चाहिये। उसका विकास वहां बहुत अच्छी तरह से किया जा चुका है इसलिये उसका कोई और अच्छा उपयोग किया जाना चाहिये।

मंत्रियों के समन्वय बोर्ड ने श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय निर्माण निगम सम्बन्धी गोष्ठी के सुझावों को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। एक ऐसा निगम गठित करके उसमें कुछ सरकारी निधि लगाने का विचार है। लेकिन ऐसा करने के लिये शायद संविधान को संशोधित करना पड़ेगा। इसमें हमें राज्य सरकारों को भी सक्रिय बनाना चाहिये, जिससे कि एक परियोजना पर कार्य समाप्त होते ही, उसके सारे प्रविधिक कर्मचारियों और अनुभव आदि को दूसरी परियोजना पर लगाया जा सके।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मालवी-हागरीबोम्मन हल्ली परियोजना से ७,०००—७,५०० एकड़ भूमि की सिंचाई होने की आशा है। यह योजना है तो छोटी-सी ही पर इससे तुंगभद्रा नदी के १४० वर्ग मील में फैले हुये जलाशय के बनने से विस्थापित हुये व्यक्तियों को सहायता मिलेगी। तुंगभद्रा परियोजना से सिंचाई किये जा सकने वाले ऊँचे धरातल वाले क्षेत्रों को भी इससे सहायता मिलेगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त से पहले, अन्य परियोजनाओं के साथ ही हमें अवश्य ही इसे भी आरम्भ कर देना चाहिये।

†**श्री बोगावत** (अहमदनगर दक्षिण) : पहली पंचवर्षीय योजना काफी सफल रही है। उसमें सिंचाई और विद्युत् के लिये लगभग ६६१ करोड़ रुपये रखे गये थे। लेकिन इस बार द्वितीय योजना के उससे कहीं बड़ा होने पर भी उसके लिये कुल ९०० करोड़ रुपये रखे गये हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमें अपने औद्योगिक उत्पादन का विकास करना है और हमारे बहुत से उद्योग विद्युत् शक्ति के सहारे चलते हैं। इसलिये हमें इसमें विद्युत् शक्ति पर अधिक व्यय करना चाहिये। महाराष्ट्र की एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी परियोजना—कोयना परियोजना की ओर भी यथेष्ट ध्यान नहीं दिया गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ही, इस परियोजना की मांग की जा रही थी, लेकिन उस के लिये कोई भी धनराशि नहीं रखी गई है और अभी तक उसकी कुछ सड़कें तथा इमारतें ही बन पाई हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। यह परियोजना पहली ही अवस्था में २४०,००० किलोवाट विद्युत् शक्ति का जनन करेगी, और दूसरी अवस्था में तो इससे भी कहीं अधिक। इसकी पहली अवस्था का निर्माण १९६१-६२ में समाप्त होगा। पता नहीं दूसरी अवस्था का निर्माण कब समाप्त हो सकेगा। सरकार ने कोयना परियोजना को क्या सहायता दी है? अन्तर्राष्ट्रीय बैंक इसके लिये ११·२५ करोड़ रुपयों तक का ऋण देने को तैयार है, और इसमें कुल ३३ करोड़ रुपये लगेंगे। इसके लिये और अधिक राशि क्यों मंजूर नहीं की गई है? बम्बई और महाराष्ट्र के सभी जिलों के लिये यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसलिये हमें इसमें शीघ्रता करनी चाहिये। वहां के लोगों ने सरकार पर यह आरोप लगाने शुरू कर दिये हैं कि वह महाराष्ट्र की अपेक्षा गुजरात की ही ओर अधिक ध्यान देती है। इसके लिये विदेशों से मिली हुई सहायता के अतिरिक्त, सरकार की ओर से भी अधिक धन राशि मंजूर की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बोगावत]

मेरे ज़िले की अन्य परियोजना—रान्द्रा व बन्दर-धारा परियोजना—के लिये भी पिछले ५–६ वर्षों में उसके लिये अपेक्षित पांच-सात करोड़ रुपयों की मंजूरी नहीं दी गई है। मेरा ज़िला एक अकाल-पीड़ित ज़िला है। अभाव ग्रस्त क्षेत्रों पर ४० करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, पर सरकार ने इस पर आठ करोड़ रुपये खर्च नहीं किये। राममूर्ति समिति ने १२ करोड़ रुपयों के व्यय किये जाने की सिफारिश की थी, यह व्यय भी नहीं किया गया है। कुकादी परियोजना की मांग उठाई जाने पर भी उसको अनदेखा किया गया है। ४० करोड़ रुपयों की व्यवस्था किये जाने पर भी, चार करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों की परियोजना को एक अलग मद के रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अभावग्रस्त क्षेत्र के एक दूसरे भाग में मूला परियोजना की स्वीकृति दी गई थी और अनुमान लगाया गया था कि उस पर ८,३९,००,००० रुपये खर्च होंगे। लेकिन, राज्य सरकार अपनी अन्य परियोजनाओं को देखते हुये इसके लिये कुल तीन करोड़ रुपयों का ही आवंटन कर सकी। ऐसी परिस्थिति में, अभावग्रस्त क्षेत्रों का ध्यान करके, केन्द्रीय सरकार को ही शेष राशि देनी चाहिये थी, क्योंकि उस क्षेत्र में प्रत्येक चार वर्ष में से तीन वर्ष अभाव की सी हालत बनी रहती है। क्या यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य नहीं था ?

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार बाढ़ परियोजनाओं के क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान दे रही है; पर क्या उसे अभावग्रस्त क्षेत्रों की ओर भी उतना ही ध्यान नहीं देना चाहिये ?

इसलिये, तीन ज़िलों की जनता को अभाव से बचाने के लिये, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कुकादी और मूला परियोजना के लिये अधिक राशि की व्यवस्था करे।

रान्द्रा व बन्दरधारा परियोजना में केवल इतना ही निर्माण कार्य किया जाना है कि दो बिजलीघर बनाये जाने हैं और ट्रांसमिशन लाइनें डाली जानी हैं, क्योंकि वहां प्रति वर्ष २०० इंच वर्षा होती है और वहां तालाब तथा प्राकृतिक झरने भी मौजूद हैं। फिर, क्यों उसे समाप्त नहीं किया जाता है? वहां के चीनी के कई कारखानों को इस परियोजना से प्राप्त होने वाली विद्युत् शक्ति की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कई प्रतिनिधान भी किये जा चुके हैं। फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार यदि इसे प्रारम्भ नहीं करती है, तो वह कम से कम कोयना परियोजना के कार्य को तो यथाशीघ्र पूरा कर दे। उससे भी सतारा, पूना, अहमदनगर, कोलाबा और बम्बई के सात ज़िलों को पर्याप्त विद्युत् शक्ति मिल जायेगी। इन दोनों परियोजनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

इस सब के बाद, मैं बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में श्रमिक सहकारी समितियों ने काफी अच्छा कार्य किया है। गोड परियोजना में ऐसी कई समितियां चल रही हैं। लेकिन वहां भी कई ऐसे ठेकेदारों को ठेके दे दिये जाते हैं जो पर्यवेक्षकों के मेल के होते हैं और फिर पर्यवेक्षक श्रमिकों के कार्यों में त्रुटि निकालने पर तुल जाते हैं। इस कारण, कई श्रमिक सहकारी समितियां नष्ट होती जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को कुछ अधिक ध्यान देना चाहिये। इन समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिये। कहा गया था कि ९६ प्रतिशत धन श्रमिकों को मिला था। गोड में कार्य करने वाले लगभग १०,००० श्रमिकों के लिये यदि यह सब होता रहे तो उन्हें बड़ी सहायता मिल जायेगी। उन्हें फिर किसी सहायता की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

यदि सरकार अभावग्रस्त क्षेत्रों पर और अधिक धन व्यय करना चाहती है तो उसे तालाब बनवाने का कार्य आरम्भ करना चाहिये। इससे अभाव के दिनों में वहां की जनता को सहायता भी मिल जायेगी।

देहातों में बिजली पहुंचाने के कार्य की ओर हमें और भी अधिक ध्यान देना चाहिये। इसके लिये रांद्रा व बन्दरधारा परियोजना की ओर अधिक ध्यान दिया जाना जरूरी है। वहां कई कारखाने हैं और

औद्योगिक विकास की बड़ी सम्भावनायें हैं। इसीलिये, वहां विद्युत् शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। उससे बेरोजगारी की समस्या भी सुलझ जायेगी। उस परियोजना में, विद्युत् शक्ति की कोई अन्य वैकल्पिक योजना आरम्भ करना आवश्यक है। इससे, खेतिहरों को भी सहायता मिल सकेगी।

श्री बेंजमिन हंसदा (पूर्निया व संथाल परगना रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सदन में इस विषय पर कुछ कहने का मौका दिया। साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने जो इस साल की रिपोर्ट बनायी है उसको देखने से पता चलता है कि सिंचाई के विषय में काफी डेवेलपमेंट (विकास) हुआ है। मैं उनको इसलिये भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहां बिहार में जो बड़ी-बड़ी योजनायें बनी हैं और उनके कारण जो लोग डिस्प्लेस (विस्थापित) हुये हैं, उनकी समस्या को भी अच्छी तरह से हल किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ मैं कुछ विषयों पर दुःख भी प्रकट करना चाहता हूं। गत वर्ष जो यहां पार्लियामेंट भवन में बिहार के सदस्यों की बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने इस सम्बन्ध में अपनी बहुत कुछ राय प्रकट की थी। मैं विशेष कर माइथान प्रोजेक्ट (परियोजना) के विषय में ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि इससे आदिवासियों का विशेष सम्बन्ध है इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में जिन लोगों के मकान और जमीनें ले ली गयीं थीं उनको मकान और जमीनें बदले में दी गयी हैं, परन्तु वे उनको लेने से इन्कार करते हैं। मंत्री जी को अच्छी तरह से इस बात की जांच करनी चाहिये कि वे लोग क्यों ऐसा करते हैं। इसका कारण यह है कि जो जमीन उनके लिये रिक्लेम (कृषि योग्य) की गयी है वह उतनी अच्छी नहीं है जैसी कि उनकी जमीन थी। उनके पास फर्स्ट क्लास (प्रथम श्रेणी की) इरीगेटेड (सिंची हुई) जमीन थी जो कि ले ली गयी है, और जो जमीन उनको दी जा रही है उसमें सिंचाई का कोई बन्दोबस्त नहीं है, और वह जमीन भी कंकरीली है। जिस जमीन को उन लोगों ने चुना था उसको रिक्लेम नहीं किया गया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम पैचेज़ (टुकड़ों) में उसको ट्रैक्टर से रिक्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाये तो उसको ट्रैक्टर से रिक्लेम किया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह किस परियोजना के सम्बन्ध में है ?

श्री बेंजमिन हंसदा : माइथान परियोजना के बारे में इस जमीन को सरकार अच्छी तरह से रिक्लेम कर सकती थी। सरकार से कहते हैं तो कहा जाता है कि डी० वी० सी० कार्पोरेशन से कहो, उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि बिहार सरकार से कहो, उनसे कहते हैं तो कहा जाता है कि सैंट्रल गवर्नमेंट से कहो। यह नहीं मालूम होता कि किसके ज़रिये इन गरीबों की समस्या को हल किया जा सकेगा। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में बहुत सी बड़ी-बड़ी योजनायें चलायी जा रही हैं। उनमें से पंजाब में भाखड़ा-नंगल एक है। वैसे ही बिहार में माइथान, पंचत हिल और मयूराक्षी योजनायें हैं। अभी हमारे एक मित्र ने कोसी योजना के सम्बन्ध में कहा था। सरकार का पूरा ध्यान कोसी योजना की ओर जा रहा है, फ्लड कंट्रोल (बाढ़ नियंत्रण) के लिये और सिंचाई के लिये भी। लेकिन, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां अर्थात् संथाल परगना में सबसे ज्यादा इरीगेशन हो सकता है। यहां पर छोटी और बड़ी योजनायें चलायी जा सकती हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दें कि संथाल परगना की नदियों पर बांध बना कर वहां सिंचाई की जाये। अभी हाल की बात है कि हमारे बिहार के मुख्य मंत्री महोदय के सामने वहां की २० या २५ हजार जनता ने डिमांस्ट्रेशन (प्रदर्शन) किया था। हमारे यहां एक सुन्दर योजना कुसुम घाटी के नाम से चलायी जाने वाली थी जिस पर ७३ लाख रुपया खर्च होता लेकिन, एक कांग्रेस पार्टी के मेम्बर ने इसको राजनीतिक प्रश्न बना कर उसका नाम बदल दिया और उस योजना को १६ लाख का बना दिया गया। अगर यह योजना ७३ लाख रुपये की बनायी जाती, तो बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई कर सकती थी। लेकिन, इसको १६ लाख का बना दिया गया है। अब इस से केवल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वैंजमिन हंसदा]

आठ-दस बस्तियों में सिंचाई हो सकेगी । मेरा कहना यह है कि इस तरह की स्कीमें बना कर क्यों नहीं संथाल परगना की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यहां पर छोटी-छोटी योजनायें बना कर सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध किया जा सकता है, जिस से हम अपनी उपज को बहुत बढ़ा सकेंगे और इससे जनता को बहुत लाभ होगा और उसकी उन्नति होगी ।

जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो मालूम होता है कि पहली पंचवर्षीय योजना की बाकी दो वर्षों में उत्तर बिहार में २०० ट्यूबवैल बनाये जायेंगे । ये केवल उत्तर बिहार में ही बनाये जाते हैं । साउथ (दक्षिण) बिहार के प्लेंस (मैदानों) में, जहां संथाल परगना, मुंगेर और भागलपुर पड़ते हैं, बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है । संथाल परगना के पश्चिम में भागलपुर, मुंगरे आदि में तो ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं, और नहरें खोदने की योजनायें हैं लेकिन संथाल परगना की तरफ न प्रान्तीय सरकार ध्यान देती है और न सैंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देती है । अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां भी बड़ी-बड़ी नहरें बनाई जा सकती हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पकूर सब-डिवीज़न में तोरे नदी पर डैम (बांध) बनाया जा सकता है और राजमहल सब-डिवीज़न को फ्लड (बाढ़) से बचाया जा सकता है । इसके बाद, गोमानी नदी पर अगर डैम बना दिया जाये, जोकि पहाड़ों से होती हुई बहती है, तो उससे इरीगेशन-कम-पावर (सिंचाई व विद्युत्) की सहूलियतें प्राप्त की जा सकती हैं ।

मयूराक्षी नदी पर जो बांध बनाया जा रहा है उससे बंगाल को ही फायदा होने वाला है । संथाल परगना में कुछ हज़ार एकड़ जमीन उससे अवश्य सींची जा सकेगी, लेकिन और कोई फायदा उस इलाके को होने वाला नहीं है । बारामाशिया प्राजेक्ट को अगर हाथ में लिया जाये तो काफी ज़मीन की सिंचाई हो सकती है और बहुत फायदा उस क्षेत्र को पहुंच सकता है । अगर सैंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को अपने हाथ में ले तो उस इलाके की बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है और पावर भी इस प्रावजैट से जेनेरेट (बनाई) जा सकती है । यह दुःख की बात है कि माइथन और डी० वी० सी० से दुमका को तो इलेक्टरीसिटी मिलेगी, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं उसको कोई बिजली नहीं मिलेगी । यह हैडववार्टर मयूराक्षी प्राजेक्ट से केवल १२ मील की दूरी पर है । मयूराक्षी प्राजैक्ट से जो इलैक्टरीसिटी पैदा होगी उसका कुछ भाग अगर संथाल परगना को भी दे दिया जाये तो उस इलाके की काफी उन्नति हो सकती है ।

इसके साथ ही साथ, इलैकटरीसिटी के सम्बन्ध में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डी० वी० सी० से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आपका विचार यह है कि गया होते हुये पटना, नवाडा और मुज़फ्फरपुर तक बिजली दी जाये । यह तो दूर के इलाके हैं, लेकिन जो नज़दीक के इलाके हैं, क्या कारण है कि उनको पहले बिजली नहीं दी जा रही है । संथाल परगना से शार्टर रूट (छोटा मार्ग) पड़ता है, क्या कारण है कि इस शार्टर रूट को नहीं अपनाया गया है । इस वास्ते मेरी दरख्वास्त है कि जो इलाके नज़दीक हैं उनको पहले बिजली दी जाये और दूर के इलाकों को बिजली पहुंचाने के लिये छोटे रूट का इस्तेमाल किया जाये ।

आखिर में मैं मंत्री महोदय से एक अर्ज़ और करना चाहता हूं । जितनी भी बिहार स्टेट की स्कीमें होती हैं और जिन पर ५ लाख से ज्यादा खर्चा होता हो, उनको सैंट्रल गवर्नमेंट मंजूर किया करे जिससे किसी राजनीतिक दृष्टि से वे न बनाई जायें बल्कि इस दृष्टि से बनाई जायें कि जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई हो सके ।

मैं मंत्री महोदय से यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि संथाल परगना और छोटा नागपुर के इलाके को सर्वे (सर्वेक्षण) करने के लिये और उस इलाके के लिये स्कीमें बनाने के लिये जिनको कि दूसरी योजना में शामिल किया जा सके, एक सैंट्रल कमेटी बनाई जानी चाहिये जिसमें इंजीनियर्ज़ और एक्सपर्टस (विशेषज्ञ) हों । यह कमेटी उस इलाके के लिये बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की योजनायें बनाये जिनको कि आप मंजूरी दें । ये लोग उस इलाके में जायें और उसका दौरा करके अपनी सिफारिशें

आपको दें। वहां के लोगों के जो ग्रीवियेंसिस (शिकायतें) हैं वे उन्हें इस कमेटी के सामने पेश करेंगे और सब बातों पर विचार करने के बाद यह कमेटी उस इलाके को, जो कि बैकवर्ड है, जो कि पिछड़ा हुआ है, जिसकी कोई मदद न आपकी तरफ से और न प्रान्तीय सरकार की तरफ से की जा रही है, ऊंचा उठाने के लिये उसका डिवेलेपमेंट करने के लिये उसको इरीगेशन और पावर के बेनिफिट (फायदे) पहुंचाने के लिये आपको अपनी सिफारिशें पेश करे। इतनी मेरी प्रार्थना है।

†**डा० एस० एन० सिंह** : हमारे देश में जिस चीज़ ने सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है, वह है सतलज, कोसी, महानदी, आदि प्रचण्ड नदियों का नियंत्रण। पिछले वर्ष की बाढ़ों से सबसे अधिक क्षति समस्तीपुर को ही हुई थी। लगभग २४·९८ लाख एकड़ भूमि जल में डूब गई थी और फसल को भी लगभग २०·३ करोड़ रुपयों की हानि हुई थी। मकानों और सम्पत्ति को जो हानि पहुंची थी, वह इसमें सम्मिलित नहीं है। केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों ने समस्तीपुर के बन्धों का निरीक्षण किया है और उन्होंने कहा है कि उनके फिर से इस मौसम में न बनाये जाने पर, इस वर्ष भी गत वर्ष की भांति ही क्षति होने की आशंका है। पर, अप्रैल का महीना आ गया है, पर बांध अभी तक भी नहीं बनाये गये हैं। समस्तीपुर का क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भी काफी विकसित है यह कालिदास की कथित जन्म भूमि है। मेरा अनुरोध है कि सिंचाई और विद्युत् मंत्री वहां अधिकाधिक इंजीनियरों को भेजें, जिससे कि बाढ़ों के आने से पहले ही उसके बांध बन कर तैयार हो जायें और समस्तीपुर को उन विपत्तियों से छुटकारा मिल जाये जिनसे कि वह पिछले दो वर्षों से पीड़ित रहा है।

आम तौर पर हमारी प्रगति इस सम्बन्ध में काफ़ी अच्छी रही है। श्री बोगावत को इतने पर भी शिकायत है कि कोयला परियोजना की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस पर ११४·८ लाख रुपया तो व्यय किया जा चुका है, और २०१ लाख रुपया इस वर्ष व्यय किया जायेगा। लेकिन हमारे बिहार की गण्डक परियोजना की ओर तो देखिये। उसके लिये तो इतना भी नहीं किया गया है। उसकी ओर तनिक भी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया है।

मनुष्य ने अपना भाग्य सुधारने के लिये नदियों को नियंत्रित करके प्रकृति पर विजय पाई है। इसलिये भाखड़ा-नांगल या हीराकुंड जैसे स्थान अब तीर्थ-स्थान बन गये हैं।

पहली बात तो यह कि ये परियोजनायें प्रकृति की शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष हैं। हमने संघर्ष में सफलता पाई है। दूसरी बात यह कि इनसे जनता की दशा सुधारने में सहायता मिली है। तीसरी यह कि देश के भविष्य के लिये इनसे अच्छा और कोई नियोजन नहीं हो सकता था। हम अब, लेनिन के शब्दों में यह कह सकते हैं कि नियंत्रित नदियां और समाज का समाजवादी ढंग दोनों मिल कर हमारे देश से गरीबी को निर्वासित कर देंगे। हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जायेगा। मंत्रालय के विरुद्ध शिकायतें तो अनगिनत की जा सकती हैं लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिये।

फिर भी, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि इन परियोजनाओं में, इतना विकास होने पर भी, काफी सुधार की गुंजाइश है। मैंने दामोदर घाटी परियोजना में देखा है, और मैं कह सकता हूं कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने स्वयं ही इन परियोजनाओं से होने वाले लाभ को पूरी तौर पर नहीं समझा है।

उदाहरण के लिये, दामोदर घाटी निगम परियोजना को ही लीजिये। इसकी जांच-पड़ताल पर लाखों रुपये खर्च किये गये थे। १९४८ के दिनों में, मैं स्वयं जर्मनी से कुछ विशेषज्ञों को लाया था। उनकी यही राय थी कि इस परियोजना के साथ ही साथ एक रासायनिक कारख़ाना भी स्थापित किया जा सकता है। उससे ही इतना डी० डी० टी० आदि तैयार होने लगता कि उस क्षेत्र का सारा मलेरिया दूर हो जाता। इस पर वहां जनता को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। लेकिन, हुआ क्या? एक दिन मुझे पता

†मूल अंग्रेजी में

[डा० एस० एन० सिंह]

चला कि उस स्थान पर रासायनिक कारख़ाना स्थापित न करके, एक अन्य स्थान पर किया गया है, और वह रासायनिक कारख़ाना किसी अमरीकी फर्म के सहयोग से स्थापित किया गया था। मालूम यह हुआ कि कुछ निजी उपक्रम रासायनिक वस्तुओं सम्बन्धी अपने एकाधिकार को बनाये रखना चाहते थे, उससे मुनाफ़ा कमाना चाहते थे, इसलिये उन्होंने अलग से एक रासायनिक कारख़ाना खोलने की मंज़ूरी ले ली थी। इसीलिये उसे दामोदर घाटी परियोजना के साथ आरम्भ नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, सरकार उस निजी फर्म को सहायता के रूप में पर्याप्त धन भी दे रही है। आप उसे ऋण भी कह सकते हैं। यह तरीका हमारे देश के विकास में बाधक होगा। हमें इससे पूरी तौर पर सतर्क रहना चाहिये कि हम अपनी जनता को क्या-क्या सुविधायें देने जा रहे हैं।

इस दृष्टिकोण से तो मंत्रालय को आज भी उसकी फिर से जांच करानी चाहिये, क्योंकि उस रासायनिक परियोजना की जांच-पड़ताल पर लाखों रुपया व्यय किया गया था, और फिर क्यों उसे एकाएक रद्द कर दिया गया था।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाथी)** : किस ने ?

†**डा० एस० एन० सिंह** : दामोदर घाटी निगम ने। इस निगम ने ही उसे आरम्भ किया था। जर्मन इंजीनियरों ने योजना भी तैयार कर दी थी। पर अब लगता है कि उपमंत्री को भी शायद पता नहीं है कि बाद में उसे रद्द कर दिया गया था।

यदि अब भी मंत्रालय उस योजना को कार्यान्वित करे तो शीघ्र ही हमारा देश औषधियों और रासायनिक वस्तुओं के मामले में आत्म-निर्भर बन सकता है।

मेरे मित्र श्री एल० एन० मिश्र ने कोसी परियोजना की आवश्यकता पर काफ़ी जोर दिया है। मैं यह नहीं कहता कि इस पर खर्च न किया जाये परन्तु मैं चाहता हूं कि गंडक परियोजना को भी महत्व दिया जाये क्योंकि इससे अधिक लाभ होने की आशा है। गंडक नदी से कभी हानि नहीं पहुंची है और गंडक परियोजना के लिये सरकार ने मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों को स्वयं पांच करोड़ रुपया एकत्र करने के लिये कहा है। इसके लिये हम तैयार हैं परन्तु सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यदि कोसी परियोजना से हमें लाभ हो सकता है तो गंडक परियोजना भी कम लाभदायक सिद्ध नहीं होगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि कोसी के साथ-साथ गंडक परियोजना का काम भी आरम्भ किया जाये।

१९५६-५७ में आरम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों में गंडक परियोजना का उल्लेख न पाकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसमें केवल कोसी, कनला, बालिकी और बागमती का ही उल्लेख था। इसीलिये मुझे गंडक परियोजना के बारे में कहने की आवश्यकता महसूस हुई। इसमें जनता पूरा सहयोग देगी और यदि आवश्यकता हुई तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र और आस-पास के निर्वाचन क्षेत्रों से पांच करोड़ रुपया भी एकत्र हो जायेगा परन्तु सरकार को जनता के साथ मिलकर और उसकी आवश्यकता के अनुसार कार्य करना चाहिये।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों और समस्तीपुर के बारे में मुझे केवल यह कहना है कि जिन परियोजनाओं से जनता को लाभ हो और जो बचत वाले हों, उन्हें तुरन्त आरम्भ किया जाये।

सारे देश में काफ़ी प्रगति हो रही है परन्तु अभी हमें बहुत कुछ करना है। अभी तो हमने अपना कार्य आरम्भ ही किया है। मंत्री महोदय ने जब कहा कि दामोदर घाटी निगम में टैक्नीशियन (प्रविधिविज) फालतू हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको गंडक आदि अन्य परियोजनाओं में लगाया

†मूल अंग्रेजी में

जा सकता है और उनकी परियोजना से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सकता है। यह ठीक है कि कुछ परियोजनायें वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी कि वे पत्रों में दिखाई गई हैं ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय निर्माण निगम सरकारी पदाधिकारियों को ही एक संस्था नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह पदाधिकारी नौकरशाही के अतिरिक्त काम के बारे में कुछ नहीं जानते । वे केवल लोगों में भय उत्पन्न कर सकते हैं उनका सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते । मैं यह नहीं कहता कि सभी पदाधिकारी इस प्रकार के हैं । इन में से कुछ एक ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। परन्तु फिर भी जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये और राष्ट्रीय निर्माण निगम में श्री एल० एन० मिश्र जैसे सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की सहायता ली जानी चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने २ करोड़ ३९ लाख ११ हज़ार रुपये की तजवीज़ विभिन्न नदियों की योजना के लिये तथा सिंचाई व विद्युत् के लिये ९ लाख ६२ हज़ार रुपया रखा है। नहर के पानी के बारे में जो झगड़ा पाकिस्तान से चल रहा है और जिसे वर्ल्ड बैंक (विश्व बैंक) के सामने रखा गया था और जिसकी बैठक सन् १९५२ में मई या जून में वाशिंगटन में हुई थी। और उसके बाद.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को पहले अपने राज्यों के बारे में कहना चाहिये, बाद में सामान्य बातों के बारे में ।

सरदार ए० एस० सहगल : जी हां, उसके बाद आखिरी बैठक सितम्बर सन् १९५३ में फिर वाशिंगटन में हुई और आखिर जब कोई खास नतीजा नहीं निकला तो फिर ५ फरवरी, १९५४ को उसने अपनी बैठक में यह तसफ़िया (निश्चय) किया और उन्होंने अपनी यह फाइंडिंग (उपपत्ति) दी :

> "बैंक ने यह सोच कर कि अग्रेतर चर्चा करने से कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना नहीं थी, कार्यकारी दल के सामने यह सुझाव रखा जिससे कि उसके विचार से दोनों दोशों के लिये न्यायपूर्ण और कम खर्च वाले परिणाम प्राप्त होंगे ।"

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह लिखा :

> "जब कि भारत सरकार ने बैंक के सुझावों को सामान्य रूप से मान लिया पर पाकिस्तान ने उन्हें नहीं माना इसलिये मामला ठप हो गया ।"

मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी राय दी और अपनी सिफारिश पेश की, उसको हिन्दुस्तान ने मान्यता दी मगर पाकिस्तान ने उस चीज़ को मानने से इंकार कर दिया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान के साथ हमारा पानी के बारे में झगड़ा चल रहा है वह उसी तरह से उलझा हुआ पड़ा है और उसका कोई हल नहीं हो पाया है । उन्होंने साफ़ यह कहा था कि :—

> "कि सिन्ध, झेलम और चनाब आदि पश्चिमी नदियों का सारा पानी केवल पाकिस्तान के उपयोग के लिये होगा ।" और उस के इलावा रावी, ब्यास और सतलुज आदि पूर्वी नदियों का सारा पानी केवल भारत के उपयोग के लिये होगा ।

यह जो दो चीज़ें थीं, यह मेरी समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के लोग क्यों इनसे मुकर गये और वर्ल्ड बैंक ने जो तजवीज़ रखी थी उसको मंज़ूर क्यों नहीं किया ?

टेकनिकल डाइरेक्टरेट (शिल्पिक निदेशालय) ने २३ प्राजेक्ट्स (परियोजनाओं) की छानबीन पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल की तथा १६ प्राजेक्ट्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की बात है। इसमें मध्य प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में हंसदो नदी के बारे में वहीं भी ज़िक्र नहीं आता है। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रोग्राम आगे लिया जायगा उसमें यह आ रहा है और

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार ए० एस० सहगल]

उस सम्बन्ध में सफ़ा १४ पर जो एहेड (आगे का) प्रोग्राम दिया गया है, उसे देख कर मुझे खुशी हुई कि जो प्रोग्राम एहेड होगा उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में हंसदो रिवर प्राजेक्ट (नदी परियोजना) को लिया है लेकिन यह आगे चल कर काम हाथ में कब लिया जायगा, अभी तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट का कार्य सन् १९४९ में २० दिसम्बर को जांच पड़ताल के बाद शुरू किया गया था और उसके बाद जब सब-डिवीज़न बन्द हुआ तो उसका काम बन्द कर दिया गया। अभी सन् १९५४ में मध्य प्रदेश की सरकार ने फिर से इसमें काम शुरू किया है मगर जैसी ख़बर है गवर्नमेंट ने इसे बन्द करने के लिये प्रान्तीय सरकार के पास आदेश भेजा और जो सर्वे (सर्वेक्षण) का काम शुरू हुआ था उसे फिर बन्द कर दिया गया है। सन् १९५५ में सैन्ट्रल (केन्द्रीय) गवर्नमेंट ने उसे बंद किया। अब क्यों बंद किया और क्या कारण बंद करने का था, सो मैं नहीं कह सकता लेकिन वाक़या यह है कि जो सर्वे का काम शुरू हुआ था वह फिर बंद हो गया। मैं समझता हूं कि ऐसा करना उचित नहीं था और मैं जानना चाहता हूं कि आख़िरकार वहां के ग़रीब लोगों ने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण सर्वे का काम बंद कर दिया गया है। मैं उस वक्त मौजूद था जबकि वहां पर सर्वे का काम हो रहा था और मुझे उस काम को चलता देख कर निहायत खुशी हुई लेकिन जब मैं लौट रहा था तो रास्ते में इंजीनियर साहब ने मुझ को बतलाया कि यह टेलीग्राम (तार) मिला है जिसके ऊपर हम यह काम बंद करने जा रहे हैं और मुझे उसको सुन कर बहुत अफ़सोस हुआ और मैं मंत्री महोदय से इस बात के लिये विशेष तौर पर अनुरोध करूंगा कि उन चीज़ों को आप देखिये और सर्वे का काम शुरू कराइये।

मेरी जो ख़बर है उसके मुताबिक़ "बांगों" पर पिलिथ मिला था और यह हंसदो प्राजेक्ट मलटी-परपज़ (बहुप्रयोजनीय) प्राजेक्ट (परियोजना) होगा। १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करेगा और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट के पेज १०२ पर यह दिया गया है कि :

"नहरों और नलकूपों की सिंचाई वाले जो क्षेत्र इससे सिंचाई का लाभ उठायें उन्हें इस परियोजना की लागत पूंजी में अंशदान देना चाहिये।" मैं इस चीज़ को मानने को तैयार हूँ लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपसे कहूंगा कि वहां पर जो आप सहूलियत देना चाहते हैं, वह पहले उनको दे दीजिये और उसके लिये बेशक़ आप बेटरमेंट टैक्स (सुधार कर) लगाइये, हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैं तो यहां तक आगे जाने को तैयार हूं कि आप इस काम को वहां पर शुरू करें और वहां पर लोगों पर यह टैक्स लगायें और वहां की जनता बराबर आपको यह टैक्स देगी।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि वहां पर जो आपका मल्टी-परपज़ प्राजेक्ट होगा उससे ९० लाख किलोवाट बिजली आपको सुलभ होगी और इस पावर के बारे में सेकेंड फाइव इयर प्लान की रिपोर्ट के पेज १०३ के पैरा ८ और १३ में इस तरह लिखा है :

"कुछ वर्षों तक जल और कोयला के संसाधनों के होते हुये भी भारत में शक्ति के विकास का कार्य बहुत धीरे-धीरे बढ़ा।"

इस धीमी गति से काम शुरू होने का मुख्य कारण यह था कि उन चीज़ों पर गौर नहीं किया गया और उनके सम्बन्ध में काम नहीं किया गया जिनका कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूं और अगर उन पर कार्य किया गया होता तो यह पावर की तक़लीफ़ आपको कदापि नहीं होती।

इसके साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा है कि :

"विकेन्द्रित आधार पर उद्योगों के विकास करने और यूनिम्न जल संसाधनों को कृषि कार्य के लिये प्रयोग में लाने के हेतु छोटे-छोटे कस्बों में बिजली लगाना अत्यन्त आवश्यक है।

यह जो रूरल ऐरिया में दिक्कतें हो रही हैं, अगर हम इने प्राजेक्ट्स को हाथ में ले लिये होते तो कोई दिक्कत इस एरिया में नहीं होती। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि आपकी जो दूसरी पंचवर्षीय

योजना है, इसमें आप कृपा करके हसदो को जरूर ही शामिल कर लें। लेकिन यदि जो चीजें मैं कह रहा हूं वे अच्छी हैं तो आप इनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लें। इस इलाके के लोग पिछड़े हुये हैं और शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसुचित जाति) के हैं। ये लोग आप तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते इसलिये मैं आप से अर्ज करूंगा कि आप इस पर गौर करें और अगर आप ऐसा करेंगे तो इन लोगों का बहुत भारी उपकार होगा। शायद आप समझते हैं कि यहां के लोग वालंटरी लेबर (अपनी इच्छा से परिश्रम) नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप यहां काम शुरू करें तो मैं आपको इन लोगों की वालंटरी लेबर का एक नज़ारा दिखाना चाहता हूं। हमने कोसी योजना पर लोगों को काम करते देखा है। उससे हमारी आंखें खुल गयी हैं। मैं चाहता हूं कि इसी वालंटरी लेबर के ज़रिये हिन्दुस्तान में हर जगह काम हो।

अध्यक्ष महोदय : धीरे-धीरे ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं एक्साइट (उत्तेजित) नहीं हो रहा हूं। आप माफ करेंगे, मैं तो एक्साइट होना ही नहीं जानता। १५ अगस्त, १९४७ के पहले मैं बहुत एक्साइट होता था। लेकिन अब मैं एक्साइट नहीं होता।

जो आपकी क्विनक्वेनियल (पंचसाला) रिपोर्ट सन् १९४५ से १९५० तक की है उससे मालूम होगा कि उसमें मध्य प्रदेश के बारे में काफी दिया हुआ है और उससे मालूम होता है कि मध्य प्रदेश कितनी चीजों को दे सकता है और वह कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। बस्तर के बारे में भी सफा ६० पर देखें तो आपको मालूम होगा कि बस्तर कितनी अच्छी जगह है और वहां आप किस तरह से पावर को बढ़ा सकते हैं।, अगर आप इन्द्रावती नदी पर बांध बनायें तो बस्तर में बहुत बिजली पैदा हो सकती है। तीन लाख १४ हजार किलोवाट बिजली आप वहां पैदा कर सकते हैं और इस बांध से सात लाख एकड़ भूमि में सिंचाई कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ ध्यान दें तो देश की हालत बहुत सुधर सकती है और ये भूमि जन अपनी हालत को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यहां पर खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा हैं। अगर आप इस इलाके में प्रोजेक्ट बना कर उससे बिजली पैदा करें तो उससे वहां के लोगों को फायदा हो सकता है और उससे बहुत सी बिजली भिलाई के कारखाने को भी मिल सकती है। मान लीजिये कि रेल मंत्री जी बिजली से रेल चलाना चाहें तो उसके ज़रिये से आप वहां का कोयला बाहर भेज सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास इंजीनियर्स की सर्वेअर्स (सर्वेक्षण करने वालों) की और डिजाइनर्स की यदि कमी है तो इस विषय में उस सरकार की मांग पूरी की जानी चाहिये। मुझे मालूम हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार इस विषय में सैंट्रल गवर्नमेंट से लिखा पढ़ी कर रही है।

क्विनक्वेनियल रिपोर्ट के सफा १६३ पर लिखा है कि सेंट्रल इरीगेशन और पावर बोर्ड (केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड) का क्या कर्तव्य है :

> "सिंचाई के लिये जल का नियन्त्रण; विद्युत शक्ति के लिये जल का नियन्त्रण; सिंचाई के लिये सस्ती बिजली का प्रयोग और भूमि के नीचे के पानी की व्यवस्था करना"।

इन चीजों को देखते हुये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अरपा नदी योजना तो सर्वे हो चुकी है, उस पर काम जल्द शुरू करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को हिदायत की जाये। हो सकता है कि आप उसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लें लेकिन अभी तक तो मालूम नहीं हुआ है कि कोई ऐसी तजवीज़ है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि इस योजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जाये।

मुंगेली तहसील विलासपुर की है। जब वहां माननीय श्री बलवंत नागेश दातार साहब गये थे तो वहां के लोगों ने उनके सामने अपनी यह मांग रखी थी कि आगर हाफ़ नदी पर बांध बनाया जाये।

[सरदार ए० एस० सहगल]

इस एरिया के पिछड़े लोगों की अवस्था सुधारना हमारा कर्तव्य है। आप उनको रोशनी देने का इन्तजाम कर रहे हैं यह बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उनको अपनी फसल के लिये पानी न मिला तो केवल रोशनी से क्या फायदा हो सकता है। इसलिये अगर आप आगर हाफ़ बांध को बना दें तो उससे शायद बिजली भी पैदा हो सकती है और पानी भी मिल सकता है। अभी जो उनको रायपुर से थोड़ी बिजली मिलती है उससे उनका काम चलने वाला नहीं है। कोरबा के थरमल कारखाने से भी थोड़ी बिजली मिल जायेगी। लेकिन मेरी राय में जिन बांधों का मैंने जिक्र किया है उनको बनाया जाये तो बहुत लाभ हो सकता है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी इनके बारे में लिखा पढ़ी की है। अगर बिलासपुर जिले में हसदो मल्टी-परपज़ प्रोजेक्ट, अरपा प्राजेक्ट तथा मुंगेली में आगर हाफ़ पर गौर करेंगे तो बड़ा उपकार करेंगे।

सिंचाई व विद्युत् मंत्रालय के कर्मचारीगण बहुत परिश्रम से काम कर रहे हैं और इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। इस विभाग के अफसर विभिन्न जगहों पर जिस लगन के साथ कार्य कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूं तथा जो डिमांड (मांग) रखी गयी हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिंचाई के मुहकमे को विद्युत के मुहकमे से अलग रखना चाहिये। हम विद्युत के मुहकमे पर काफी खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस विभाग में जो सेक्रेटरी काम कर रहे हैं वे टैक्नीशियन (प्रविविधिज्ञ) नहीं हैं। इस विभाग में आप टैकनीशियन लोगों को लाकर सेक्रेटरी के पद पर रखें। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी (संयुक्त सचिव) हैं उनको आप आई० ए० एस० और आई० सी० एस० वालों में से रख सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि जैसा अभी मेरे एक मित्र ने कहा, इस विभाग में ऐसे लोगों को न रखा जाये जो कि पुराने ब्यूरोक्रेटिक (नौकरशाही) आधार पर चलते हैं। इसमें ऐसे अफसरों को रखा जाये जो जनता का हित चाहते हों।

मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप विद्युत के मुहकमे को सिंचाई के मुहकमें से अलग रखें और विद्युत् के महकमें में ऐसे लोगों को रखें जोकि इस काम में एक्सपर्ट हों जोकि आपकी ज्यादा मदद कर सकें।

मैं इस डिमांड का समर्थन करता हूँ।

†**श्री एन० आर० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : आज स्वयं मंत्री महोदय ने चर्चा आरम्भ की और उन्होंने परियोजनाओं और बान्धों का विश्लेशन करके बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हीराकुड बान्ध अगले वर्ष के प्रारम्भ में चालू होगा। इस मंत्रालय ने जो कार्य किया है वह वास्तव में प्रशंसनीय है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री मुनिस्वामी कल इन पर अपना भाषण रखें। सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय सम्बन्धी मांगों पर निम्न कटौती प्रस्ताव हैं।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या
६७	५३,५४

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
६७	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में डाबरू जल विद्युत् परियोजना के निर्माण की आवश्यकता।	१०० रुपये
६७	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में बाढ़ रोक-थाम कार्यों और सिंचाई कार्य के तीव्र गति से किये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २ अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

सचिव ने लोक-सभा को बताया कि संसद् के सदनों द्वारा चालू सत्र में पारित निम्न-लिखित विधेयकों पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दी है :

(१) स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक, १९५५ ।

(२) बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक, १९५६ ।

(३) पूंजी निर्गमन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक, १९५६ ।

(४) जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक, १९५६ ।

(५) नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक, १९५६ ।

याचिका का उपस्थापन १६९७

श्री टी० एन० सिंह ने विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, १९५६ सम्बन्धी याचिका उपस्थापित की जिस पर अड़तीस याचक-सदस्यों के हस्ताक्षर थे ।

अनुदानों की मांगें ... ... १६९७—१७५८

पुनर्वास मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा समाप्त हुई और मांगों की पूरी राशि स्वीकृत हुई ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि—

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

———

M106LSD—1-11-57—190—GIPF